




सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का
राज्य वित्त से संबंधित प्रतिवेदन



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य वित्त से संबंधित प्रतिवेदन**

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष

झारखण्ड सरकार

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	vii
कार्यकारी सारांश	-	ix

अध्याय 1 : राज्य सरकार के वित्त		
झारखण्ड की रूपरेखा		1
परिचय	1.1	2
वर्ष 2014-15 के राजकोषीय संचालन का सारांश	1.1.1	2
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	4
बजट अनुमान एवं वास्तविक आँकड़े	1.1.3	5
लिंगानुपातिक (जेण्डर) बजट	1.1.4	6
राज्य के संसाधन	1.2	7
वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2.1	7
राज्य बजट के बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित निधि	1.2.2	10
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	10
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.3.1	12
भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान	1.3.2	15
केन्द्रीय कर हस्तांतरण	1.3.3	16
तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग	1.3.4	16
त्यक्त राजस्व	1.3.5	17
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	18
ऋण एवं अग्रिम से वसूली	1.4.1	18
आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ	1.4.2	19
भारत सरकार (भा.स.) से ऋण तथा अग्रिम	1.4.3	19
लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.5	19
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.6	20
व्यय के संघटक एवं वृद्धि	1.6.1	20
राजस्व व्यय (आर.ई.)	1.6.2	21
प्रतिबद्ध व्यय	1.6.3	22
वृहत कार्यक्रम	1.6.4	26
स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों की कार्य प्रणाली और निधियों का हस्तांतरण	1.6.5	27
व्यय की गुणवत्ता	1.7	30
लोक व्यय की पर्याप्तता	1.7.1	30
व्यय के उपयोग की दक्षता	1.7.2	31
सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.8	35
पूर्ण सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	1.8.1	35
अपूर्ण परियोजनाएँ	1.8.2	35

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
निवेश एवं लाभांश	1.8.3	36
राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम	1.8.4	37
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	1.8.5	38
परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	38
परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन	1.9.1	38
राजकोषीय दायित्व	1.9.2	39
राज्य की परिसम्पत्तियों की अत्योक्ति	1.9.3	41
संरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन	1.9.4	42
प्रत्याभूति की स्थिति - आकस्मिक दायित्व	1.9.5	42
ऋण प्रबंधन	1.10	42
ऋण की रूप रेखा	1.10.1	42
ऋण धारणीयता	1.10.2	43
राजकोषीय असंतुलन	1.11	44
घाटे की प्रवृत्तियाँ	1.11.1	45
वित्तीय घाटे के अवयव एवं इसके वित्त पोषण का स्वरूप	1.11.2	46
घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता	1.11.3	47
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	1.12	48
अध्याय 2 : वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
परिचय	2.1	51
बजट प्रबंधन की प्रक्रिया	2.2	51
विनियोग लेखे के सारांश	2.3	52
वित्तीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन	2.4	53
आवंटित प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग	2.4.1	53
प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं करना	2.4.2	54
सतत बचत	2.4.3	54
परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान	2.4.4	58
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.4.5	58
वर्ष 2014-15 के दौरान प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता	2.4.6	59
विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता	2.4.7	60
अनुदानों में सतत आधिक्य	2.4.8	61
निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.4.9	62
निधियों का वृहद पैमाने पर अभ्यर्पण	2.4.10	62
व्यय की तीव्रता	2.5	62
विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन	2.6	63

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
अनुदान संख्या 36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव	2.7	63
परिचय	2.7.1	63
विभाग की विगत तीन वर्षों की बजटीय स्थिति	2.7.2	64
संगठनात्मक ढाँचा	2.7.3	64
बजट आकलनों को विलम्ब से जमा किया जाना	2.7.4	64
अवास्तविक बजट अनुमान	2.7.5	65
परिहार्य अनुपूरक प्रावधान	2.7.6	66
बजटीय प्रावधान से आधिक्य व्यय	2.7.7	66
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन प्रत्यर्पण	2.7.8	66
व्यय का वेग	2.7.9	66
सामग्री के रूप में धन का अवरुद्धिकरण	2.7.10	67
विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन	2.7.11	67
आइ.एम.आइ.एस. और मासिक लेखे के आँकड़ों में विसंगति	2.7.12	68
बजट भाषण में घोषणा की गई योजनाओं का क्रियान्वयन	2.7.13	69
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	2.8	69
अध्याय 3 : वित्तीय प्रतिवेदन		
अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र का अनुपालन लेखापरीक्षा	3.1	71
परिचय	3.1.1	71
अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	3.1.2	72
उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समर्पण में विलम्ब	3.1.3	73
अनुदान विमुक्ति में विलम्ब	3.1.4	74
अनुदान का अनुपयोग एवं अवरुद्धिकरण	3.1.5	74
स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा	3.2	75
सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा	3.2.1	75
सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अधीन लेखापरीक्षा	3.2.2	75
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधियों का अनुपालन लेखापरीक्षा	3.3	76
परिचय	3.3.1	76
विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के समर्पण में विलम्ब	3.3.2	78
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों से निधियों की आहरण की पुनरावृत्ति	3.3.3	79
दुर्विनियोग, क्षति इत्यादि के मामलों का प्रतिवेदन	3.4	79
राजस्व तथा पूँजी के बीच वर्गीकरण	3.5	80
निधि आहरित कर व्यक्तिगत बही (पी.एल.) खाते में रखना	3.6	80
लघु शीर्ष "800" के अन्तर्गत प्रविष्टि	3.7	81

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन	3.8	82
राज्य आपदा मोचन निधि की अनुपालन लेखापरीक्षा	3.9	82
प्रस्तावना	3.9.1	82
वित्तीय प्रबंधन	3.9.2	83
निधि प्रदान करने की प्रक्रिया	3.9.2.1	83
एस.डी.आर.एफ. में अंशदान विलम्ब से/नहीं जमा होना	3.9.2.2	84
निधि की उपयोगिता एवं निवेश	3.9.2.3	84
निधि का अवरुद्धिकरण	3.9.2.4	85
एस.डी.आर.एफ. का विचलन/अनाधिकृत व्यय	3.9.2.5	86
एस.डी.आर.एफ. के माध्यम से कार्यावयन	3.9.3	87
प्रभावित व्यक्तियों को विलंब से/सहायता प्रदान नहीं करना	3.9.3.1	87
एस.डी.आर.एफ. से अमान्य कार्यों का कार्यावयन	3.9.3.2	88
उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत नहीं किया जाना	3.9.4	88
सहायक लेखा का संधारण नहीं किया जाना	3.9.5	89
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	3.10	89

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 1.1 भाग-ए	झारखण्ड की रूपरेखा	93
परिशिष्ट 1.1 भाग-बी	सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	94
परिशिष्ट 1.1 भाग-सी	वित्त लेखे का अभिन्यास	94
परिशिष्ट 1.2	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली	95
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़ें	96
परिशिष्ट 1.4 भाग-ए	वर्ष 2014-15 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	99
परिशिष्ट 1.4 भाग-बी	31 मार्च 2015 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	102
परिशिष्ट 1.5 भाग-क	74 ^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम(अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का विवरण	104
परिशिष्ट 1.5 भाग-ख	74 ^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का विवरण	105
परिशिष्ट 2.1	₹ 10 करोड़ से आधिक्य की बचत और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक विभिन्न अनुदानों/विनियोग की विवरणी	106
परिशिष्ट 2.2	वर्ष 2014-15 के दौरान होने वाले क्रमानुगत बचत (₹ 20 करोड़ एवं अधिक) का उप-शीर्षवार विवरण	108
परिशिष्ट 2.3	₹ एक करोड़ से अधिक की बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई की विवरणी	112
परिशिष्ट 2.4	31 मार्च 2015 को ₹ पाँच करोड़ से अधिक अभ्यर्पित राशि के मामले	114
परिशिष्ट 2.5	मामले जहाँ अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक मामले में ₹ 20 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	115
परिशिष्ट 2.6	पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित	117
परिशिष्ट 2.7	निधि का आधिक्य/अपर्याप्त पुनर्विनियोग	118
परिशिष्ट 2.8	वर्ष के दौरान किये गये अत्यधिक अभ्यर्पण के समीक्षा के परिणाम	120
परिशिष्ट 2.9	वर्ष के अंत में व्यय का वेग	124
परिशिष्ट 2.10	नियंत्रक अधिकारियों की सूची जहाँ व्यय वर्ष 2014-15 के दौरान असंशोधित रह गई (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि)	125
परिशिष्ट 2.11	बजटीय प्रावधान से आधिक्य व्यय	126
परिशिष्ट 2.12	अंतिम दिन अभ्यर्पण (राज्य स्तर)	126
परिशिष्ट 2.13	वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पण	127
परिशिष्ट 2.14	शत-प्रतिशत बचत	128
परिशिष्ट 2.15	व्यय का वेग (राज्य स्तर)	128
परिशिष्ट 2.16	व्यय का वेग (नमूना जाँचित प्रमण्डल/जिलों)	129
परिशिष्ट 2.17	सामग्री के रूप में निधि का अवरुद्धीकरण	130

विषय सूची

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 2.18	विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन	132
परिशिष्ट 2.19	आई.एम.आई.एस. तथा मासिक लेखे के आँकड़ों में विसंगति	132
परिशिष्ट 2.20 (अ)	बजट भाषण में घोषणा की गई योजनाओं की भौतिक प्रगति	133
परिशिष्ट 2.20 (ब)	बजट भाषण में घोषणा की गई योजनाओं की वित्तीय प्रगति	134
परिशिष्ट 3.1	31 मार्च 2015 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	135
परिशिष्ट 3.2	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (क्षेत्र इकाई)	136
परिशिष्ट 3.3	अनुदानों के विमुक्ति में विलम्ब	137
परिशिष्ट 3.4	अनुदानों का अवरुद्धिकरण	138
परिशिष्ट 3.5	सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 14 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	139
परिशिष्ट 3.6	बकाया डी.सी. विपत्रों से संबंधित शीर्ष 50 नियंत्रक अधिकारी	141
परिशिष्ट 3.7	31 मार्च 2015 को अनुदान-वार बकाया डी.सी. विपत्रों से संबंधित नियंत्रक अधिकारी	143
परिशिष्ट 3.8	विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के समर्पण में विलम्ब	146
परिशिष्ट 3.9	राजस्व अनुभाग के अधीन मुख्य कार्य	147
परिशिष्ट 3.10	लघु-शीर्ष 800-अन्य व्यय का संचालन (30 प्रतिशत एवं अधिक)	147
परिशिष्ट 3.11	लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ (50 प्रतिशत एवं अधिक) का संचालन	148
परिशिष्ट 3.12	विगत वर्षों के प्रावधानों से आधिक्य व्यय का विनियमन	149
परिशिष्ट 3.13	विलम्ब से सहायता	150
परिशिष्ट 3.14	गैर सहायता	153
परिशिष्ट 4.1	प्रतिवेदन में प्रयुक्त व्याख्यान शब्दावलियों (गणना के आधार) की सूची	154

प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 एवं अध्याय 2 में 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे की जाँच में पायी गयी लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल है। आवश्यकतानुसार सूचनाएँ झारखण्ड सरकार से प्राप्त की गयी है।
3. अध्याय 3 'वित्तीय प्रतिवेदन' वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।
4. निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों में लेन-देन लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सांविधिक निगमों, बोर्डों व सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा से उत्पन्न प्रेक्षण वाले प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर प्रेक्षण वाले प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये जाते हैं।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

झारखण्ड सरकार के 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे पर आधारित यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखे का विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2007, वर्ष 2011 एवं वर्ष 2012 में यथासंशोधित, बजट दस्तावेजों, मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी, आर्थिक समीक्षा, तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन तथा विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थाओं से प्राप्त अन्य वित्तीय आँकड़ों पर आधारित है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय-1 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2015 को सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करती है। यह सरकारी निवेश एवं उन पर आय के अलावा राज्य के सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति की प्रवृत्ति, प्रतिबद्ध व्यय की वास्तविकता के सापेक्ष बजट आकलन और ऋण प्रतिरूपों पर एक अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

अध्याय-2 विनियोजन लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोजनों की अनुदान-वार विवरणी प्रस्तुत करने एवं आवंटित संसाधनों के सेवा प्रदाता विभागों द्वारा प्रबंधन के तरीकों को प्रस्तुत करती है।

अध्याय-3 राज्य के आपदा राहत कोष के अध्ययन पर आधारित लेखा परीक्षा परिणाम के साथ-साथ झारखण्ड सरकार के विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकता एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन की सूची है।

इस प्रतिवेदन में निष्कर्षों की पुष्टि हेतु अनेक स्रोतों से संग्रहित अतिरिक्त आँकड़ों का परिशिष्ट भी समाहित है। अंत में 'परिशिष्ट 4.1' प्रतिवेदन में प्रयुक्त किये गये राज्य वित्त से संबंधित शब्दों एवं संक्षिप्त रूपों की शब्दावली को प्रस्तुत करती है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अध्याय-1 राज्य सरकार के वित्त

राजकोषीय स्थिति

- वर्ष 2014-15 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में वृद्धि तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) के मानदंड 14.5 प्रतिशत के विरुद्ध 14.3 प्रतिशत रहा।

(झारखण्ड की रूपरेखा)

- वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य का राजस्व घाटा ₹ 230 करोड़ था। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा वर्ष 2013-14 में ₹ 2,256 करोड़ से बढ़कर ₹ 6,564 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा स.रा.घ.उ. का 3.3 प्रतिशत था जो ते.वि.आ. एवं एफ.आर.बी.एम. के तीन प्रतिशत की अनुशंसा की सीमा से अधिक था। साथ ही,

राजकोषीय घाटे से स.रा.घ.उ. का अनुपात वर्ष 2013-14 के दौरान 1.3 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2014-15 के दौरान 3.3 प्रतिशत हो गया।

(कंडिका 1.11.1)

संसाधनों का एकत्रीकरण

• वर्ष 2013-14 के दौरान 5.5 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 31,564.56 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 26,136.80 करोड़) से ₹ 5,427.76 करोड़ (21 प्रतिशत) बढ़ा। तथापि, राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2014-15 के दौरान बजट आकलन के तुलना में ₹ 11,879 करोड़ कम था।

(कंडिका 1.1.1 एवं 1.3)

• वर्ष 2014-15 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का 53 प्रतिशत केन्द्रीय कर अंतरण एवं भारत सरकार के अनुदान से प्राप्त हुआ है जबकि शेष राज्य के अपने संसाधनों से प्राप्त हुआ है।

(कंडिका 1.3)

व्यय की गुणवत्ता

• पूँजीगत व्यय (सी.ई.) वर्ष 2013-14 के ₹ 4,722 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 5,543 करोड़ हो गया। सी.ई. से कुल व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2013-14 के 17 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2014-15 में 15 प्रतिशत रहा। सी.ई. से स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता वर्ष 2013-14 के 2.7 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2014-15 में 2.8 प्रतिशत था।

(कंडिका 1.6.1.1)

• वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में पूँजीगत व्यय, शिक्षा के क्षेत्र में व्यय एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यय को कम प्राथमिकता दिया। तथापि, राज्य समग्र विकासपरक व्यय को अधिक प्राथमिकता दिया।

(कंडिका 1.7.1)

• वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व व्यय (₹ 31,795 करोड़) कुल व्यय (₹ 38,162 करोड़) का वर्ष 2013-14 के दौरान 82 प्रतिशत के विरुद्ध 83 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व व्यय स.रा.घ.उ. का 16.1 प्रतिशत था।

(कंडिका 1.6.2)

• राजस्व व्यय (आर.ई.) में से योजना राजस्व व्यय (₹ 12,436 करोड़) का अंश वर्ष 2013-14 के दौरान 27 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2014-15 के दौरान 39 प्रतिशत था। गैर-योजनागत राजस्व व्यय (₹ 19,359 करोड़) की वृद्धि दर वर्ष 2013-14 के 10 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 के दौरान 13 प्रतिशत हो गया एवं यह राजस्व व्यय का 61 प्रतिशत था।

(कंडिका 1.6.2.1)

- राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को सहायता, वर्ष 2013-14 में ₹ 6,421.85 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 12,404.02 करोड़ हो गया।

(कंडिका 1.6.4)

विकास व्यय पर जोर

- विकास व्यय का वृद्धि दर वर्ष 2013-14 में नकारात्मक पाँच प्रतिशत से सुधर कर वर्ष 2014-15 में 49 प्रतिशत हो गया। वर्ष के दौरान कुल व्यय में से विकास राजस्व व्यय का हिस्सा 55 प्रतिशत था तथा कुल व्यय में से पूँजीगत व्यय का हिस्सा 16 प्रतिशत था।

(कंडिका 1.7.2)

अपूर्ण परियोजनाएँ

- मार्च 2015 तक निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं होने वाले 402 परियोजनाओं में ₹ 1,822.98 करोड़ की राशि अवरूद्ध थी।

(कंडिका 1.8.2)

सरकारी निवेशों से आय

- नवम्बर 2000 में राज्य गठन के बाद से 31 मार्च 2015 तक झारखण्ड सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी कम्पनियाँ एवं को-ऑपरेटिव, कॉरपोरेशनों एवं सोसाईटियों में ₹ 247 करोड़ का निवेश किया। वर्ष 2014-15 के दौरान निवेशों से आय शून्य था तथापि इस अवधि के दौरान सरकार अपनी उधार पर औसतन 7.22 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया।

(कंडिका 1.8.3)

राजकोषीय दायित्व

- राज्य के राजकोषीय दायित्व (₹ 43,569 करोड़) की वृद्धि दर वर्ष 2013-14 (₹ 37,594 करोड़) में 7.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 के दौरान 15.9 प्रतिशत हो गया। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व का प्रतिशतता, तेरहवें वित्त आयोग की इस वर्ष के लिए 26.9 प्रतिशत की अनुशंसा के विरुद्ध 22.1 प्रतिशत था। सरकार सभी प्रकार के ऋणों के परिशोधन (अमार्टिजेशन) के लिए सिंकिंग फंड की स्थापना नहीं किया।

(कंडिका 1.9.2)

ऋण प्रबंधन

- इन्क्रिमेंटल गैर ऋण प्राप्तियाँ (संसाधन अंतराल) की पर्याप्तता वर्ष 2010-11 में ₹ 899 करोड़ से घटकर वर्ष 2014-15 में (-) ₹ 2,885 करोड़ हो गया जो राज्य के राजकोषीय स्थिति में गिरावट का सूचक है। ऋणगत राशि की शुद्ध उपलब्धता वर्ष 2013-14 में ₹ 110 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 3,313 करोड़ हो गया।

(कंडिका 1.10.2)

- राजस्व प्राप्ति में ब्याज भुगतान के अनुपात के कारण ऋण स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया क्योंकि यह वर्ष 2010-11 के 12 प्रतिशत से नियमित रूप से घटकर वर्ष 2014-15 में 9.28 प्रतिशत हो गयी।

(कंडिका 1.10.2)

अध्याय-2 वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

अनुचित बजट आकलन के कारण विशाल बचत

- वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 17,265.85 करोड़ की विशाल बचत थी जो अनुचित बजट आकलन को इंगित करती है। विभिन्न योजनाओं/उप-शीर्षों के अन्तर्गत विशाल बचत राज्य में विभिन्न विकासपरक योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं से संबंधित 14 विभागों में विगत पाँच वर्षों से सतत बचत भी देखा गया।

(कंडिका 2.4.1 एवं 2.4.3)

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

- वर्ष 2014-15 के दौरान 58 अवसरों पर आकस्मिकता निधि से ₹ 149.35 करोड़ की अग्रिम राशि वैसे व्यय हेतु आहरित किए गए जो न तो अप्रत्याशित थे और न ही आकस्मिक प्रकृति के।

(कंडिका 2.4.5)

वर्ष 2014-15 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

- वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 361.21 करोड़ की राशि बजट प्रावधानों से अधिक व्यय किए गए जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत विनियमित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2001-14 के दौरान किए गए ₹ 2,377.91 करोड़ के आधिक्य व्यय को भी विनियमित किया जाना शेष था।

(कंडिका 2.4.6 एवं 2.4.7)

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव

- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने बजट नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया जिससे विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव रहा जिसके परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष के अंत में विशाल बचत, व्यय की तीव्रता, महालेखाकार के बही से लेखे का असमाशोधन तथा रोकड़/सामान के रूप में निधियाँ अवरूद्ध हुईं।

(कंडिका 2.7)

अध्याय-3 वित्तीय प्रतिवेदन

अनुदानों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र

- विभिन्न विभागों द्वारा सहायता अनुदान के विरुद्ध वर्ष 2013-14 तक आहरित ₹ 5,161.72 करोड़ की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2015 तक बकाया था जो निर्धारित उद्देश्य के लिए अनुदानों का ससमय उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की विफलता का सूचक है।

(कंडिका 3.1.1)

निधियों को व्यक्तिगत बही खाते में रखना

- मार्च 2015 के अंत तक ₹ 3,329.95 करोड़ की एक विशाल राशि व्यक्तिगत बही खाते में शेष पड़े थे। विधान मंडल द्वारा पारित चालू वर्ष के बजट निधियों को अगामी वर्षों में व्यय करने के लिए व्यक्तिगत बही खाते में अंतरण करना वित्तीय नियमों के विरुद्ध था एवं राज्य के बजटीय नियंत्रण को कमजोर किया।

(कंडिका 3.6)

राज्य आपदा मोचन निधि का अनुपालन लेखापरीक्षा

- राज्य कार्यकारी समिति, राज्य आपदा मोचन निधि की राशि के निवेश के मानक को पूरा करने में विफल रहा, यद्यपि विभाग के पास प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में भारी शेष था लेकिन विभाग निवेश नहीं किए गए राशि से नियमानुसार ब्याज प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

(कंडिका 3.9)

- राज्य आपदा मोचन निधि से प्रभावित/आश्रित व्यक्ति को तत्काल राहत पहुँचाने के प्रमुख लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि 8,286 मामलों में प्रभावित व्यक्ति को विलंब से भुगतान/भुगतान नहीं किए जाने के मामले देखे गए।

(कंडिका 3.9)

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय - 1

राज्य सरकार के वित्त

झारखण्ड की रूपरेखा

झारखण्ड राज्य, जिसका गठन नवम्बर 2000 में बिहार राज्य के विभाजन के पश्चात् किया गया था, 79,714 वर्ग कि.मी. में फैला है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार, यह देश का 16^{वाँ} सबसे बड़ा राज्य है। जैसा कि **परिशिष्ट 1.1 भाग-ए** में दर्शाया गया है राज्य की जनसंख्या वर्ष 2001 के 2.69 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011 में 3.30 करोड़ हो गई जिसमें दोनों जनगणनाओं के बीच 22.68 प्रतिशत का इजाफा हुआ। सम्पूर्ण-भारत औसत के 30 प्रतिशत की तुलना में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 42.4 प्रतिशत थी। वर्ष 2014-15 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 1,97,514 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 44 प्रतिशत (वर्ष 2001 जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 66.41 प्रतिशत (वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार) हो गई। वर्ष 2014-15 के दौरान वर्तमान मूल्य पर राज्य का प्रति व्यक्ति आय ₹ 59,816 रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद, निर्धारित समय में राज्य के भीतर सरकारी तौर पर स्वीकृत उत्पादित सभी सामग्रियों तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है जो राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर को दर्शाता है। वर्तमान मूल्य पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद के वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भारत का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	72,48,860	83,91,691	93,88,876	1,04,72,807	1,15,09,810 [@]
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	18.7	15.8	11.9	11.5	--
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,27,281	1,35,618	1,51,655	1,72,773	1,97,514
स.रा.घ.उ का वृद्धि दर (प्रतिशतता)	26.5	6.6	11.8	13.9	14.3

स्रोत: सांख्यिकी एवं योजना कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के वेब साइट से।

वृद्धि दर वर्तमान मूल्यों पर दर्ज वृद्धि को दर्शाती है।

[@] गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं चंडीगढ़ को छोड़कर

झारखण्ड के स.रा.घ.उ. में तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) के 14.3 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष 2014-15 के दौरान 14.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। 2010-15 के दौरान झारखण्ड के स.रा.घ.उ. का चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी. आर.) 11.61 प्रतिशत था। सामान्य श्रेणी के राज्यों के ₹ 1,07,511 के प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. के सापेक्ष झारखण्ड का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. केवल ₹ 59,816 था ।

1.1 परिचय

यह अध्याय वर्ष 2014-15 के दौरान झारखण्ड सरकार के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पाँच वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में झारखण्ड सरकार के मुख्य राजकोषीय संचय में, पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, विवेचनात्मक परिवर्तन को विश्लेषित करता है। यह विश्लेषण राज्य वित्त लेखे 2014-15 की लेखापरीक्षा तथा राज्य सरकार से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं रूपरेखा को **परिशिष्ट 1.1 भाग-बी** में तथा वित्त लेखे के अभिन्यास को **परिशिष्ट 1.1 भाग-सी** में दर्शाया गया है।

राज्य के राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी पद्धति को **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है। पिछले पाँच वर्षों के राज्य सरकार के वित्त के कालबद्ध आँकड़े **परिशिष्ट 1.3** में दिये गये हैं।

1.1.1 वर्ष 2014-15 के राजकोषीय संचालन का सारांश

तालिका 1.1 पिछले वर्ष (2013-14) के साथ-साथ चालू वर्ष (2014-15) के दौरान राज्य सरकार के समग्र राजकोषीय लेन देन का सार प्रस्तुत करता है, जबकि **परिशिष्ट 1.4 भाग-ए** वर्ष 2014-15 के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरण का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.1: वर्ष 2014-15 के राजकोषीय संचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2013-14	2014-15	संवितरण	2013-14	2014-15		
					गैर योजना	योजना	कुल
खण्ड क: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियाँ	26136.80	31564.56	राजस्व व्यय	23471.89	19358.99	12435.91	31794.90
कर राजस्व	9379.79	10349.81	सामान्य सेवायें	9959.36	10346.74	276.71	10623.45
गैर कर राजस्व	3752.71	4335.06	सामाजिक सेवायें	8215.34	4743.76	7171.58	11915.34
संघीय कर एवं शुल्क का हिस्सा	8939.32	9487.01	आर्थिक सेवायें	5297.19	4268.49	4987.62	9256.11
भारत सरकार से अनुदान	4064.98	7392.68	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00
खण्ड ख: पूँजीगत							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	पूँजीगत परिव्यय	4722.50	22.82	5520.12	5542.94
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	23.32	33.06	संवितरित की गई ऋण एवं अग्रिम	221.91	34.44	789.34	823.78
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	अंतर्राज्यीय परिशोधन	50.00	0.00	0.00	0.00
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	4702.90	6690.12	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1996.92	1879.88	0.00	1879.88
आकस्मिकता निधि में स्थानांतरण	0.00	0.00	आकस्मिकता निधि से व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ#	14275.26	20189.17	लोक लेखा संवितरण #	14,094.33	19276.68	0.00	19276.68
आरंभिक रोकड़ शेष	704.75	1285.48	रोकड़ अंत शेष	1285.48	444.21	0.00	444.21
कुल	45843.03	59762.39	कुल	45843.03	41017.02	18745.37	59762.39

स्रोत: वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे

*अर्थापाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अधीन निवल लेन-देन को छोड़कर

#ऑकड़े अन्य खाते जैसे कि विभागीय रोकड़ शेष, स्थायी अग्रदाय एवं रोकड़ शेष निवेश के अंतर्गत लेन-देन को शामिल नहीं करते हैं

पिछले वर्ष के तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन नीचे दिये गये हैं:

- पिछले वर्ष (₹ 26,136.80 करोड़) के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 31,564.56 करोड़) में ₹ 5,427.76 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः पिछले वर्ष के भारत सरकार के सहायता अनुदान में ₹ 3,328 करोड़ (82 प्रतिशत) की बढ़ोतरी एवं गैर कर राजस्व में ₹ 582 करोड़ (16 प्रतिशत), कर राजस्व में ₹ 970 करोड़ (10 प्रतिशत) एवं केन्द्रीय कर तथा शुल्क में राज्य के अंश में ₹ 548 करोड़ (छ: प्रतिशत) की भी बढ़ोतरी के कारण हुई।
- ते.वि.आ. द्वारा स्वयं के कर-राजस्व (₹ 12,991.83 करोड़) एवं कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,356.97 करोड़) के आदर्शी मूल्यांकन के विरुद्ध राज्य का वास्तविक क्रमशः ₹ 10,349.81 करोड़ (80 प्रतिशत) एवं ₹ 4,335.06 करोड़ (99.5 प्रतिशत) थे। इस

प्रकार, स्वयं के कर-राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व ते.वि.आ. द्वारा नियत मानक अनुमान से कम था।

- वर्ष 2014-15 के दौरान सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में क्रमशः ₹ 3,700.00 करोड़ एवं ₹ 3,958.92 करोड़ की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय (आर.ई.) वर्ष 2013-14 में 23,471.89 करोड़ से बढ़कर ₹ 31,794.90 करोड़ हो गया। तथापि, यह बजट आकलन के ₹ 43,444.00 करोड़ से 27 प्रतिशत कम था।
- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 में पूँजीगत व्यय में ₹ 820.44 करोड़ (17 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई। जो मुख्यतः परिवहन विभाग (₹ 465 करोड़) एवं ग्रामीण विकास (₹ 211 करोड़) के अन्तर्गत हुई।
- लोक ऋण की प्राप्तियाँ पिछले वर्ष 2013-14 में ₹ 496 करोड़ (10 प्रतिशत) की कमी के विपरीत 2014-15 में ₹ 1,987 करोड़ (42 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं लोक लेखा संवितरण में क्रमशः ₹ 5,914 करोड़ (41 प्रतिशत) एवं ₹ 5,182 करोड़ (37 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- उपरोक्त लेन-देन का निवल प्रभाव पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के अंत में रोकड़ शेष में ₹ 841.27 करोड़ की कमी थी।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

झारखण्ड सरकार ने राजकोषीय प्रचालन में वित्तीय स्थिरता, ऋण स्थिरता एवं वृहत्तर पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ. आर.बी.एम.) अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया। अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार के राजस्व घाटे को मार्च 2009 के अंत तक समाप्त करना था तथा राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के तीन प्रतिशत तक सीमित करना था। ते.वि.आ. ने लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सभी अनुदानों एवं ऋण माफ करने की सुविधा को सम्बद्ध करते हुए राजकोषीय समेकन हेतु एक नये तथा पुनरीक्षित रोड मैप की सिफारिश की।

तदनुसार, राज्य ने एफ.आर.बी.एम. (संशोधन) अधिनियम, 2011 एवं 2012 के द्वारा महत्वपूर्ण राजकोषीय लक्ष्यों को संशोधित किया। राज्य के एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के संशोधित लक्ष्य के अनुसार (i) 31 मार्च 2012 के अन्त तक राजस्व घाटे को शून्य करना था, (ii) मार्च 2012 के अन्त तक राजकोषीय घाटे को स.रा.घ.उ. का तीन प्रतिशत करना था तथा (iii) वर्ष 2014-15 में ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 26.9 प्रतिशत करना था।

तालिका 1.2 में एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, ते.वि.आ. एवं राज्य के बजटीय दस्तावेज में वर्ष 2014-15 के लिए प्रमुख राजकोषीय चरों से संबंधित लक्ष्य को दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: मुख्य राजकोषीय विचरण

(प्रतिशत में)

राजकोषीय विचरण	2014-15			
	राज्य के लिए ते. वि. आ. का लक्ष्य	एफ.आर.बी.एम. के तहत लक्ष्य	बजट के तहत लक्ष्य	वास्तविक
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व हानि(-)/राजस्व आधिक्य(+)	शून्य	शून्य	(+) 2.00	(-)0.1
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटा	3.00	3.00	(-)2.49	(-)3.3
स.रा.घ.उ. से सरकार के कुल बकाया ऋण का अनुपात	26.9	26.9	बजट में उपलब्ध नहीं	22.1

राज्य ने वर्ष 2006-07 में राजस्व घाटे को ₹ 946 करोड़ राजस्व आधिक्य में बदलते हुए एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया और वर्ष 2009-10 के ₹ 10 करोड़ के राजस्व घाटा को छोड़कर निरन्तर सुधार करते हुए वर्ष 2013-14 में ₹ 2,665 करोड़ राजस्व आधिक्य प्राप्त किया। यद्यपि 2014-15 में राज्य सरकार ने राजस्व घाटे ₹ 230 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही।


वर्ष 2014-15 के दौरान स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटे (₹ 6,564 करोड़) की प्रतिशतता 3.3 थी जो ते.वि.आ. एवं एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुमानित सीमा तीन प्रतिशत से थोड़ी ही ज्यादा थी। यह बजट में प्रावधानवित 2.49 प्रतिशत के बाहर था।

वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य का ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 22.1 प्रतिशत था जो ते.वि.आ. तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के 26.9 प्रतिशत के अनुमान के काफी भीतर था।

1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक आँकड़े

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज किसी विशेष वित्तीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के अनुमानों या प्रयोजनों की विवेचना करता है। राजस्व एवं व्यय के अनुमान में शुद्धता के महत्व को समग्र आर्थिक प्रबंधन के लिए राजकोषीय नीति को प्रभावकारी रूप से लागू करने के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। बजट अनुमान से वास्तविक तथ्यों में विचलन इच्छित राजकोषीय लक्ष्य हेतु उत्कृष्ट कार्य नहीं करने को इंगति करते हैं जो कई कारणों से होते हैं, जिसमें से कुछ सरकार के नियंत्रण में तथा कुछ सरकार के नियंत्रण में नहीं होते।

चार्ट 1.1 वर्ष 2014-15 के लिए कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदंड के बजट अनुमान तथा वास्तविक का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।



उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि वास्तविक प्राप्तियाँ व व्यय, ब्याज एवं पेंशन भुगतान को छोड़कर, वर्ष 2014-15 के राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमान से कम था। वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में कमी (₹ 11,879 करोड़ से) का मुख्य कारण राज्य बजट आकलनों के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान में अपेक्षाकृत कम राशि की प्राप्ति (₹ 8,392 करोड़) थी।

वर्ष 2014-15 के दौरान वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 7,693 करोड़ से) में कमी का कारण सामाजिक सेवाओं (₹ 5,468 करोड़ से) तथा आर्थिक सेवाओं (₹ 1,231 करोड़) में किए गए वास्तविक व्यय में हास होना था।

निर्धारित बजट से सामाजिक सेवाओं (₹ 365 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं (₹ 2,235 करोड़) पर कम व्यय होने के कारण राज्य का पूँजीगत व्यय बजट अनुमान से ₹ 2,681 करोड़ कम था जो राज्य के लिए विचारणीय है।

1.1.4 लिंगानुपातिक (जेण्डर) बजट

बजट दस्तावेज के अनुसार यह पाया गया कि जेण्डर बजट को राज्य बजट में शामिल नहीं किया गया था। तथापि, राज्य के बजट भाषण तथा विनियोजन लेखे में यह पाया गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2014-15 के राज्य बजट में महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए प्रावधान किया है जिसके ब्यौरे नीचे वर्णित है:

तालिका 1.3: महिलाओं के लिए बजट प्रावधान तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

योजना	बजट आकलन	व्यय	अभ्यर्पण
किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना	57.93	2.55	55.38
किशोरी शक्ति योजना	1.60	0.01	1.59
इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना	9.00	3.31	5.69
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	18.00	17.27	0.73
महिलाओं एवं किशोरी कन्या के दक्षता विकास की योजना	2.00	1.00	1.00
जीवन आशा	1.00	0.00	1.00
कुल	89.53	24.14	65.39

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे

तालिका 1.3 से देखा जा सकता है की वर्ष 2014-15 के दौरान महिलाओं/किशोरियों के उत्थान हेतु ₹ 89.53 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया, जिसमें से ₹ 65.39 करोड़ (73 प्रतिशत) का उपभोग नहीं किया जा सका। जो राज्य सरकार के निधि के प्रावधान के उद्देश्यों की विफलता हैं। बिना किसी कारण के (1) किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (2) किशोरी शक्ति योजना (3) जीवन आशा योजना के प्रावधानों की सम्पूर्ण राशि अभ्यर्पित कर दी गई।



1.2 राज्य के संसाधन



1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व और पूँजीगत, प्राप्तियों की दो धाराएँ हैं जो राज्य सरकार के संसाधन हैं। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्ति याँ यथा विनिवेश से प्राप्ति याँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, संवितरण के पश्चात् लोक लेखे में उपलब्ध राशि का उपयोग सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए भी किया जाता है। तालिका 1.1 (पृष्ठ सं. 3) चालू वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरण, जैसा कि वार्षिक वित्त लेखे में वर्णित है, को प्रस्तुत करता है। वर्ष 2014-15 के दौरान संसाधनों के घटक तथा उप-घटक को दर्शाने वाले फ्लो चार्ट को चार्ट 1.2 में दिया गया है, जबकि चार्ट 1.3 वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न अवयवों की प्रवृत्ति को चित्रित करता है।

चार्ट 1.4 एवं चार्ट 1.5 क्रमशः वर्ष 2013-14 तथा वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को चित्रित करते हैं।

चार्ट 1.2 : संसाधनों के घटक तथा उप-घटक





चार्ट 1.2 एवं चार्ट 1.5 से देखा जा सकता है कि:

- राज्य की कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2010-11 के ₹ 21,573 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 39,200 करोड़ हो गयी। पिछले वर्ष 2013-14 के सापेक्ष कुल प्राप्तियों में वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 8,156 करोड़ की वृद्धि हुई।
- कुल प्राप्तियों (टी.आर.) में राजस्व प्राप्तियों (आर.आर.) का भाग (आर.आर./टी.आर.) वर्ष 2012-13 के दौरान 80 प्रतिशत को छोड़कर, वर्ष 2010-11 के दौरान 87 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 के दौरान 81 प्रतिशत हो गया। 2010-11 के दौरान आर.आर. से टी.आर. को प्रतिशतता लोक ऋण प्राप्तियों एवं लोक लेखा प्राप्तियों के वृद्धि के कारण घटा।
- पिछले वर्ष की तुलना में बाजार ऋण (₹ 1,350 करोड़) में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण वर्ष 2014-15 में ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ 42 प्रतिशत बढ़ी। वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों का सी.ए.जी.आर. 28.43 प्रतिशत था।


- निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ वर्ष 2013-14 के ₹ 181 करोड़ (कुल प्राप्तियों का एक प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 912 करोड़ (कुल प्राप्तियों का दो प्रतिशत) हो गयी।

1.2.2 राज्य बजट के बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित निधि

31 मार्च 2014 तक, केन्द्र सरकार सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के वैसे विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों जिसकी पहचान दयनीय स्थिति के रूप में की गई थी के कार्यान्वयन हेतु राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को बड़ी मात्रा में निधियों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित करती रही है एवं यह निधि राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के माध्यम से नहीं गुजरती थी। इस प्रकार, इन निधियों के व्यय को राज्य के वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जाता था। अतः वार्षिक वित्तीय लेखे राज्य के संसाधनों का सम्पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते थे। जबकि भारत सरकार, द्वारा क्रियान्वयन अभिकरणों के बजाय सीधे राज्य सरकार को सभी केन्द्र प्रायोजित योजना/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी किये जाने के निर्णय से 2014-15 में क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरण ₹ 130.92 करोड़ हो गया। जो 2013-14 के (₹ 2,601.80 करोड़) की तुलना में 94.97 प्रतिशत कम था।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण-14 सरकार के राजस्व प्राप्तियों की विवेचना करता है। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर, कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2010-15 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के संघटन और प्रवृत्तियों को परिशिष्ट 1.3 में दिखाया गया है एवं चार्ट 1.6 में भी चित्रित किया गया है।



राज्य के राजस्व प्राप्तियों की विवेचना से उजागर हुआ कि:

- 2013-14 के 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ में पिछले वर्ष की अपेक्षा 20.8 प्रतिशत के दर से वृद्धि हुई। तथापि, बजट अनुमान की तुलना में, राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 11,879 करोड़ से कम थी। वर्ष 2010-15 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सी.ए.जी.आर. 13.86 प्रतिशत था।
- वर्ष 2010-11 के दौरान स्वयं का कर, कर-भिन्न राजस्व से दोगुना था जो वर्ष 2014-15 में बढ़कर 2.39 गुणा हो गया।
- वर्ष 2014-15 के दौरान केन्द्रीय कर हस्तांतरण तथा भारत सरकार के सहायता अनुदान से कुल राजस्व प्राप्तियाँ 53 प्रतिशत था जबकि शेष हिस्सा राज्य के स्वयं के संसाधनों का था।
- चालू वर्ष के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 31,565 करोड़) में राज्य के स्वयं के कर (ओ.टी.आर.) ₹ 10,350 करोड़ (33 प्रतिशत), कर-भिन्न राजस्व (एन.टी.आर.) ₹ 4,335 करोड़ (14 प्रतिशत), केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.) ₹ 9,487 करोड़ (30 प्रतिशत) और भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹ 7,393 करोड़ (23 प्रतिशत) सम्मिलित था। जबकि 2014-15 के दौरान कुल प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में भारत सरकार से प्राप्त सी.टी.टी. एवं सहायता अनुदान की हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ी। स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	18,781	22,420	24,770	26,137	31,565
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	24.2	19.4	10.5	5.5	20.8
आर.आर./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	14.8	16.5	16.3	15.1	16.0
राज्य के स्वयं के कर/स.रा.घ.उ.	4.5	5.1	5.4	5.4	5.2
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	26.5	6.6	11.8	13.9	14.3
उत्प्लावकता अनुपात¹					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.91	2.94	0.89	0.40	1.45
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावकता	1.02	3.27	1.55	1.01	0.72
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.90	0.90	0.57	0.39	2.02

¹ आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को उत्प्लावकता अनुपात इंगित करता है। जैसे- राजस्व उत्प्लावकता 0.6 का मतलब है कि यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत तक बढ़ेगा।

- राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2013-14 के 5.5 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 के 20.8 प्रतिशत तक तीव्र गति से बढ़ा।
- स.रा.घ.उ. के परिप्रेक्ष्य में राजस्व की उत्प्लावकता में भारी उतार-चढ़ाव दिखा जो वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान 0.40 तथा 2.94 के बीच था। वर्ष 2011-12 के दौरान उच्च राजस्व प्राप्तियाँ (19.4 प्रतिशत) एवं निम्न स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (6.6 प्रतिशत) के कारण यह सर्वोच्च (2.94 प्रतिशत) था। 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत थी जबकि स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर 13.9 प्रतिशत थी, फलस्वरूप राजस्व उत्प्लावकता 2013-14 में घटकर 0.40 हो गयी जो बाद में 2014-15 में 1.45 प्रतिशत तक बढ़ा।
- स.रा.घ.उ. एवं राज्य के स्वयं के कर के वृद्धि दर में अत्यधिक उतार चढ़ाव के कारण वर्ष 2010-15 के दौरान स.रा.घ.उ. के परिप्रेक्ष्य में राज्य के स्वयं के कर (ओ.टी.आर.) का उत्प्लावकता में काफी भिन्नता दिखा जो 0.72 से 3.27 के बीच था। उत्प्लावकता, वर्ष 2013-14 में 1.01 से घटकर वर्ष 2014-15 के दौरान 0.72 हो गया।
- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 के दौरान झारखण्ड के स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर में 6.6 प्रतिशत से 26.5 प्रतिशत तक का वृहत अन्तर दर्ज किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान स.रा.घ.उ. 14.3 प्रतिशत बढ़ा। तथापि वर्ष 2010-15 में स.रा.घ.उ. का सी.ए.जी.आर. 11.61 प्रतिशत था।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूँकि, वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय करों और सहायता अनुदानों में राज्य का हिस्सा निर्धारित होता है, संसाधनों को बढ़ाने में राज्य के निष्पादन को राज्य के अपने संसाधन, जिसमें स्वयं के कर तथा अन्य कर-भिन्न स्रोत शामिल हैं के रूप में मूल्यांकित किया गया।

वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों के साथ-साथ तेरहवें वित्त आयोग के मूल्यांकन एवं बजट अनुमानों के मूल्यांकन को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	ते.वि.आ. के अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक
स्वयं कर राजस्व	12,991.83	11,732.78	10,349.81
कर भिन्न राजस्व	4356.97	4966.99	4335.06

स्रोत: ते.वि.आ. रिपोर्ट, बजट दस्तावेज़ तथा वित्त लेखे 2014-15

वर्ष 2014-15 के दौरान, राज्य के स्वयं के कर का संग्रहण तेरहवें वित्त आयोग के मानक अनुमान के ₹ 10,349.81 करोड़ एवं बजट के ₹ 12,991.83 करोड़ के सापेक्ष ₹ 11,732.78 करोड़ था। प्राप्ति में कमी का प्रमुख कारण बिक्री कर एवं वाहनों कर के संग्रहण में बजट अनुमान से कमी था। वर्ष के दौरान इन शीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक संग्रहण बजट आकलन के ₹ 8,070 करोड़ एवं ₹ 740 करोड़ के सापेक्ष क्रमशः ₹ 8,959 करोड़ एवं ₹ 850 करोड़ था।

वर्ष 2014-15 में स.रा.घ.उ. से स्वयं के कर का अनुपात (5.2 प्रतिशत) महत्वपूर्ण रूप से ते.वि.आ. के अनुमान 6.75 प्रतिशत कम था।

वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य का कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,335.06 करोड़) ते.वि.आ. के अनुमान ₹ 4,356.97 करोड़ से थोड़ा कम था।

1.3.1.1 स्वयं कर राजस्व

तालिका 1.6 में मुख्य करों तथा शुल्कों के कुल संग्रहण को दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	सी ए जी आर	वर्ष 2014-15 के दौरान कर संग्रहण पर प्रतिशत में व्यय	वर्ष 2013-14 के दौरान कर संग्रहण पर प्रतिशत में व्यय
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4473	5522	6422	7305	8070	15.90	0.59	0.65
राज्य उत्पाद	388	457	578	628	740	17.52	1.92	2.36
वाहनों पर कर	312	392	465	495	660	20.60	0.94	1.04
स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	328	401	492	502	531	12.80	2.75	2.46
भूमि राजस्व	131	53	96	230	84	-10.51	NA	NA
यात्रियों तथा सामाग्री पर कर	21	41	1	1	1	-53.29	NA	NA
अन्य कर	64	88	170	219	264	42.65	NA	NA
कुल स्वयं कर राजस्व	5717	6954	8224	9380	10350	16.00		

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2014-15 में कुल कर राजस्व में बिक्री कर का योगदान 78 प्रतिशत एवं राज्य उत्पाद (सात प्रतिशत), वाहनों पर कर (छः प्रतिशत) तथा अन्य करों का योगदान पाँच प्रतिशत से कम था जो 2010-11 के समान था। राज्य का कर राजस्व 2010-11 के ₹ 5,717 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 10,350 करोड़ हो गया। यह 2014-15 में पिछले वर्ष के तुलना में 10.30 प्रतिशत से बढ़ा जो 2013-14 के तुलनात्मक वृद्धि (14 प्रतिशत) से कमतर था। 2010-15 के दौरान राज्य के स्वयं कर राजस्व का सी.ए.जी.आर. 16 प्रतिशत था।

वाणिज्य कर विभाग ने 2014-15 के दौरान कर राजस्व में वृद्धि का श्रेय, बेहतर कर प्रशासन के साथ-साथ ₹ 37.79 करोड़ के विशाल बकाये की वसूली को दिया। वाहनों के कर में वृद्धि का कारण चूककर्ता वाहनों से बकाये करों की प्राप्ति एवं नये वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि को बताया गया, जबकि विभाग के अनुसार राज्य उत्पाद की प्राप्तियों में वृद्धि भारत में निर्मित विदेशी शराब के शुल्क की दर में वृद्धि के कारण हुआ। 2014-15 के दौरान अन्य करों में वृद्धि मुख्यतः बिजली पर करों एवं शुल्कों में वृद्धि के कारण था। इस अवधि में बिजली पर करों एवं शुल्कों में वृद्धि का कारण विभाग द्वारा बेहतर कर प्रशासन को बताया गया।

भू-राजस्व की प्राप्तियों में 2013-14 के ₹ 230 करोड़ के तुलना में 2014-15 में ₹ 84 करोड़ तक तीव्र हास हुआ। विभाग द्वारा हास में कमी का कोई कारण नहीं बताया गया।

स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क के अलावे, जो कि 2013-14 के 2.46 प्रतिशत से 2014-15 में बढ़कर 2.75 प्रतिशत हो गया, अन्य सभी करों में कर-संग्रहण मूल्य में कमी आयी।

1.3.1.2 कर भिन्न राजस्व

ते.वि.आ. के मानक ₹ 4,357 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2014-15 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व ₹ 4,335 करोड़ था।

वर्ष 2010-15 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की घटक-वार स्थिति को तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: कर भिन्न राजस्व की घटक-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ब्याज प्राप्तियाँ	98.74	44.16	72.23	69.48	143.04
लाभांश एवं लाभ	0.40	1.17	15.00	18.00	0.00
अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	2703.75	2992.89	3448.40	3665.23	4192.02
कुल	2802.89	3038.22	3535.63	3752.71	4335.06

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियों में कर भिन्न राजस्व का हिस्सा दोनों वर्षों 2013-14 एवं 2014-15 में 14 प्रतिशत रहा। वर्ष 2013-14 के दौरान छः प्रतिशत की वृद्धि के विरुद्ध वर्ष 2014-15 के दौरान एन.टी.आर. में महत्वपूर्ण वृद्धि मुख्यतः खनिज एवं धातुकर्म उद्योगों (243 करोड़) एवं वृहत सिंचाई विभाग से प्राप्तियाँ (₹ 125 करोड़) के अन्तर्गत प्राप्ति के कारण 16 प्रतिशत हो गया। यह वर्ष 2010-15 के दौरान कर भिन्न राजस्व का सी.ए.जी.आर. 11.52 प्रतिशत था।

1.3.2 भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान

गैर-योजना, राज्य योजना, केन्द्र प्रायोजित तथा केन्द्रीय योजना स्कीमों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदानों के विमुक्ति की प्रवृत्ति तालिका 1.8 में दर्शायी गई हैं:

तालिका 1.8: भारत सरकार द्वारा विमुक्त घटक-वार अनुदान

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
गैर-योजना अनुदान	1281.40	1550.77	1483.41	1319.91	1780.26
राज्य योजना के लिए अनुदान	1826.99	2404.61	2393.94	1565.83	4914.69
केन्द्रीय योजना के तहत अनुदान	8.62	66.87	30.81	28.28	83.56
केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	990.24	1235.16	914.05	1150.96	614.17
कुल	4107.25	5257.41	4822.21	4064.98	7392.68
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशतता	46	28	(-)8	(-)16	82
राजस्व प्राप्तियों का कुल अनुदान के सापेक्ष प्रतिशतता	21.87	23.45	19.47	15.55	23.42

(₹ करोड़ में)

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- वर्ष 2014-15 के दौरान, भारत सरकार से ₹ 7,392.68 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ जो वर्ष 2013-14 के ₹ 4,064.98 करोड़ से (82 प्रतिशत) अधिक था।
- वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार से गैर योजना अनुदान ₹ 1,319.91 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 1,780.26 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण वर्ष 2014-15 के दौरान अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत अधिक अनुदान प्राप्ति था।
- वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य योजना अनुदान 2013-14 के ₹ 1,565.83 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,914.69 करोड़ हो गया, जो मुख्यतः राज्य कार्यक्रमों में केंद्रीय कार्यक्रमों को समाविष्ट कर लेने तथा अनुदानों का विमोचन केंद्र सरकार द्वारा सीधे क्रियान्वयन अभिकरणों को करने के वजाय राज्य बजट के द्वारा किये जाने के कारण हुआ।

1.3.3 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.) वर्ष 2013-14 में ₹ 8,939 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 9,487 करोड़ हुआ। पिछले वर्ष के सापेक्ष 2014-15 में राज्य के सी.टी.टी. में ₹ 548 करोड़ (छ: प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः निगम कर से आय पर कर (₹ 307 करोड़), निगम कर से भिन्न आय (₹ 386 करोड़) के अंतर्गत हुई। वर्ष 2014-15 के दौरान सी.टी.टी. राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 30 प्रतिशत था।

तालिका 1.9: केन्द्रीय कर हस्तांतरण

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	सीएजीआर
केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.),	6154	7170	8188	8939	9487	11.43
आर.आर. में सी.टी.टी. का अंश	32.77	31.98	30.06	34.20	30.06	--

1.3.4 तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग

तेरहवें वित्त आयोग ने झारखण्ड सरकार को अपने विभिन्न विभागों के कार्यों में सुधार हेतु अनुदान की सिफारिश की। उन अनुदानों में से 2014-15 के दौरान प्राप्त कुछ अनुदानों की स्थिति तालिका 1.10 में दी गयी है:

तालिका 1.10: तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	ते.वि.आ. के सिफारिश से प्राप्त अनुदान	संबद्ध लेखा शीर्ष के तहत व्यय	अप्रयुक्त राशि
1	12 - वित्त विभाग	10.00	3.01	6.99
2	13- ब्याज भुगतान	1.85	0.14	1.71
3	19- वन विभाग	133.68	89.58	44.10
4	22- गृह विभाग	149.00	149.00	0.00
5	25- सांस्थिक वित्त एवं योजना क्रियान्वयन विभाग	23.28	0.00	23.28
6	26- श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	152.75	127.30	25.45
7	27- कानून विभाग	115.67	32.39	83.28
8	28- उच्च न्यायालय झारखण्ड	13.40	3.24	10.16
9	35 - योजना एवं विकास विभाग	21.51	7.11	14.40
10	39- आपदा प्रबंधन विभाग	312.54	288.74	23.80
11	42- ग्रामीण विकास विभाग	524.62	685.66	(-)161.04
12	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	46.56	23.28	23.28
13	44 - मानव संसाधन विकास विभाग	636.51	373.00	263.51
14	45- सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	90.16	57.90	32.26
15	48- शहरी विकास विभाग	286.29	131.55	154.74
16	49- जल संसाधन विभाग	49.34	0.00	49.34
17	50- लघु सिंचाई विभाग	4.66	0.00	4.66

18	51- कल्याण विभाग	31.25	0.00	31.25
19	52- खेल-कूद, कला, संस्कृति एवं युवा मामलों का विभाग	56.00	53.00	3.00
20	55- ग्रामीण कार्य विभाग	263.09	179.86	83.23
21	56- पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी.	1451.69	923.52	528.17
22	59- प्राथमिक एवं लोक शिक्षा	893.83	668.00	225.83
23	60- समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	378.00	313.02	64.98
	कुल	5645.68	4109.30	1536.38

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे 2014-15

उपरोक्त तालिका 1.10 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2014-15 के दौरान ते.वि.आ. की सिफारिशों के तहत कुल ₹ 5,645.68 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। उक्त अवधि में ते.वि.आ. के सिफारिश के आधार पर किये गये बजट प्रावधान में से ₹ 4,109.30 करोड़ (73 प्रतिशत) का उपयोग किया गया एवं 2014-15 के अंत तक ₹ 1,536.38 करोड़ (27 प्रतिशत) अप्रयुक्त रहा।

1.3.5 त्यक्त राजस्व

1.3.5.1 करों की कम उगाही, उगाही नहीं एवं करों का कम निर्धारण

वर्ष 2014-15 के दौरान वाणिज्य कर, राज्य उत्पाद , भू-राजस्व, निबंधन तथा खनन एवं भूतत्व विभाग की 114 इकाईयों के दस्तावेजों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान, ₹ 1,247.70 करोड़ से संबंधित कम उगाही, कम निर्धारण एवं उगाही नहीं के 6,699 मामले पाये गये। वर्ष 2013-14 के दौरान विभाग ने 4,052 मामलों में ₹ 715.61 करोड़ को स्वीकार किया। इसी अवधि के दौरान विभाग ने 340 मामलों में ₹ 3.37 करोड़ की वसूली की।

1.3.5.2 बकाया राजस्व

31 मार्च 2015 तक तीन विभागों (वाणिज्य कर, वाहन तथा राज्य उत्पाद) में ₹ 3,311.93 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 2,347.84 करोड़ की राशि पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थी। राजस्व बकाये का मुख्य भाग वाणिज्यिक कर विभाग (₹ 3,005.51 करोड़) और परिवहन विभाग (₹ 276.09 करोड़) से संबंधित था। अन्य विभागों के बकाया राजस्व की सूचना उपलब्ध नहीं की गई थी (अगस्त 2015)।

31 मार्च 2015 तक कुल राजस्व बकाया राज्य के कुल राजस्व का 10 प्रतिशत तथा वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के स्वयं के संसाधन का 23 प्रतिशत था।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों के अलावे, राज्य पूँजीगत प्राप्तियाँ भी प्राप्त करता है जिसमें विनिवेश से प्राप्तियाँ, सरकार द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम की वसूली, वित्तीय संस्थाओं से सरकार का आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल है। वर्ष 2010-15 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों का विवरण नीचे तालिका 1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: प्राप्तियों की संरचना तथा वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य के प्राप्तियों के स्रोत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
पूँजीगत प्राप्तियाँ (सी.आर.)	2471	2695	5242	4726	6723
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	24	24	43	23	33
लोक ऋण प्राप्तियाँ	2447	2671	5199	4703	6690
पूँजीगत ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)27.4	9.2	94.6	-9.5	42.3
गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.1	0.0	79.2	-46.51	43.48
स.रा.घ.उ. का वृद्धि दर	26.5	6.6	11.8	13.9	14.3
सी.आर. का वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)27.1	9.1	94.5	-9.8	42.3

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2013-14 के ₹ 4,726 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के दौरान, पूँजीगत प्राप्तियों में ₹ 6,723 करोड़ तक की वृद्धि मुख्यतः लोक ऋण प्राप्तियों में वर्ष 2013-14 के ₹ 4,703 करोड़ के सापेक्ष 2014-15 में ₹ 6,690 करोड़ के वृद्धि थी, जो बाजार ऋण में 2013-14 के ₹ 2,950 करोड़ से 2014-15 में ₹ 4,950 करोड़ की प्रमुख वृद्धि के कारण थी। राज्य के पूँजीगत प्राप्तियों का सी.ए.जी.आर. 28.43 प्रतिशत था।

वित्त लेखे के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान विनिवेश से आय 'शून्य' था।

1.4.1 ऋण एवं अग्रिम से वसूली

दिए गए ऋण एवं अग्रिम की तुलना में वसूली काफी कम थी। विगत पाँच वर्षों में प्राप्त वसूली एवं दिए गए ऋण का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.12: ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ऋणों का आरंभिक शेष	6713	6997	7190	7748	7947
दिया गया ऋण	308	21	601	222	824
की गई वसूली	24	24	43	23	33
ऋणों का अंतिम शेष	6997	7190	7748	7947	8738

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.ई.बी.) जिसे वर्ष 2013 में चार भागों में बाँट दिया गया, प्रत्येक वर्ष दिये गए ऋण एवं अग्रिम के मुख्य प्राप्तकर्ता था परन्तु, इसका कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप 31 मार्च 2015 के अंत में विद्युत प्रक्षेत्र का शेष ₹ 8,080 करोड़ हो गया था। 2014-15 के दौरान विद्युत प्रक्षेत्र को ₹ 421 करोड़ का ऋण दिया गया। पुनर्भुगतान मुख्यतः सरकारी सेवकों के ऋण एवं अग्रिमों के विरुद्ध प्राप्त किया गया था। वर्ष 2010-15 के दौरान दिये गये ऋण तथा ऋण के अंतिम शेष का सी.ए.जी.आर. क्रमशः 27.89 एवं 5.71 प्रतिशत था।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

संसाधनों के अंतर को भरने तथा पूँजीगत खर्च को पूरा करने के लिए राज्य ने आंतरिक बाजार से निधि की उगाही की। आंतरिक बाजार उधार वर्ष 2010-11 के ₹ 2,315 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 6,537 करोड़ तथा सी.ए.जी.आर. 29.63 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान आंतरिक ऋण के प्रमुख घटक बाजार उधार (₹ 4,950 करोड़) कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक से ऋण (₹ 790 करोड़) एवं केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि से निर्गत विशेष प्रत्याभूति के रूप में था। वर्ष के दौरान कोई अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया गया।

1.4.3 भारत सरकार (भा.स.) से ऋण तथा अग्रिम

राज्य योजना कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम प्राप्त हुए थे एवं 2010-15 के दौरान ये ₹ 33 करोड़ से ₹ 239 करोड़ के मध्य दोलित था। यह 2010-11 में ₹ 132 से 2014-15 में ₹ 153 करोड़ तक बढ़ा।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

विशेष प्रकार के लेन-देन यथा-लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अधीन समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं तथा जो राज्य के विधानमंडल के वोट का विषय नहीं होते हैं, के संदर्भ में

प्राप्तियाँ तथा संवितरण लोक लेखा के अंतर्गत रखे जाते हैं। संवितरण के पश्चात् सरकार के पास उपलब्ध शेष निधि सरकार के उपयोग के लिए होती है। तालिका 1.13 में लोक लेखा प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: लोक लेखा प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के तहत संसाधन	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
लोक लेखा प्राप्तियाँ	7721	10813	14495	14275	20189
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	572	613	668	760	843
आरक्षित निधि	शून्य	138	280	293	308
जमा तथा अग्रिम	3670	5236	8706	7204	12182
उचंत तथा विविध	181	306	199	-59	18
प्रेषण	3298	4520	4642	6077	6838

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे


जमा एवं अग्रिम में 2013-14 के ₹ 7,204 करोड़ की तुलना में 2014-15 में ₹ 12,182 की वृद्धि के कारण लोक लेखा प्राप्तियों में 2013-14 के ₹ 14,275 करोड़ से 2014-15 के ₹ 20,182 करोड़ तक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। जमा एवं अग्रिम में वृद्धि मुख्यतः बाजार ऋण ₹ 1,995 करोड़, राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधि ₹ 1,388 करोड़ एवं स्वास्थ्य एवं जन कल्याण निधि ₹ 136 करोड़ के अन्तर्गत हुई। 2010-15 के अवधि के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों सी.ए.जी.आर. का 27.16 प्रतिशत था।

1.6 संसाधनों के अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के प्रावधानों का विश्लेषण उल्लेखनीय महत्व रखता है क्योंकि उन्हें वृहत व्यय करने का कार्यभार सौंपा गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के अन्तर्गत, घाटे और उधार द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय के बढ़ाने में बजटीय बाध्यता होती है। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चल रहे राजकोषीय शुद्धि और समेकन प्रक्रिया लागत व्यय, विशेषकर सामाजिक क्षेत्रों के विकास के लिये निर्देशित व्यय पर नहीं है।

1.6.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट 1.7 विगत पाँच वर्षों (वर्ष 2010-15) के दौरान कुल व्यय तथा इसके संघटकों की प्रवृत्तियाँ को दर्शाता है।



विगत पाँच वर्षों से कुल व्यय का सी.ए.जी.आर. की वृद्धि दर 16.22 प्रतिशत थी। वर्ष 2014-15 के दौरान पिछले वर्ष 2013-14 की तुलना में कुल व्यय में मामूली वृद्धि (₹ 9,746 करोड़ से) हुई थी।

- कुल व्यय में से, राजस्व व्यय 83 प्रतिशत था जबकि पूँजीगत व्यय 15 प्रतिशत था। ऋण एवं अग्रिम का वितरण कुल व्यय का केवल दो प्रतिशत था।
- वर्ष 2014-15 के दौरान क्रमशः गैर-योजना व्यय एवं योजना वर्ष 2013-14 के दौरान क्रमशः 60 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत व्यय कुल व्यय का 51 प्रतिशत तथा 49 प्रतिशत के सापेक्ष था, जो एक गुणात्मक सुधार था।

1.6.1.1 पूँजीगत व्यय

वर्ष 2014-15 के दौरान पूँजीगत व्यय वर्ष 2013-14 के ₹ 4,722 करोड़ से बढ़कर ₹ 5,543 करोड़ हो गया। कुल व्यय से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2013-14 के 17 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2014-15 में 15 प्रतिशत हो गयी। स.रा.घ.उ. से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2013-14 के 2.7 प्रतिशत के विरुद्ध में वर्ष 2014-15 में 2.8 प्रतिशत रही।

1.6.2 राजस्व व्यय (आर.ई.)

वर्ष 2013-14 के 82 प्रतिशत के विरुद्ध 2014-15 का राजस्व व्यय (रा.व्य.) कुल व्यय (₹ 38,162 करोड़) का 83 प्रतिशत था। रा.व्य. वर्ष 2010-11 के ₹ 17,945 करोड़ से बढ़कर (77 प्रतिशत से) वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 31,795 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान स.रा.घ.उ. का राजस्व व्यय 16.1 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान रा.व्य. का सी.ए.जी.आर. 15.37 प्रतिशत था।

1.6.2.1 योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.)

योजनागत राजस्व व्यय वर्ष 2013-14 में ₹ 6,288 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 12,436 करोड़ हो गया। इस वर्ष के दौरान पी.आर.ई. बजट आकलन से ₹ 5,505 करोड़ कम था। कुल राजस्व व्यय में योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा वर्ष 2013-14 के 27 प्रतिशत से वर्ष 2014-15 में बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया। पी.आर.ई. में वृद्धि सामान्य सेवाओं (₹ 664 करोड़ से), सामाजिक सेवाओं (₹ 3,700 करोड़ से) एवं आर्थिक सेवायें (₹ 3959 करोड़ से) के कारण हुआ। वर्ष 2010-15 के दौरान योजना राजस्व व्यय का सी.ए.जी.आर. 19.97 प्रतिशत था।

1.6.2.2 गैर-योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.)

वर्ष 2014-15 के दौरान ते.वि.आ. की सिफारिश ₹ 17,376.93 करोड़ तथा बजट अनुमान ₹ 21,547 करोड़ के विरुद्ध गैर-योजना राजस्व व्यय ₹ 19,359 करोड़ था। गैर-योजना राजस्व व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2013-14 के 10 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 13 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2010-15 के दौरान कुल राजस्व व्यय से गैर-योजना राजस्व व्यय का प्रतिशतता 61 प्रतिशत से 73 प्रतिशत के बीच दोलित रही। वर्ष 2014-15 के दौरान गैर-योजना राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का 61 प्रतिशत रहा। राज्य के एन.पी.आर.ई. का सी.ए.जी.आर. वर्ष 2010-15 के दौरान 12.84 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2014-15 के दौरान सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत एन.पी.आर.ई. मुख्यतः शिक्षा (₹ 3,053) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 709 करोड़), समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 313 करोड़) तथा जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास व शहरी विकास (₹ 446 करोड़) पर किया गया। आर्थिक सेवाओं के तहत एन.पी.आर.ई. मुख्यतः ऊर्जा (₹ 2,109 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 876 करोड़), कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप (₹ 469 करोड़) तथा परिवहन (₹ 361 करोड़) पर किया गया।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार का प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर व्यय शामिल है। तालिका 1.14 तथा चार्ट 1.8 वर्ष 2010-15 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

तालिका 1.14: वेतन और मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन तथा ब्याज भुगतान पर व्यय के अवयव

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के अवयव	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					बजट आकलन [#]	वास्तविक
वेतन*, और मजदूरी, जिसमें	5642(30)	6352(28)	6446(26)	6934(27)	9553	7417(24)
गैर योजना शीर्ष	5434(29)	6150(27)	6270(25)	6766(26)	9236	7193(23)
योजना शीर्ष	208(1)	202(1)	176(1)	168(1)	317	224(1)
ब्याज भुगतान	2228(12)	2267(10)	2391(10)	2614(10)	2729	2929(9)
पेंशन	2081(11)	2297(10)	2931(12)	3484(13)	4288	3463(11)
सब्सिडी	80	286(2)	270(1)	187(1)	₹	246(1)
कुल	10031(53)	11202(50)	12054(49)	13219(51)		14055(45)


स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे


कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

* इसमें सहायता अनुदान से वेतन भुगतान सम्मिलित है।

बजट अनुमान के सकल आँकड़े जबकि वास्तविक के शुद्ध आँकड़े हैं।

₹ बजट उपलब्ध नहीं है।





वर्ष 2010-11 के दौरान गैर-योजना राजस्व व्यय के सापेक्ष सब्सिडी की प्रतिशतता लगभग नगण्य रही।

वर्ष 2013-14 के 55 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के दौरान वेतन एवं मजदूरी (₹ 7,417 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 2,929 करोड़) और पेंशन (₹ 3,463 करोड़) सम्मिलित रूप से राजस्व व्यय का 43 प्रतिशत लेखापित था एवं वर्ष 2013-14 के 50 प्रतिशत के सापेक्ष 2014-15 में राजस्व प्राप्तियों का 44 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 के दौरान वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर कुल गैर योजना व्यय सम्मिलित रूप से गैर-योजना राजस्व व्यय का 71 प्रतिशत लेखापित था।

- वर्ष 2010-15 के दौरान राजस्व व्यय (आर.ई.) में वेतन एवं मजदूरी व्यय 23 प्रतिशत से 31 प्रतिशत के बीच रहा। राजस्व व्यय से वेतन एवं मजदूरी की प्रतिशतता वर्ष 2013-14 के 30 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 23 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार राजस्व प्राप्तियों से वेतन एवं मजदूरी की प्रतिशतता भी वर्ष 2013-14 के 27 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 24 प्रतिशत हो गया। वेतन एवं मजदूरी का सी.ए.जी.आर. वर्ष 2010-15 के दौरान 7.08 प्रतिशत था।

- वर्ष 2014-15 के दौरान गैर-योजना शीर्ष के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी पर व्यय (₹ 7,193 करोड़) में पिछले वर्ष के सापेक्ष ₹ 427 करोड़ (छ: प्रतिशत) की वृद्धि हुई। उक्त व्यय ते.वि.आ. के मानक अनुमान (₹ 6,411 करोड़) से ₹ 782 करोड़ अधिक रहा।

पेंशन

- पेंशन पर व्यय 13.58 प्रतिशत के सी.ए.जी.आर. के साथ वर्ष 2010-11 के ₹ 2,081 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 3,463 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान पेंशन पर व्यय पिछले वर्ष के सापेक्ष घटकर ₹ 21 करोड़ रहा। पिछले वर्ष की 19 प्रतिशत के तुलना में पेंशन का वृद्धि दर 2014-15 में (-)0.6 प्रतिशत के

ऋणात्मक था। पेंशन भुगतान 2014-15 के लिए बजट अनुमान (₹ 4,288 करोड़) से ₹ 825 करोड़ (19 प्रतिशत) कम था।

- भविष्य में पेंशन तथा पेंशन संबंधी लाभ के बोझ को कम करने के लिए राज्य ने 01 जनवरी 2004 से अंशदायी पेंशन योजना को अपनाया है। राज्य ने नयी पेंशन स्किम ट्रस्ट के साथ 20 मार्च 2009 को एक करार किया।

ब्याज भुगतान

- ते.वि.आ. के ₹ 3,827 करोड़ के मानक अनुमान के विरुद्ध वर्ष 2014-15 के दौरान ब्याज भुगतान ₹ 2,929 करोड़ रहा। पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज भुगतान की वृद्धि दर 12 प्रतिशत थी। राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में, ब्याज भुगतान वर्ष 2014-15 के दौरान नौ प्रतिशत थी। वर्ष 2010-15 के दौरान राज्य द्वारा भुगतान किये गये ब्याज का सी.ए.जी.आर. 7.08 प्रतिशत था।
- वर्ष 2013-14 तथा वर्ष 2014-15 के दौरान ब्याज भुगतान के मुख्य घटक तालिका 1.15 में दिए गये हैं:

तालिका 1.15: ब्याज भुगतान के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

भुगतान किया गया ब्याज	2013-14	औसत ब्याज दर	2014-15	औसत ब्याज दर
आंतरिक ऋण	2229.18	8.39	2530.62	8.34
भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम	147.37	6.99	131.94	6.31
लघु बचत भविष्य निधि इत्यादि	235.96	15.18	262.93	18.04
अन्य	1.93	0.03	3.66	0.05
कुल	2614.44	7.22	2929.15	7.22

सब्सिडी

- वर्ष 2014-15 के दौरान झारखण्ड सरकार ने ₹ 246 करोड़² का भुगतान सब्सिडी के रूप में शीर्ष 2401-फसल उत्पादन (₹ 184.56 करोड़) तथा शीर्ष 2852-उद्योग (₹ 32.54 करोड़), 2403-पशु-पालन (₹ 11.93 करोड़) के अन्तर्गत किया जो विशेष रूप से सब्सिडी हेतु उप-शीर्ष के अधीन दर्ज किए गये थे। वर्ष 2013-14 के ₹ 187 करोड़ की सब्सिडी के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के दौरान सब्सिडी की राशि बढ़कर ₹ 246 करोड़ हो गई।
- वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे के परिशिष्ट II के अनुसार, खाद्य, ऊर्जा एवं सिंचाई हेतु कोई सब्सिडी नहीं दी गई।

² वित्त लेखे के परिशिष्ट II

1.6.4 वृहत कार्यक्रम

राज्य में सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत कई फ्लैगशिप योजनाएँ कार्यान्वित हुई, जिसके लिए बजट में राज्य योजना (रा.यो.) तथा केन्द्रीय योजना (के.यो.) के तहत निधियाँ प्रदान की गईं। वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य योजना के अन्तर्गत 31 मुख्य फ्लैगशिप योजनाओं के लिए ₹ 11,249 करोड़ का बजट आवंटन किया गया, जिसमें से ₹ 9,710.41 करोड़ का उपयोग किया गया। केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत किये गये ₹ 2,145.10 करोड़ के बजट आवंटन के विरुद्ध ₹ 750.62 करोड़ का उपयोग किया गया।

वर्ष 2014-15 के दौरान कुछ वृहत कार्यक्रमों पर रा.यो. तथा के.यो. के अन्तर्गत हुए वास्तविक व्यय तथा बजट प्रावधान को तालिका 1.16 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.16 वृहत कार्यक्रमों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	बजट प्रावधान	व्यय
राज्य योजना			
1.	मुख्य सड़क	1922.00	1779.52
2.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क	723.00	521.41
3.	सर्व शिक्षा अभियान	566.50	566.50
4.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	450.00	281.75
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना	350.11	191.71
6.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	313.04	104.51
केन्द्रीय योजना			
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	990.75	364.68
2.	विश्व बैंक द्वारा पोषित आईसीडीएस परियोजना IV	3860.00	259.83
3.	समेकित बाल विकास परियोजना	284.64	130.59

जैसा कि तालिका 1.16 से स्पष्ट है कि विश्व बैंक द्वारा पोषित आई.सी.डी.एस. परियोजना IV पर व्यय (₹ 259.83 करोड़) इस योजना के लिए प्रदत्त कुल बजट का केवल 7 प्रतिशत (₹ 3,860.00 करोड़) था पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पर व्यय (₹ 281.75 करोड़) भी ₹ 450.00 करोड़ के बजट अनुमान के तुलना में काफी कम था।

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

पिछले तीन वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वर्ष 2014-15 के दौरान अनुदान एवं ऋण के रूप में सहायता की प्रमात्रा तालिका 1.17 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.17: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
पंचायती राज्य संस्थाएँ (पी.आर.आई.)	875.69	581.06	3078.86	910.68	3378.42
शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.)	246.15	25.34	330.54	88.38	1619.77
सार्वजनिक उपक्रम	491.55	777.00	450.02	1528.89	3643.86
स्वायत्त निकाय	607.55	677.85	1837.02	2451.34	2512.95
गैर-सरकारी संस्थाएँ	192.43	209.68	199.40	106.65	684.99
अन्य	708.34	2259.30	1054.48	1335.91	564.03
कुल	3121.71	4530.23	6950.32	6421.85	12404.02
राजस्व व्यय, प्रतिशत के रूप में	17.31	21.58	29.70	27.36	39.01

स्रोत: वित्त लेखे के विवरणी आठ

स्थानीय निकायों को दी गई वित्तीय सहायता (-)22.66 प्रतिशत के सी.ए.जी.आर. के दर से वर्ष 2010-11 के ₹ 3,121.71 करोड़ से निरन्तर बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 12,404.02 करोड़ हो गया। वित्तीय सहायता की वृद्धि दर 2013-14 (-) आठ प्रतिशत से 2014-15 में 53 प्रतिशत के बीच तेजी से बढ़ा। यू.एल.बी. एवं पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता के उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट शीर्ष 3604- यू.एल.बी. एवं पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता के बजाय शहरी विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के नियमित सेवा शीर्षों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। पी.आर.आई. एवं यू.एल.बी. को दी गई सहायता राशि में संबंधित विभागीय व्यय के लेखों के अंतर्गत लघु शीर्ष 191, 192, 193, 196, 197 एवं 198 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराई गई राशि (₹ 582 करोड़) शामिल नहीं है।

1.6.5 स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों की कार्य प्रणाली और निधियों का हस्तांतरण

स्थानीय शहरी निकाय (यू.एल.बी.)

74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) में उन शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन के निर्माण को परिकल्पित किया गया जहाँ नगरपालिकाओं को शासन के लिए संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तदनुसार 18 कार्यो यथा- नगर योजना, भू-प्रयोग विनियमन, जल-आपूर्ति इत्यादि स्थानीय निकायों के नामे किया जाना था। पुनः ग्यारहवें वित्त आयोग (इ.एफ.सी.) की सिफारिशों के अनुसार, स्थानीय निकायों के लिए निधि लघु-शीर्षों 191-नगर निगमों को सहायता, 192-नगर पालिकाओं/परिषदों को सहायता और 193-नगर पंचायतों को सहायता के अधीन आवंटित किए जाने हैं। राज्य सरकार ने झारखण्ड नगर पालिका अधिनियम, 2011 में समाविष्ट सभी 18 कार्यो को

फरवरी 2012 में सौंपा जिसे परिशिष्ट 1.5 भाग ए में दर्शाया गया है। अभी राज्य में 39 यू.एल.बी. (नगर निगम-3, नगर परिषद-14, नगर पंचायत-19, नगर पालिका-1 तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति-2) हैं।

तालिका 1.18 में देखा जा सकता है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान यू.एल.बी. को ₹ 2,310 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। वर्ष 2010-15 के दौरान यू.एल.बी. को प्रदत्त वित्तीय सहायता में काफी उतार चढ़ाव हुआ। जबकि, यह 2014-15 में ₹ 1,620 करोड़ तक बढ़ा।

यू.एल.बी को उपलब्ध कराई गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 1.18: स्थानीय शहरी निकायों को उपलब्ध निधियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.)	18781	22420	24770	26137	31565	123673
राज्य का राजस्व व्यय (आर.ई.)	17945	20992	23400	23472	31795	117604
स्थानीय शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	246	25	331	88	1620	2310
राजस्व प्राप्तियों में वित्तीय सहायता का प्रतिशतता	1.31	0.11	1.34	0.34	5.13	1.87
राजस्व व्यय में वित्तीय सहायता की प्रतिशतता	1.37	0.12	1.41	0.37	5.10	1.96
स्वयं के संग्रह ³	3.23	46.33	88.03	45.54	8.96	192.09

जनवरी 2009 में गठित द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने सितम्बर 2015 तक स्थानीय शहरी निकायों को राशि सौंपने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की थी। पुनः स्थानीय निकायों को कार्यों तथा निधियों के हस्तांतरण से संबंधित सूचना नगर विकास विभाग से माँगी गयी थी (सितम्बर 2012, सितम्बर 2013 एवं नवम्बर 2013, जून 2015 एवं सितम्बर 2015)। सरकार का जवाब अप्राप्त है (सितम्बर 2015)।

झारखण्ड में, राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को स्थानीय निकायों (स्थानीय शहरी निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं) के लेखापरीक्षा के पर्यवेक्षण तथा तकनीकी मार्गदर्शन का कार्यभार (टी.जी.एस.) अक्टूबर, 2011 में सौंपा है। तदनुसार, बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, 1925 को मार्च, 2012 में संशोधित किया गया जिसके तहत राज्य स्तर पर निदेशक-स्थानीय निधि (डी.एल.एफ.ए.) द्वारा लेखा परीक्षा करने का प्रावधान अंतर्निहित है जिसे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन व दिशानिर्देश दिया जाना था। राज्य सरकार ने डी.एल.एफ.ए. को कार्यशील बनाने के लिए 22 पदों का सृजन (मार्च 2013) में किया एवं नवम्बर 2014 में डी.एल.एफ.ए. की नियुक्ति की, परन्तु

³ अपने स्रोतों से स्थानीय शहरी निकायों द्वारा संग्रहित निधियों के संबंध में सूचना शहरी विकास विभाग को नहीं उपलब्ध कराये गये। तथापि, यू. एल.बी. के लेखा परीक्षा के दौरान सूचना एकत्रित की गई।

डी.एल.एफ.ए. को अभी तक परिचालित नहीं किया गया है, जबकि महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा अप्रैल 2012 से टी.जी.एस. के अनुसार स्थानीय निकायों का जाँच परीक्षा के आधार पर लेखापरीक्षा किया जा रहा है।

पंचायती राज संस्थाएँ

राज्य सरकार ने त्रि-स्तरीय पी.आर.आई. प्रणाली अर्थात् जिला स्तर पर जिला पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति व ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन के लिए 2001 में झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम पास किया। पी.आर.आई. को स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने हेतु नियम बनाये गये। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पी.आर.आई. को हस्तांतरित निधियों का वर्गीकरण, मुख्य 2215 जल आपूर्ति एवं स्वच्छता एवं 2217 शहरी विकास के अन्तर्गत लघु-शीर्षो 196-जिला परिषद् को सहायता, 197-प्रखंड पंचायत को सहायता और 198-ग्राम पंचायत को सहायता के अधीन किया गया है।

झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001 के अनुसार केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा विमुक्त निधियों का प्रयोग पंचायती राज संस्थानों द्वारा ग्रामीण जनता के नागरिक सुविधाओं के मदों से संबंधित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के निष्पादन पर खर्च किया जाना था। वर्तमान में राज्य में कुल 4,706 पंचायती राज संस्थाएँ⁴ हैं। वर्ष 2010-15 के दौरान, पंचायती राज संस्थानों को कुल ₹ 8,825 करोड़ का भुगतान किया गया जो निम्नवत है:

तालिका 1.19 पंचायती राज संस्थानों को उपलब्ध निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (आर. आर.)	18781	22420	24770	26137	31565	123673
राज्य का राजस्व व्यय (आर. ई.)	17945	20992	23400	23472	31795	117604
पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता	876	581	3079	911	3378	8825
राजस्व प्राप्तियों से वित्तीय सहायता की प्रतिशतता	4.66	2.59	1.96	3.49	10.70	7.14
राजस्व व्यय में वित्तीय सहायता की प्रतिशतता	4.88	2.77	2.08	3.88	10.62	7.50
स्वयं से संग्रह **	--	--	--	--	--	--

**राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा नहीं की गई है।

जनवरी 2009 में गठित द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने सितम्बर 2015 तक पी.आर.आई. को निधि प्रदान करने संबंधी कोई सुझाव नहीं दिया था। राज्य सरकार अक्टूबर 2012 में पंचायतों को निधियों के अंतरण का आदेश जारी किया। जैसा कि

⁴ 24 जिला परिषदें, 259 पंचायत समितियाँ, एवं 4,423 ग्राम पंचायतें

परिशिष्ट 1.5 भाग बी में वर्णित है, कुल अनुबद्ध 29 कार्यों में से अक्टूबर 2014 तक 15 कार्य पी.आर.आई. को सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सुपुर्द किया गया है। इस संबंध में जून 2015 एवं सितम्बर 2015 में अद्यतन स्थिति की सूचना माँगी गयी है जिसका जबाव प्रतीक्षित है।

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा (मार्च 2011) के अनुसार, राज्य सरकार ने 'झारखण्ड पंचायती राज (बजट एवं लेखे) विनियमन 2012' को अधिसूचित किया (मार्च 2011), तदनुसार पी.आर.आई. का लेखांकन किया जाता है। तथापि पी.आर.आई. का लेखापरीक्षा नमूना जाँच के आधार पर महालेखाकार (लेखा परीक्षा) के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा डी.एल.एफ.ए. का परिचालन अभी तक (अगस्त 2015) सुनिश्चित नहीं किया गया है।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के मुख्यतः तीन पहलू यथा व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान), व्यय की दक्षता और इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिए लागत-परिणाम का मूल्यांकन) सम्मिलित है।

राज्य के कुल व्यय का वृद्धि दर वर्ष 2013-14 में पिछले वर्ष के संगत वृद्धि दर 0.7 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2014-15 के दौरान 34.3 प्रतिशत था।

वर्ष 2014-15 के दौरान कुल व्यय में विकास व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय) 71 प्रतिशत था, जबकि गैर-विकास व्यय 29 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 के दौरान विकास व्यय पिछले वर्ष के सापेक्ष 49 प्रतिशत बढ़ा, जबकि गैर-विकास व्यय में पिछले वर्ष के सापेक्ष आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को सौंपे गये सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित व्यय का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य का विषय है। इस प्रकार, राज्य में मानवीय विकास का स्तर बढ़ाने के क्रम में, मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय श्रेणी से व्यय का अनुपात) किसी विशेष क्षेत्र से संलग्न की जाती है यदि यह राष्ट्रीय औसत से कम है।

वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2014-15 के दौरान विकासोन्मुखी व्यय, सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय और पूँजीगत व्यय के संदर्भ में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता को तालिका 1.20 विश्लेषित करता है।

तालिका 1.20: वर्ष 2011-12 और वर्ष 2014-15 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता *	ए.ई./ स.रा.घ.उ.	डी.ई./ ए.ई.	एस.एस.ई./ ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	शिक्षा/ ए.ई.	स्वास्थ्य/ ए.ई.
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2011-2012	15.98	65.39	36.63	13.23	17.10	4.68
झारखण्ड राज्य का औसत (अनुपात) 2011-2012	23.11	74.49	27.69	10.08	13.18	3.16
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2014-15	16.49	69.12	36.50	14.01	16.23	5.04
झारखण्ड राज्य का औसत (अनुपात) 2014-15	23.33	76.29	29.10	12.03	12.65	3.51

स्रोत: स.रा.घ.उ. के ऑकड़े राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय।

* स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता के रूप में

ए.ई. : सकल व्यय (कुल व्यय), डी.ई. : विकास पर व्यय, एस.एस.ई. : सामाजिक क्षेत्र पर व्यय,
सी.ई. : पूँजीगत व्यय

विकास पर व्यय में विकास पर राजस्व व्यय, विकास पर पूँजीगत व्यय और ऋण एवं संवितरित
अग्रिम सम्मिलित है।

@ गोवा एवं पांडिचेरी के अलावा 17 राज्यों पर आधारित ।

झारखण्ड राज्य वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान अपने स.रा.घ.उ. का थोड़ा अधिक हिस्सा विकास व्यय पर खर्च किया जबकि 2014-15 के दौरान झारखण्ड में पूँजीगत व्यय से ए.ई. का हिस्सा प्रमुख रूप से अधिक था।

झारखण्ड में सकल व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय 2012-13 के तुलना में 2014-15 के दौरान थोड़ा अधिक था, जबकि झारखण्ड में सकल व्यय से पूँजीगत व्यय 2014-15 के दौरान महत्वपूर्ण रूप से अधिक था।

वर्ष 2014-15 में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में राज्य पूँजीगत व्यय में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र पर व्यय को कम प्राथमिकता दी गयी, तथापि राज्य के सम्पूर्ण विकास व्यय को अधिक प्राथमिकता दी गई।

1.7.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास शीर्षों पर लोक व्यय के महत्व को देखते हुए, राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि सही व्यय हेतु बुद्धिसंगत

मापदंड को अपनाया जाय और कोर पब्लिक गुड्स⁵ के प्रावधान पर जोर दे। विकास व्यय⁶ हेतु आवंटन के सुधार के अलावा कुल व्यय (और स.रा.घ.उ.) का पूँजीगत व्यय से अनुपात और विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर हो रहे समानुपातिक राजस्व व्यय, व्यय के उपयोग की दक्षता को भी प्रतिबिम्बित करती है। इन अवयवों का कुल व्यय (और स.रा.घ.उ.) से अनुपात जितना ऊँचा होगा व्यय की प्रकृति उतनी ही बेहतर होगी। राज्य के वार्षिक लेखों की समीक्षा में यह पाया गया :

- शिक्षा के क्षेत्र में पूँजीगत व्यय वर्ष 2013-14 में ₹ 145.21 करोड़ से घटकर वर्ष 2014-15 में ₹ 82.97 करोड़ हो गया जो वर्ष 2014-15 के बजट में निर्धारित ₹ 202.40 करोड़ के पूँजीगत व्यय से काफी कम था।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में पूँजीगत व्यय वर्ष 2013-14 में ₹166.18 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 260.97 करोड़ हो गया। तथापि, इन क्षेत्रों के लिए पूँजीगत व्यय वर्ष 2014-15 के बजट में निर्धारित ₹ 394.04 करोड़ से काफी कम था।
- जल आपूर्ति, स्वच्छता, भवन एवं शहरी विकास में पूँजीगत व्यय, वर्ष 2013-14 में ₹ 342.07 करोड़ से घटकर वर्ष 2014-15 में ₹ 188.90 करोड़ हो गया। इस वर्ष जल आपूर्ति, स्वच्छता, भवन एवं शहरी विकास के लिए ₹ 219.65 करोड़ का बजट प्रावधान था।

तालिका 1.21 वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के कुल व्यय की तुलना में विकास योजनाओं पर व्यय की प्रवृत्ति के साथ-साथ पिछले वर्षों के दौरान बजटीय राशि और व्यय को प्रस्तुत करता है।

⁵ कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं इस रूप में कि एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल गुड्स दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल गुड्स में कमी नहीं करता हो जैसे:- कानून और आदेश का प्रवर्तन, हमारे अधिकार बचाव एवं सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय गुड्स और पथ के लिए आधारभूत संरचना इत्यादि।

⁶ व्यय आँकड़ों का विश्लेषण विकास और गैर विकास व्यय में समुच्ययित है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय, ऋण एवं अग्रिम से संबंधित सभी व्यय को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किए गए हैं। हमारे आँकड़ों में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासात्मक व्यय में शामिल हैं जबकि सामान्य सेवाएँ गैर विकासात्मक व्यय हैं।

तालिका 1.21: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास पर व्यय के घटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					बजट आकलन*	वास्तविक
विकास व्यय						
विकास पर राजस्व व्यय	10954(52)	13146(54)	14704(52)	13512(48)	27870	21171(55)
विकास पर पूँजीगत व्यय	2544(12)	3003(12)	4042(14)	4554(16)	7817	5217(14)
विकास से संबंधित ऋण एवं अग्रिम	296(1)	199(1)	582(2)	209(1)	638	807(2)
कुल	13794	16348	19328	18275	36325	27195
कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय (रा.व्य+पू. व्य+ऋण एवं अग्रिम) से प्रतिशतता को दर्शाते हैं।						
* बजट आकलन का सकल आँकड़ा है जबकि वास्तविक का निवल आँकड़ा है।						

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे तथा बजट प्रकाशन

- राज्य के विकास व्यय में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिमों सहित राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय शामिल है। मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास एवं ऊर्जा राजस्व शीर्ष एवं पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत यातायात पर व्यय के कारण विकास व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2013-14 में नकारात्मक पाँच प्रतिशत से सुधर कर वर्ष 2014-15 में 49 प्रतिशत रहा। तालिका 1.21 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2014-15 के दौरान कुल विकास व्यय बजट आकलन से काफी कम था।
- वर्ष 2010-15 के दौरान कुल व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय की हिस्सेदारी 48 प्रतिशत से 55 प्रतिशत के बीच रही। वर्ष 2010-15 के दौरान विकास राजस्व व्यय का सी.ए.जी.आर. 17.91 प्रतिशत था।
- कुल व्यय में विकासपरक पूँजीगत व्यय की हिस्सेदारी (विकासपरक ऋण एवं अग्रिम सहित) वर्ष 2013-14 के दौरान 17 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 16 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2010-15 के दौरान विकासपरक पूँजीगत व्यय का सी.ए.जी.आर. 19.67 प्रतिशत था, जो कि विकासपरक राजस्व व्यय की तुलना में अधिक था।
- वर्ष 2014-15 के दौरान वास्तविक विकासपरक पूँजीगत व्यय एवं विकासपरक ऋण एवं अग्रिम बजट आकलन के ₹ 7,817 करोड़ एवं ₹ 638 करोड़ के विरुद्ध ₹ 5,217 करोड़ एवं ₹ 807 करोड़ था।

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

- वर्ष 2014-15 के दौरान कुल विकासपरक व्यय (₹ 27,195 करोड़) में सामाजिक सेवाओं पर व्यय (₹ 12,845 करोड़) एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय (₹ 14,350 करोड़) क्रमशः 47 प्रतिशत एवं 53 प्रतिशत था।

चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में किया गया व्यय

राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ प्रदान करने वाले परिसम्पत्तियों के सृजन पर किए गए व्यय को विकास पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि राजस्व व्यय चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किए गए व्यय हैं। तालिका 1.22 इस प्रकार के पूँजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.22: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक ढाँचा	2013-14			2014-15		
	टी.ई. से सी.ई. का अनुपात	आर. ई. में, हिस्सा		टी.ई. से सी. ई. का अनुपात	आर. ई में, हिस्सा	
		एस. और डब्ल्यू	ओ. और एम.*		एस. और डब्ल्यू	ओ. और एम.
सामाजिक सेवायें (एस.एस.)						
सामान्य शिक्षा	2.05	54.98	0.00	0.12	51.47	0.01
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	14.52	51.89	0.13	16.97	43.45	0.01
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं एच.यू.डी.	32.51	18.03	2.82	9.80	7.71	1.67
कुल (एस.एस)	10.09	35.92	0.52	7.08	26.18	0.31
आर्थिक सेवायें (ई.एस.)						
कृषि एवं सहबद्ध कार्यकलाप	1.52	37.74	0.31	7.86	32.94	0.07
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	59.89	98.03	0.00	53.46	95.45	22.39
विद्युत और ऊर्जा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
परिवहन	88.78	39.68	51.98	74.64	15.07	31.57
कुल (ई.एस.)	39.82	22.14	4.34	27.64	13.69	4.06
कुल (एस.एस.+ई.एस.)	24.92	30.52	2.02	18.35	20.72	1.95
टी.ई.: उस क्षेत्र का कुल व्यय; सी.ई.: पूँजीगत व्यय; आर.ई.: राजस्व व्यय; एस. और डब्ल्यू: वेतन एवं मजदूरी; ओ. और एम.: संचालन और रख-रखाव; वित्त लेखे के अनुसार यह विस्तृत शीर्ष 05- रखरखाव एवं मरम्मत के अन्तर्गत वास्तविक व्यय को प्रस्तुत करता है।						

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- सारणी में वर्णित सेवाओं के आधार पर कुल विकासात्मक व्यय से विकासात्मक पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता में वर्ष 2013-14 के 24.92 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 18.35 प्रतिशत हो गया।

- सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं में वेतन वर्ष 2013-14 में क्रमशः 35.92 प्रतिशत एवं 22.14 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 26.18 प्रतिशत एवं 13.69 प्रतिशत हो गया।
- सामाजिक सेवाओं में, राजस्व व्यय के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवास तथा शहरी विकास एवं परिवहन मद के लिये प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2013-14 के 0.13 प्रतिशत एवं 2.82 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 0.01 प्रतिशत एवं 1.67 प्रतिशत हो गया।
- आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में परिवहन मद के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2013-14 के 51.98 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 31.57 प्रतिशत हो गया।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

एफ.आर.बी.एम के उत्तरवर्ती रूप रेखा में, राज्य से न हीं केवल राजकोषीय घाटे (और उधार) को निम्न स्तर पर रखने बल्कि इसके पूँजीगत व्यय/निवेश (ऋण एवं अग्रिम सहित) की आवश्यकता को भी पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता में बदलाव के राज्य सरकार को अपने निवेश पर अधिक आय के लिए और स्पष्ट सब्सिडी के रूप में बजट पर प्रभारित करने की अपेक्षा उधारित निधि की लागत को वसूल करने के लिए मानक अपनाने की आवश्यकता है और वित्तीय संचालन में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। यह खण्ड पिछले वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान निवेश और सरकार द्वारा किये गये अन्य पूँजीगत व्यय के व्यापक वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।

1.8.1 पूर्ण सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों को वित्त लेखे के परिशिष्ट-VIII (i) में प्रस्तुत किया गया है। वित्त लेखे 2014-15 के परिशिष्ट- VIII (i) के अनुसार राज्य में कोई व्यावसायिक सिंचाई परियोजना नहीं है।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएँ

31 मार्च 2015 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभाग-वार सूचना तालिका 1.23 में दी गयी है।

तालिका 1.23: अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की सं.	आरंभिक अनुमानित लागत	चालू वर्ष के दौरान व्यय	31.3.2015 का समुच्चयित वास्तविक व्यय
पथ निर्माण	226	5462.83	1006.30	1592.63
ग्रामीण अभियांत्रिक संस्थान	108	221.06	57.35	115.16
भवन निर्माण	68	187.87	58.68	115.19
कुल	402	5871.76	1122.33	1822.98

स्रोत: वित्त लेखे 2014-15 की परिशिष्ट X

अपूर्ण कार्य पर निधियों को अवरोधित करना व्यय के गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उपरोक्त तालिका के सभी अपूर्ण 402 परियोजनायें (अनुमानित खर्च ₹ 5,871.76 करोड़) 31 मार्च 2015 तक पूर्ण किये जाने थे, जो नहीं किये जा सके। फलतः ₹ 1,822.98 करोड़ अवरोधित रहा। परियोजना कार्यों के निष्पादन में विलम्ब से खर्च बढ़ने का डर रहता है। साथ ही, इन परियोजनाओं के निष्पादन में होने वाले विलम्ब के कारण उनसे, वांछित परिणाम भी प्राप्त नहीं हो सका।

1.8.3 निवेश एवं लाभांश

नवम्बर 2000 में राज्य की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2015 तक सरकार ने एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹ 45.73 करोड़), 12 सरकारी कम्पनियाँ (₹ 85.05 करोड़) एवं 18 को-ओपरेटिव, कॉरपोरेशनों एवं सोसाईटियों में (₹ 116.22 करोड़) कुल ₹ 247 करोड़ का निवेश किया (तालिका 1.24)। निवेश से लाभांश वर्ष 2014-15 के दौरान शून्य थी। तथापि सरकार ने अपने उधार पर वर्ष 2014-15 के दौरान 7.22 प्रतिशत के औसत दर से ब्याज का भुगतान किया।

तालिका 1.24: निवेशों पर लाभांश

निवेश/वापसी/उधार की लागत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	135.18	182.57	187.82	231.97	247.00
लाभांश (₹ करोड़ में)	0.40	1.17	15.00	18.00	शून्य
लाभांश (प्रतिशत में)	0.30	0.64	7.99	7.76	शून्य
सरकारी उधार पर ब्याज का औसत दर (प्रतिशत में)	7.98	7.64	8.76	7.22	7.22
ब्याज दर और लाभ में अन्तर (प्रतिशत में)	7.68	7.00	0.77	0.54	7.22

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे - विवरण 19

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 15.03 करोड़ (छ: प्रतिशत) का निवेश मुख्यतः सरकारी कम्पनियों में (₹ 9.75 करोड़) एवं को-ओपरेटिव सोसाईटी एवं स्थानीय निकाय में निवेश (₹ 5.28 करोड़) किया गया।

पुनः 14 नवम्बर 2000 तक संयुक्त बिहार राज्य द्वारा इन संस्थाओं के साथ साथ सांविधिक निगमों और संयुक्त स्टॉक कम्पनियों में किये गये निवेशों को बिहार एवं झारखण्ड राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया गया था।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम

को-ओपरेटिव, सोसाईटी कॉरपोरेशन और कम्पनियों में निवेश के अलावे, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती रही है। 31 मार्च 2015 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान बकाए ऋण एवं अग्रिम तथा ब्याज प्राप्ति के साथ-साथ ब्याज भुगतान को तालिका 1.25 प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.25: राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

अग्रिम/ब्याज प्राप्ति /उधार की लागतों की प्रमात्रा	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ऋणों का आरंभिक शेष	6713	6997	7190	7748	7947
वर्ष के दौरान अग्रिम की गई राशि	308	217	601	222	824
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	24	24	43	23	33
बकाया ऋण एवं अग्रिम का प्रतिशत के रूप में वसूली	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4
अंतशेष	6997	7190	7748	7947	8738
निवल योग	284	193	558	199	791
कुल ब्याज प्राप्ति	7.26	2.12	0.95	2.74	15.72
बकाया ऋण एवं अग्रिम की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्ति	0.12	*	0.01	0.03	0.20

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

*नगन्य

- राज्य सरकार द्वारा को-ओपरेटिव, सोसाईटियाँ, कम्पनियों इत्यादि को अग्रिम के रूप में दी गई ऋणों की प्रमात्रा वर्ष 2010-11 के ₹ 308 करोड़ से धीरे-धीरे बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 824 करोड़ हो गयी तथापि वर्ष 2012-13 में ₹ 601 करोड़ से घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 222 करोड़ हो गयी जो ऊर्जा परियोजनाओं के अन्तर्गत जो कि ₹ 604 करोड़ की अधिक ऋण मुक्त करने के कारण वर्ष 2014-15 में बढ़कर ₹ 824 करोड़ हो गई।

- वर्ष 2014-15 के दौरान बकाया ऋण एवं अग्रिम में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में 2.57 प्रतिशत के विरुद्ध 9.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च 2015 के अंत तक कुल बकाया ऋण ₹ 8,738 करोड़ में से प्रमुख बकाया राशि ऊर्जा के लिए ऋण (₹ 8,080 करोड़) एवं शहरी स्थानीय निकाय (₹ 585 करोड़) के पास था।

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

- 31 मार्च 2015 तक कुल ₹ 1,289.81 करोड़ (₹ 414.37 करोड़ मूलधन एवं ₹ 875.44 करोड़ का ब्याज) के ऋण एवं अग्रिम की वसूली किया जाना अतिदेय था जिसमें से ₹ 962.79 करोड़ जे.एस.ई.बी. तथा तेनुघाट विद्युत निगम का बकाया है (₹ 366.86 करोड़ मूलधन एवं ₹ 595.93 करोड़ का ब्याज) ।

1.8.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों का विवरण तालिका 1.26 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.26: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2015 को
रोकड़ शेष	1285.48	444.21
रोकड़ शेष से निवेश ('अ' से 'स' तक)	851.84	666.13
अ. भारत सरकार के कोषागार विपत्र	847.43	666.13
ब. भारत सरकार की प्रतिभूति	शून्य	शून्य
स. अन्य निवेश	4.41	शून्य
निवेशों पर प्राप्त ब्याज	66.74	126.98
रिजर्व बैंक में जमा	428.21	-224.13
विभागीय रोकड़ शेष	5.43	2.21

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 31 मार्च 2015 के अंत तक राज्य का रोकड़ शेष पिछले वर्ष के ₹ 1,285.48 करोड़ के सापेक्ष ₹ 444.21 करोड़ था।

राज्य के पास मार्च 2015 के अंत में रोकड़ निवेश मार्च 2014 में ₹ 851.84 करोड़ के रोकड़ निवेश के सापेक्ष ₹ 666.13 करोड़ का रोकड़ निवेश था। मार्च 2015 के अंत तक कुल रोकड़ शेष का निवेश भारत सरकार के कोषागार विपत्र में किया गया।

1.9 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन


सरकारी लेखांकन की विद्यमान पद्धति में, सरकारी स्वामित्व की परिसम्पत्तियाँ अर्थात् भूमि एवं भवनों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों और व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को शामिल करते हैं। **परिशिष्ट 1.4 भाग-बी** 31 मार्च 2015 को उन दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2014 की तदनुसूची स्थिति के साथ इनकी तुलना को प्रस्तुत करता है।


दायित्वों में जहाँ मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से लिये गये ऋण एवं अग्रिम एवं लोक लेखे से प्राप्तियाँ एवं आरक्षित निधि शामिल हैं, वहीं परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।

झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007, राज्य की संचित निधि और लोक लेखा जिसमें केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, खुले बाजार से उधार, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, अल्प बचत का लोक लेखा शेष, आरक्षित निधि, जमा इत्यादि सम्मिलित है, के अन्तर्गत दायित्वों के रूप में राज्य के कुल दायित्वों को परिभाषित करता है।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्ति **परिशिष्ट 1.3** में दर्शायी गई है। तथापि वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 के दौरान राजकोषीय दायित्व के संघटन को क्रमशः **चार्ट 1.10** एवं **चार्ट 1.11** में प्रस्तुत किया गया है।





तालिका 1.27: राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्ति: आधारभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

अवयव	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	सीएजीआर
आंतरिक ऋण	21,131	22,286	25,202	27,940	32,755	11.58
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2167	2024	2124	2092	2087	-0.94
लोक लेखे दायित्व	5357	6354	7543	7562	8727	12.98
कुल राजकोषीय दायित्व	28,655	30,664	34,869	37,594	43,569	11.04
कुल दायित्वों में वृद्धि (प्रतिशत)	5.5	7.0	13.7	7.8	15.9	मान्य नहीं
स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व (प्रतिशत)	22.5	22.6	23.0	21.8	22.1	मान्य नहीं
राजस्व प्राप्ति से राजकोषीय दायित्व का प्रतिशत	152.57	136.77	140.77	143.83	138.03	मान्य नहीं
राजस्व प्राप्तियों के परिपेक्ष्य में उत्प्लावकता	0.23	0.36	1.30	1.42	0.76	मान्य नहीं

- जैसा कि तालिका 1.27 में दर्शाया गया है, वर्ष 2010-11 के ₹ 28,655 करोड़ का समग्र राजकोषीय दायित्व 52.05 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2014-15 में ₹ 43,569 करोड़ हो गया। राजकोषीय दायित्व का वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2013-14 के 7.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 15.9 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान राजकोषीय दायित्व का सी.ए.जी.आर. 11.04 प्रतिशत था।
- राज्य के राजकोषीय दायित्वों में ₹ 1,356 करोड़ लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि के रूप में तथा ₹ 866.79 करोड़ आरक्षित निधि (राज्य आपदा राहत निधि) के रूप में शामिल था।

- स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व का अनुपात वर्ष 2010-11 के 22.5 प्रतिशत से धीरे-धीरे घटकर वर्ष 2014-15 में 22.1 प्रतिशत हो गया।
- बारहवें वित्त आयोग ने राज्य की संचित निधि और लोक लेखा से अलग सभी ऋणों की परिशोधन हेतु एक सिंकिंग फंड, जिसमें बैंक ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) इत्यादि के दायित्व शामिल हैं, को स्थापित करने की अनुशंसा की थी। तथापि, अक्टूबर 2015 तक ऐसे किसी निधि की स्थापना नहीं की गई।
- संयुक्त बिहार के राजकोषीय दायित्वों का बँटवारा संतति राज्य बिहार और झारखण्ड के बीच अभी तक (अक्टूबर 2015) नहीं किया गया।

1.9.3 राज्य की परिसम्पत्तियों की अत्योक्ति

जब लेखे में नान परफोर्मिंग परिसम्पत्तियों (एन.पी.ए.) को सम्पत्तियों में शामिल की जाती है तो ऐसे में सम्पत्ति को अत्योक्ति युक्त कहा जाता है। ऋण एवं अग्रिम को एन.पी.ए. के रूप में तब चिन्हित की जाती है जब धारक के ऋण एवं अग्रिम के पुनर्भुगतान की क्षमता के संबंध में संदेह है। यह निष्कर्ष निम्नलिखित आधार पर निकाला जा सकता है।

1. अगर धारक लाभ नहीं कमा रहा है।
2. कुछ निकाय लाभ नहीं कमाने के बावजूद ऋण का पुनर्भुगतान कर देते हैं। इन मामलों में भी धारक को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है एवं जब यह पुनर्भुगतान निकायों को सरकार द्वारा अन्य सहायता से दिया जाता है तो इसे परिसम्पत्तियों के रूप में चिन्हित की जाती है।

सरकार द्वारा 31 मार्च 2015 तक दिए गए ऋण एवं अग्रिम का शेष ₹ 8,737.16 करोड़ था जिसमें ऊर्जा के लिए ₹ 8,079.60 करोड़ का बकाया भी शामिल था। ऊर्जा के लिए दिए गए कुल ऋण में जे.एस.ई.बी. का जनवरी 2014 में इसके विभाजन के पूर्व ₹ 7,239.75 करोड़ का बकाया था। आगे, ₹ 1289.81 करोड़ 31 मार्च 2015 तक पुनर्भुगतान किया जाना था, जिसमें से ₹ 962.79 करोड़ ऊर्जा से संबंधित था। गठन से लेकर 31 मार्च 2013 तक अंतिम लेखा बनने तक जे.एस.ई.बी. का घाटा/नुकसान ₹ 10,165 करोड़ था। जे.एस.ई.बी. को जनवरी 2014 में चार पावर कम्पनियों के समूह में बाँट दिया गया। जबकि, झारखण्ड राज्य सुधार स्थानांतरण योजना 2013 के अनुसार जे.एस.ई.बी. से वसूली योग्य राज्य सरकार के बकाये ऋण एवं अग्रिम को राज्य सरकार के खाते में जे.एस.ई.बी. द्वारा वसूली योग्य दर्शाया जाएगा।

अतः राज्य की परिसम्पत्तियों में जे.एस.ई.बी. को दिये गए ऋण के कारण ₹ 7,239.75 करोड़ की अत्योक्ति हुई।

1.9.4 संरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन

तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर सरकार ने वर्ष 2010-11 में राज्य आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ.) का गठन किया। तत्पश्चात्, प्राकृतिक आपदा राहत निधि से शेष राशि एस.डी.आर.एफ. में अंतरित कर दी गई।

वर्ष 2014-15 के दौरान एस.डी.आर.एफ. में प्रारंभिक शेष ₹ 591.56 करोड़ था। वर्ष के दौरान निधि से प्राप्त एवं संवितरण क्रमशः ₹ 307.85 करोड़ एवं ₹ 32.62 करोड़ था जिससे मार्च 2015 तक अंतिम शेष ₹ 866.79 करोड़ हो गया।

1.9.5 प्रत्याभूति की स्थिति - आकस्मिक दायित्व

उधार प्राप्तकर्ता, जिसके लिये प्रत्याभूति दिया गया है, द्वारा बकाया चुकता नहीं करने की स्थिति में प्रत्याभूति राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होता है।

भारत का संविधान में प्रावधान है कि राज्य अपने विधायिका द्वारा अधिनियमित तथा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अन्तर्गत संचित निधि की अभिरक्षा पर भारत के संघीय क्षेत्र के अंतर्गत उधार ले सकता है और निर्धारित सीमा के अन्दर प्रत्याभूति दे सकता है। तथापि, झारखण्ड राज्य विधायिका द्वारा इस तरह का कोई कानून पारित नहीं किया गया और राज्य की संचित निधि की अभिरक्षा पर प्रत्याभूति देने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई।

वित्त लेखे के विवरण-9 के अनुसार मार्च 2015 तक ₹ 157.15 करोड़ का बकाया प्रत्याभूति (गारंटी) था। वर्ष 2014-15 के दौरान कोई प्रत्याभूति न ही दी गई और न ही वापस ली गई।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण की रूप रेखा

राज्य सरकार के ऋण की प्रमात्रा के अलावे राज्य की ऋण धारणीयता⁷ को निर्धारित करने वाले विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण भी महत्वपूर्ण है। ऋण स्थिरीकरण⁸,

⁷ समय की एक अवधि में एक नियत ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को बरकरार रखने की क्षमता ही ऋण धारणीयता है। यह इसके ऋण की सेवा की क्षमता के बारे में महत्व को प्रस्तुत करता है। इसलिए, ऋण धारणीयता चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन के लिए नगद परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधार की लागत एवं ऐसे उधार से लाभ के बीच संतुलन रखने की क्षमता से संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में चढ़ाव ऋण की सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ मेल खाता है।

⁸ स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर व्याज दर या लोक उधार लागत से बढ़ता है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के बढ़ने की संभावना होती है यदि प्राथमिक शेष या तो शून्य हो या धनात्मक हो या थोड़ा ऋणात्मक हो। दर फैलाव (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-व्याज दर) और प्रमात्रा फैलाव (ऋण*दर फैलाव) दिये होने पर, ऋण धारणीयता की शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा फैलाव शून्य है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात नियत होगी या ऋण संभवतः सुदृढ़ होगी। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा फैलाव के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ेगा और कभी-कभी यदि यह धनात्मक है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात संभवतः गिरेगा।

गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता⁹, उधार लिए गये निधियों की निबल उपलब्धता¹⁰, ब्याज भुगतान का भार (के साथ राजस्व प्राप्त अनुपात से ब्याज भुगतान द्वारा मापित) एवं राज्य सरकार के प्रत्याभूति की परिपक्वता की रूप रेखा के शब्दों में यह खण्ड राज्य सरकार के ऋण धारणीयता का मूल्यांकन करता है।

1.10.2 ऋण धारणीयता

तालिका 1.28 वर्ष 2010-11 से प्रारंभ करते हुए पाँच वर्षों की अवधि के लिये इन सूचकों के अनुसार राज्य के ऋण धारणीयता को विश्लेषित करता है।

तालिका 1.28: ऋण धारणीयता : संकेतक और प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के संकेतक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण से स.रा.घ.उ. का अनुपात	22.5	22.6	23.0	21.8	22.1
इक्रिमेंटल गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल) *	899	188	(-39)	1275	(-2885)
उधार निधि की निबल उपलब्धता	(-737)	(-238)	1814	110	3313
ब्याज भुगतान का बोझ (आइ.पी./आर.आर. अनुपात)	12	10	10	10	9.28
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा (वर्षों में)					
0 - 1	1868(8)	1449(6)	1381(5)	1453(5)	1590(4)
1 - 3	2977(13)	3080(13)	3031(11)	2916(10)	3368(10)
3 - 5	2872(12)	2623(11)	3358(12)	4373(14)	5032(14)
5 - 7	3284(14)	4302(17)	5009(19)	4160(14)	3723 (11)
7 और आगे	12298(53)	12856(53)	14547(53)	17131(57)	21129(61)
कुल	23299	24310	27326	30033	34842

कोष्ठक में कुल से प्रतिशतता को दिखाया गया है।

*फार्मूला परिशिष्ट 1.2 में है।

- वर्ष 2014-15 के दौरान, ऋण-स.रा.घ.उ अनुपात एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य एवं ते.वि.आ. द्वारा तय किये गये मानक (26.9 प्रतिशत) से कम 22.1 प्रतिशत था।

⁹ बढ़ती हुई ब्याज दायित्वों और बढ़ती हुई प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य के बढ़ती हुई गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता उल्लेखनीय रूप से सुसाध्य हो सकता है यदि बढ़ती गैर-ऋण प्राप्तियों बढ़ते हुए ब्याज दायित्व और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को निबटा सके।

¹⁰ कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और उधार निधि की निबल उपलब्धता को दर्शाने वाली ऋण विमोचन में उपयोगिता ऋण प्राप्तियों के फैलाव को इंगित करता है।



- वर्ष 2010-15 के दौरान अंतर्वार्षिक दोलन के पश्चात् गैर-ऋण प्राप्तियों (संसाधन अंतराल) में बढ़ोतरी की पर्याप्तता वर्ष 2010-11 में ₹ 899 करोड़ घटकर वर्ष 2014-15 (-) ₹ 2,885 करोड़ रही जो राज्य के राजकोषीय स्थिति में कमी का घोटक है। आगे संसाधन अंतराल वर्ष 2013-14 में ₹ 1,275 करोड़ से घटकर वर्ष 2014-15 में (-) ₹ 2,885 करोड़ रही।
- कर्ज ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता वर्ष 2013-14 के ₹ 110 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 3,313 करोड़ हो गया। तथापि, वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 के दौरान संसाधन अंतराल ऋणात्मक (क्रमशः ₹ 737 करोड़ एवं ₹ 238 करोड़) था।
- राजस्व प्राप्ति में ब्याज भुगतान के अनुपात के कारण ऋण स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया क्योंकि यह वर्ष 2010-11 के 12 प्रतिशत से नियमित रूप से घटकर वर्ष 2014-15 में 9.28 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान यह 10 प्रतिशत पर स्थिर रहा।
- राज्य-ऋण दायित्व की परिपक्वता की रूपरेखा विभिन्न अवधि खंड के दौरान धन प्रवृत्ति की लंबी परिपक्वता के सकारात्मक रूझान दर्शाते हैं जैसा कि उपरोक्त तालिका में वर्णित है।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य वित्तीय पैमाने - राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा - किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा, प्राप्ति एवं व्यय के बीच अंतर को दर्शाती है। घाटे की प्रकृति सरकार के वित्तीय प्रबंधन की बुद्धिमत्ता को इंगित करती है। आगे, घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों की उगाही के प्रमुख तरीके भी इनके राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक हैं। यह खण्ड इन घाटों के वित्तीय प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण एवं तरीके तथा राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तर के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए एफ.आर.बी.एम. अधिनियम और नियमों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को भी प्रस्तुत करती है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.12 एवं चार्ट 1.13 वर्ष 2010-15 के दौरान घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।



- वर्ष 2010-14 की अवधि के दौरान राज्य के पास राजस्व अधिशेष था। तथापि राजस्व अधिशेष वर्ष 2010-11 में ₹ 836 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 2,665 करोड़ हो गया लेकिन वर्ष 2014-15 में राजस्व घाटा ₹ 230 करोड़ हो गया।
- एफ.आर.बी.एम. अधिनियम एवं ते.वि.आ. द्वारा लक्षित 'शून्य' राजस्व घाटे को वर्ष 2010-14 के अन्त तक पूरा कर लिया था, लेकिन 2014-15 के दौरान राज्य स्वयं के लक्ष्य (राजस्व अधिशेष/स.रा.घ.उ.-2.0 प्रतिशत) तथा तेरहवें वित्त आयोग के मानक (आर.डी., शून्य) को पूरा करने में विफल रहा चूँकि उक्त अवधि के दौरान इसका राजस्व घाटा/स.रा.घ.उ. औसत 0.1 प्रतिशत था।

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

- वर्ष 2010-15 के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 1,924 करोड़ एवं ₹ 6,564 करोड़ के बीच दोलित था। इसी बीच राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2013-14 के ₹ 2,256 करोड़ से क्रमिक रूप से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 6,564 करोड़ हो गया।
- अन्तरवर्षीय दोलन के उपरान्त स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता मार्च 2014 के अंत तक 1.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2015 के अंत तक 3.3 प्रतिशत हो गया। राज्य, एफ.आर.बी.एम. में तय अपने लक्ष्य तथा तेरहवें वित्त आयोग के तीन प्रतिशत के मानक को पूरा करने में विफल रहा।
- मुख्य रूप से राजस्व घाटा/अधिशेष में उतार-चढ़ाव के कारण वर्ष 2010-15 के दौरान प्राथमिक घाटा (पी.डी.) में काफी उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। प्राथमिक अधिशेष (पी.एस.) वर्ष 2013-14 में ₹ 358 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 3,635 करोड़ प्राथमिक घाटा हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान दो प्रतिशत के प्राथमिक अधिशेष के विरुद्ध वर्ष 2014-15 प्राथमिक घाटा स.रा.घ.उ. का 1.8 प्रतिशत था।

1.11.2 वित्तीय घाटे के अवयव एवं इसके वित्त पोषण का स्वरूप

वित्तीय घाटे के वित्त पोषण का स्वरूप में संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है जैसा कि तालिका 1.29 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.29: वित्तीय घाटे के अवयव एवं वित्त पोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15		
वित्तीय घाटे का विखराव		2112	1924	3406	2256	6564		
1	राजस्व घाटा/अधिशेष	836	1428	1370	2665	(-)230		
2	निवल पूँजीगत व्यय	2664	3159	4218	4722	5543		
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	284	193	558	199	791		
राजकोषीय घाटे वित्त पोषण का स्वरूप*						प्राप्तियाँ	संवितरण	कुल
1	बाजार उधार	198	785	3145	2535	4950	462	4488
2	भारत सरकार से ऋण	(-)104	(-)122	100	(-)33	153	158	(-)5
3	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रत्याभूति	957	(-)73	(-)200	129	773	438	335
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	96	442	(-)30	455	814	822	(-)8
5	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	104	70	22	9	843	1045	(-)202
6	आरक्षित निधि	(-)223	(-)105	(-)123	271	308	33	275
7	जमा एवं अग्रिम	464	1030	1290	(-)254	12182	11089	1093
8	उच्चत एवं विविध	(-)27	74	31	(-)1	132	145	(-)13
9	प्रेषण	6	(-)17	(-)141	157	6838	7076	(-)238
10	अन्तर्राज्यीय समायोजन	0	(-)76	(-)100	-50	-	-	-
11	रोकड़ शेष वृद्धि(+)/घाटा(-)	(-)641	117	588	580	1285	444	841

* वर्ष 2014-15 को छोड़कर ये सभी अंक सकल व्यय/बहिर्गमन हैं।

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 6,564 करोड़ के राजकोषीय घाटे की प्रतिपूर्ति मुख्यतः बाजार उधार (₹ 4,488 करोड़) एवं जमा एवं अग्रिम (₹ 1,093 करोड़) से किया गया।

1.11.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

आदर्श स्वरूप में, राज्य के राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान के साथ) को पूर्ण करना चाहिए। जहाँ राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति उधार (राजकोषीय घाटा) द्वारा की जाती है, वहाँ राजस्व आधिक्य को पूँजीगत व्यय के लिए प्रयोग किया जा सकता है ताकि उधार को घटाया जा सके। पुनः यदि गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय¹¹ का वहन कर सके तो उधार द्वारा वित्तीयन के लिये प्राथमिक घाटा शेष नहीं बचेगा। अतएव, राज्य के वित्त की स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ बढ़ते प्राथमिक व्यय और बढ़ते ब्याज भुगतान के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। प्राथमिक घाटे का विभाजन इंगित करता है कि पूँजीगत व्यय में बढ़ोतरी के कारण किस सीमा तक घाटा हुआ है जो राज्य के अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार के लिए अपेक्षित है। तथ्यों का विभाजन तालिका 1.30 में दिया गया है।

तालिका 1.30: राज्य में प्राथमिक घाटा/अधिशेष - तथ्यों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष(+)	प्राथमिक घाटा(-)/ अधिशेष(+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2010-11	18805	15717	2664	308	18689	(+)3088	(+)116
2011-12	22444	18725	3159	217	22101	(+)3719	(+)343
2012-13	24813	21009	4218	601	25828	(+)3804	(-)1015
2013-14	26160	20858	4722	222	25802	(+)5302	(+)358
2014-15	31598	28866	5543	824	35233	(+) 2732	(-) 3635

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 के दौरान, प्राथमिक व्यय एवं प्राथमिक राजस्व व्यय में बढ़ोतरी के विरुद्ध राज्य का गैर-ऋण प्राप्तियाँ ₹ 18,805 करोड़ से बढ़कर ₹ 31,598 करोड़ हो गया। पूँजीगत व्यय वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 2,664 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 5,543 करोड़ हो गया।

¹¹ ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व, पूँजीगत तथा ऋण एवं अग्रिम।

- वर्ष 2014-15 के दौरान, राज्य का गैर-ऋण प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से 21 प्रतिशत बढ़ी जबकि प्राथमिक व्यय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 लगभग बराबर रहा जिसके कारण वर्ष 2013-14 में ₹ 358 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष हो गया। तथापि, वर्ष 2014-15 के दौरान प्राथमिक घाटा ₹ 3,635 करोड़ रहा।

1.12 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

- वर्ष 2014-15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि उस वर्ष के तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा 14.5 प्रतिशत के विरुद्ध 14.3 प्रतिशत था।
- राज्य को वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 230 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा बढ़कर ₹ 6,564 करोड़ हो गया। यह स.रा.घ.उ. का 3.3 प्रतिशत था, जो ते.वि.आ. द्वारा की गई अनुशंसित सीमा (तीन प्रतिशत) तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के ठीक परे था। आगे राजकोषीय घाटा का स.रा.घ.उ. से अनुपात वर्ष 2013-14 में 1.3 से घटकर वर्ष 2014-15 में 3.3 प्रतिशत हो गया। सरकार को ते.वि.आ. के मानकों की प्राप्ति को सुनिश्चित करना चाहिए।

संसाधनों का एकत्रीकरण

- जहाँ राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 31,565 करोड़) वर्ष 2014-15 के दौरान पिछले वर्षों की अपेक्षा 20.8 प्रतिशत बढ़ी, वहाँ यह बजट आकलन से ₹ 11,879 करोड़ कम था।

सरकार को बजट में दिए गए प्राप्तियों के अपने लक्ष्य को पूरा करने हेतु प्रयास करना चाहिए।

व्यय की गुणवत्ता

- वर्ष 2014-15 के दौरान, सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में राज्य ने शिक्षा क्षेत्र व्यय तथा स्वास्थ्य क्षेत्र व्यय को कम प्राथमिकता दी। तथापि राज्य ने समग्र विकास व्यय को उच्च प्राथमिकता दी।
- पूँजीगत व्यय (सी.ई.) वर्ष 2013-14 में ₹ 4,722 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2014-15 में ₹ 5,543 करोड़ हो गया। कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का प्रतिशत वर्ष 2013-14 में 17 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2014-15 में 15 प्रतिशत रहा। स.रा.घ.उ. में पूँजीगत व्यय का प्रतिशत वर्ष 2013-14 में 2.7 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2014-15 में 2.8 प्रतिशत था।

सरकार को व्यय के साथ शिक्षा क्षेत्र तथा स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर देते हुए अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए।

- प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को एक बड़ी राशि ऋण स्वरूप दी गई है लेकिन इसकी वसूली नगन्य थी जिसके कारण मार्च 2015 तक ₹ 1,289.81 करोड़ की बड़ी राशि का पुनर्भुगतान बकाया था।

सरकार से प्राप्त ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान नहीं करने वाले संस्थाओं/संगठनों से बकाया ऋण की वसूली हेतु सरकार को कदम उठाना चाहिए।

राजकोषीय दायित्व

- राज्य का राजकोषीय दायित्व (₹ 43,569 करोड़) पिछले वर्ष से 15.9 प्रतिशत बढ़ा। राजकोषीय दायित्व, स.रा.घ.उ. का 22.1 प्रतिशत था जो ते.वि.आ. की अनुशंसा 26.9 प्रतिशत के अंदर था। सरकार ने सभी ऋणों के परिशोधन के लिए हास निधि (सिकिंग फण्ड) का गठन नहीं किया है।

सरकार को ऋणों के परिशोधन के लिए हास निधि का गठन करना चाहिए।

अध्याय-2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

अध्याय - 2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

2.1.1 विनियोग लेखे व्यय के लेखे हैं, जिसमें सरकार के प्रत्येक वर्ष के दत्तमत एवं भारत व्ययों की, विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं भारत विनियोगों की राशियों के साथ तुलना की जाती है। यह लेखे, वास्तविक बजट प्राक्कलन, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोग को पृथक रूप से संसूचित करते हैं और बजट के भारत और दत्तमत दोनों मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम में प्राधिकृत व्यय के सापेक्ष विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को इंगित करते हैं। अतः विनियोग लेखे वित्तीय के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण (मानिट्रिंग) को आसान बनाते हैं, इसलिए यह वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

2.1.2 विनियोगों की लेखा परीक्षा यह जाँच करने का प्रयास करती है कि क्या व्यय विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय, विनियोग अधिनियम के अधीन दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत है और उसी प्रकार भारत किया गया है जैसा कि संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत किया जाना चाहिये। यह भी सुनिश्चित करती है कि क्या किया गया व्यय, विधि, संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 बजट प्रबंधन की प्रक्रिया

बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड राज्य द्वारा यथा अंगीकृत) के नियम 52 के अनुसार, राज्य के बजट प्राक्कलन को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही तैयार किया जाना है। बजट नियमावली के नियम 79 के अनुसार, विभिन्न विभागों के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा तैयार किये गये प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अधीन प्राक्कलनों की जाँच वित्त विभाग द्वारा किया जाना है और सरकार के बजट के प्रथम संस्करण उपस्थापन हेतु संकलित किया जाना है। राज्य के बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार, समस्त प्रत्याशित बचतों को सरकार को अविलम्ब अभ्यर्पित कर देना चाहिए यदि उनका अनुमान किया गया हो तथा वे अन्य किसी इकाई के आधिक्य व्यय को समाहित करने हेतु आवश्यक न हों। भविष्य के संभावित आधिक्य हेतु किसी बचत को नहीं रखा जाना चाहिए। आगे, बजट नियमावली के नियम 117 के अनुसार, व्यय की किसी खास नयी इकाई हेतु या दत्तमत अनुदानों के संभावित आधिक्य को आच्छादित करने हेतु वित्त विभाग के परामर्श के बाद अनुपूरक अनुदान प्राप्त किये जाने चाहिए।

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

वर्ष 2014-15 के दौरान अनेक अनुदानों में अत्यधिक बचत एवं आधिक्यों को देखा गया जो बजट प्रबंधन में त्रुटियों को दर्शाता है जिसे आगे की कंडिकाओं में दर्शाया गया है।

2.3 विनियोग लेखे के सारांश

वर्ष 2014-15 के दौरान 60 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति तालिका 2.1 में दी गयी है।

तालिका 2.1: वर्ष 2014-15 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	*वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य(+)	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2015 तक अभ्यर्पित बचत की प्रतिशतता (का.7/का.6)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
दत्तमत	I राजस्व	36697.02	5394.24	42091.26	28837.75	(-)13253.51	488.75	398.40	3.69
	II पूँजीगत	8224.03	907.29	9131.32	5867.54	(-)3263.78	1307.85	1066.02	40.07
	III ऋण व अग्रिम तथा अन्तर्राज्यीय समायोजन	699.43	546.26	1245.69	823.78	(-)421.91	0.00	0.00	0.00
कुल दत्तमत		45620.48	6847.79	52468.27	35529.07	(-)16939.20	1796.60	1464.42	10.61
भारित	IV राजस्व	2790.92	48.87	2839.79	2989.77	(+)149.98	1.16	0.10	अनुपलब्ध
	V पूँजीगत	0.00	3.00	3.00	0.00	(-)3.00	0.00	0.00	0.00
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	1976.30	16.00	1992.30	1879.88	(-)112.42	0.00	0.00	0.00
कुल भारित		4767.22	67.87	4835.09	4869.65	(+)34.56	1.16	0.10	0.00
सकल योग		50387.70	6915.66	57303.36	40398.72	(-)16904.64	1797.76	1464.52	10.63

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2014-15

*व्यय के आँकड़े राजस्व दत्तमत व्यय (₹ 32.62 करोड़) तथा पूँजीगत दत्तमत व्यय (₹ 324.60 करोड़) वापसी के समायोजन के बिना सकल आँकड़े हैं।

नोट- वर्ष 2014-15 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 598.00 करोड़ का व्यय अधिवर्णित था जिनके विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्र 09 जुलाई 2015 तक प्रस्तुत नहीं किया गया।

वर्ष 2014-15 के दौरान कुल मिलाकर ₹ 16,904.64 करोड़ का बचत हुआ जो राजस्व संभाग के अधीन 57 दत्तमत अनुदानों एवं दो विनियोगों के ₹ 13,295.20 करोड़ तथा पूँजीगत संभाग के अधीन 36 अनुदानों एवं एक विनियोग के ₹ 3,970.65 करोड़ को शामिल करते हुए कुल ₹ 17,265.85 करोड़ में से एक अनुदान एवं एक विनियोग के अधीन ₹ 361.21 करोड़ के आधिक्य के प्रतितुलन का परिणाम था। कुल बचत ₹ 16,904.64 करोड़ (कुल विनियोग का 32.28 प्रतिशत) में से, ₹ 1,797.76 करोड़ की

राशि वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई जिसमें से ₹ 1,464.52 करोड़ (81.46 प्रतिशत) की राशि 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित की गई थी।

महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड द्वारा राज्य सरकार को शीर्ष-वार व्यय की स्थिति मासिक सिविल लेखा एवं विनियोग लेखा के माध्यम से प्रति माह उपलब्ध कराई गई। इसके बावजूद, सेवा प्रदान करने तथा अनुदानों में अत्यधिक बचत एवं आधिक्य व्यय से बचने हेतु सरकारी विभागों द्वारा कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए। झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2014-15 में वर्णित कुल 1,395 उप-शीर्षों में से 1,343 उप-शीर्षों में बचत के कारण एवं 16 उप-शीर्षों में आधिक्य के कारण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये।

2.4 वित्तीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन

2.4.1 आवंटित प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग

₹ 17,265.85 करोड़ की कुल बचत में, 19 अनुदानों से संबंधित 21 मामलों में ₹ 13,952.60 (82 प्रतिशत) की बचत हुई जैसा कि तालिका 2.2 में दर्शाया गया है। इन सभी मामलों में, बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक एवं अनुदान के 20 प्रतिशत अथवा अधिक रहा।

तालिका 2.2: ₹ 100 करोड़ से अधिक एवं अनुदान के 20 प्रतिशत अथवा अधिक की बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत	कुल अनुदान से बचत की प्रतिशतता
राजस्व दत्तमत					
1	1-कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	958.18	406.18	552.00	57.61
2	18-खादय, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1281.75	842.26	439.49	34.29
3	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	493.46	376.58	116.88	23.69
4	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2315.37	1347.53	967.84	41.80
5	21-उच्च शिक्षा	1034.87	701.52	333.35	32.21
6	23-उद्योग विभाग	368.43	219.86	148.57	40.33
7	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	1233.61	883.66	349.95	28.37
8	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	981.40	619.87	361.53	36.84
9	39-आपदा प्रबंधन विभाग	490.96	326.67	164.29	33.46
10	42-ग्रामीण विकास विभाग	3729.26	1822.47	1906.79	51.13
11	48-शहरी विकास विभाग	2191.36	1103.04	1088.32	49.66
12	55-ग्रामीण कार्य विभाग	1015.65	401.67	613.98	60.45
13	56-पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमंडल) विभाग	2244.17	1458.07	786.10	35.03

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

14	58-माध्यमिक शिक्षा	1242.29	718.70	523.59	42.15
15	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	6234.54	4104.98	2129.56	34.16
16	60-समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	1320.03	864.57	455.46	34.50
पूँजी-दत्तमत					
17	10-ऊर्जा विभाग	1142.21	779.14	363.07	31.79
18	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	393.29	260.97	132.32	33.64
19	49-जल संसाधन विभाग	1759.20	562.92	1196.28	68.00
20	50-लघु सिंचाई विभाग	442.50	140.62	301.88	68.22
21	55-ग्रामीण कार्य विभाग	1980.54	959.19	1021.35	51.57
कुल		32853.07	18900.47	13952.60	

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।

आगे, लेखापरीक्षा से पता चला कि 49 मामलों में (36 अनुदानों/विनियोगों), बचत प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ एवं अनुदान के 20 प्रतिशत अथवा अधिक था जैसा कि कुल बचत ₹ 15,309.31 करोड़ के साथ **परिशिष्ट 2.1** में वर्णित है। इससे आगे, 32 अनुदानों के अधीन 144 उप-शीर्षो/योजनाओं में कुल ₹ 12,255.10 करोड़ (कुल बचत का 71 प्रतिशत) का बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 20 करोड़ से अधिक) हुआ। विनियोग लेखे 2014-15 में प्रदर्शित बचत के कारण सहित बचत के ब्यौरे **परिशिष्ट 2.2** में दिया गया है। अत्यधिक बचत राज्य में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

2.4.2 प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं करना

बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार, व्यय करने वाले विभाग द्वारा जब भी अनुदानों/विनियोगों या उसके किसी भाग में बचत प्रत्याशित हो, इसका अभ्यर्पण वित्त विभाग को कर देना आवश्यक है।

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 17,265.85 करोड़ के कुल बचत में से 49 अनुदानों/विनियोजनों के अन्तर्गत कुल ₹ 17,240.19 करोड़ का महत्वपूर्ण बचत (प्रत्येक अनुदान/विनियोजन में ₹ एक करोड़ और अधिक) हुआ। इनमें से कुल ₹ 15,463.08 करोड़ (कुल बचत का 89 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं किये गये, जिसके ब्यौरे **परिशिष्ट 2.3** में दिये गये हैं।

इसके अलावा, 40 मामलों जहाँ अभ्यर्पण की राशि प्रत्येक मामले में ₹ पाँच करोड़ या उससे अधिक थी, में ₹ 1,504.16 करोड़ की राशि मार्च 2015 के अंतिम कार्य दिवस में अभ्यर्पित की गई (**परिशिष्ट 2.4**), जिससे अन्य विकासात्मक उद्देश्यों में इन निधियों के उपयोग का कोई अवसर नहीं रहा। यह कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है।

2.4.3 सतत बचत

15 मामलों में (14 विभागों), विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक मामलों में कुल अनुदान का 10 प्रतिशत या उससे अधिक की सतत बचत थी (**तालिका 2.3**)।

तालिका 2.3 : वर्ष 2010-15 के दौरान सतत् बचत प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	बचत की राशि				
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व -दत्तमत						
1	1-कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	181.21(39)	228.82(35)	264.25(37)	566.53(58)	552.00(58)
2	2-पशुपालन विभाग	46.11(22)	31.52(23)	35.50(22)	35.53(22)	41.73(25)
3	17-वित्त (व्यावसायिक कर) विभाग	8.27(17)	11.24(18)	27.17(38)	8.18(13)	23.36(32)
4	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	84.27(13)	168.00(15)	307.90(28)	570.55(50)	439.49(34)
5	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	68.35(23)	52.20(19)	48.17(15)	60.50(18)	116.88(24)
6	20-स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	178.41(21)	277.93(25)	326.13(53)	171.13(15)	967.84(42)
7	23-उद्योग विभाग	31.89(18)	157.41(45)	82.94(29)	120.80(41)	148.57(40)
8	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	148.44(19)	193.07(23)	232.43(25)	308.12(30)	349.95(28)
9	35-योजना एवं विकास विभाग	14.00(46)	291.78(58)	594.38(88)	533.61(83)	99.14(27)
10	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	27.94(11)	79.15(24)	77.17(23)	125.67(32)	99.80(26)
11	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	51.83(41)	40.29(42)	37.03(40)	18.45(25)	21.31(15)
12	49-जल संसाधन विभाग	30.98(13)	83.77(27)	92.55(29)	85.14(26)	87.83(25)
13	51-कल्याण विभाग	208.83(16)	309.14(33)	250.26(31)	247.96(28)	169.02(16)
पूँजीगत -दत्तमत						
14	10-ऊर्जा विभाग	132.56(32)	1130.05(87)	252.30(32)	591.54(77)	363.07(32)
15	49-जल संसाधन विभाग	153.71(40)	714.70(78)	1232.85(74)	1130.96(68)	1196.28(68)

कोष्ठक के आँकड़े कुल अनुदान से बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि अत्यधिक बचत वर्षों से जारी रही जो अनुदानों के अन्तर्गत अनुचित आकलन को इंगित करती है। आगे, आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं से संबद्ध चार विभागों के कुछ मुख्य स्कीमों में बचत के ब्यौरे की परिचर्चा नीचे की गई है:

अनुदान संख्या 18 - खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

राज्य के 'मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना', 'मुख्यमंत्री दाल-भात योजना', 'गरीबी रेखा के ऊपर (ए.पी.एल.) योजना' तथा 'कम्प्यूटराईजेशन योजना' के अन्तर्गत अत्यधिक बचत हुआ जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है:

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (3456-00-102-13)	0.00	0.00	235.83	84.47 (36)	126.23	22.03 (17)	109.22	4.12 (4)
2	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (3456-00-789-13)	0.00	0.00	84.49	24.49 (29)	54.10	9.58 (18)	47.52	3.86 (8)
3	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (3456-00-796-13)	0.00	0.00	335.36	88.52 (26)	206.06	41.02 (20)	208.82	7.79 (4)
4	मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (3456-00-102-23)	2.75	1.16 (42)	4.45	0.93 (21)	7.83	4.12 (53)	6.95	6.41 (92)
5	मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (3456-00-789-23)	1.08	0.41 (38)	1.67	0.44 (26)	1.97	1.09 (55)	2.46	2.39 (97)
6	मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (3456-00-796-23)	4.28	1.44 (34)	6.83	2.70 (40)	8.05	3.64 (45)	10.07	9.08 (90)
7	ए.पी.एल. योजना (3456-00-102-16)	8.62	7.93 (92)	9.24	9.09 (98)	16.60	16.44 (99)	4.62	4.36 (94)
8	ए.पी.एल. योजना (3456-00-789-16)	2.11	2.06 (98)	2.40	2.39 (99)	1.22	1.20 (98)	1.20	1.16 (97)
9	ए.पी.एल. योजना (3456-00-796-16)	5.74	4.71 (82)	6.81	6.34 (93)	4.57	3.79 (83)	3.44	2.81 (82)
10	कम्प्यूटराईजेशन योजना (3456-00-102-27)	0.00	0.00	13.82	12.60 (91)	34.86	34.62 (99)	21.32	18.50 (87)
11	कम्प्यूटराईजेशन योजना (3456-00-789-27)	0.00	0.00	4.76	4.74 (99)	3.96	3.87 (98)	9.14	8.17 (89)
12	कम्प्यूटराईजेशन योजना (3456-00-796-27)	0.00	0.00	18.00	16.86 (94)	22.13	19.74 (89)	30.47	23.08 (76)

स्रोत: वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं

वर्ष 2012-13 के दौरान 'मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना', 'ए.पी.एल. योजना' तथा 'कम्प्यूटराईजेशन योजना' के अन्तर्गत बचत क्रमशः केन्द्र सरकार से आवंटित निधि की अप्राप्ति, खाद्यान्न का कम अधिग्रहण तथा केन्द्र सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु निधियों का कम अनुमोदन के कारण हुआ। विगत दो/तीन वर्षों के दौरान दूसरे मामलों में बचत का कारण विभाग द्वारा नहीं बताया गया।

अनुदान संख्या 26 - श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

विगत चार वर्षों के दौरान 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' एवं 'इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना' के अन्तर्गत महत्वपूर्ण बचत हुई। ब्यौरे नीचे तालिका में दिये गये हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (2230-01-103-10)	12.00	7.74 (66)	10.00	8.30 (83)	8.00	4.02 (50)	25.40	25.40 (100)
2	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (2230-01-789-10)	6.00	4.11 (69)	5.00	2.35 (47)	4.00	2.04 (51)	9.20	9.20 (100)
3	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (2230-01-796-10)	12.00	5.17 (43)	10.00	8.25 (83)	0.00	0.00	25.40	25.40 (100)
4	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (2235-03-101-06)	6.96	3.12 (45)	4.83	1.00 (21)	7.42	2.11 (28)	9.69	3.98 (41)
5	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (2235-03-789-06)	4.26	2.99 (70)	2.35	1.08 (46)	3.09	1.40 (45)	2.26	0.51 (23)
6	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (2235-03-796-06)	11.22	8.21 (73)	6.18	3.53 (57)	8.65	5.08 (59)	6.52	2.06 (32)

स्रोत: वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 की अवधि के दौरान 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' के अन्तर्गत बचत का कारण स्मार्ट कार्ड का तैयार नहीं होना बताया गया। अन्य मामलों में विभाग द्वारा बचत का कारण नहीं बताया गया।

अनुदान संख्या 35 - योजना एवं विकास विभाग

वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 के दौरान 'मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना' में महत्वपूर्ण बचत हुई जो नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (2235-02-102-01)	54.44	43.80 (80)	143.87	118.01 (82)	75.63	39.70 (52)	60.00	12.07 (20)
2	मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (2235-02-796-01)	54.00	40.94 (76)	144.00	118.35 (82)	75.71	42.70 (56)	80.00	35.29 (44)

स्रोत: वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

वर्ष 2014-15 के लिये बचत का कारण आधिक्य बजट प्रावधान को बताया गया। विभाग द्वारा अन्य वर्षों के लिये बचत के कारण नहीं बताये गये।

अनुदान संख्या 42 - ग्रामीण विकास विभाग

वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 के दौरान 'स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना' एवं 'सामान्य के लिये इंदिरा आवास योजना' स्कीम के साथ-साथ वर्ष 2012-13 से वर्ष

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

2014-15 के दौरान 'आदर्श ग्राम योजना' में महत्वपूर्ण बचत देखा गया। ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	सामान्य के लिये स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (2501-06-789-05)	19.08	9.89 (52)	20.40	14.90 (73)	13.95	8.74 (63)	51.75	44.18 (85)
2	सामान्य के लिये स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (2501-06-796-05)	25.30	6.91 (27)	26.64	16.92 (64)	28.80	19.89 (69)	131.10	112.95 (86)
3	सामान्य के लिये स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (2501-06-800-05)	19.80	9.04 (46)	36.26	36.26 (100)	39.20	21.24 (54)	174.15	149.44 (86)
4	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (2501-06-796-01)	34.43	22.08 (64)	29.42	18.99 (65)	11.78	4.21 (36)	10.74	0.71 (7)
5	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (2501-06-800-01)	21.39	15.68 (73)	35.78	28.26 (79)	11.77	8.91 (76)	7.66	0.22 (3)
6	सामान्य के लिये इंदिरा आवास योजना स्कीम (2505-01-796-02)	69.00	24.78 (36)	54.00	12.83 (24)	59.40	8.05 (14)	194.40	85.31 (44)
7	सामान्य के लिये इंदिरा आवास योजना स्कीम (2505-01-702-02)	54.00	12.48 (23)	73.50	35.02 (48)	80.85	38.77 (48)	264.60	205.68 (78)
8	आदर्श ग्राम योजना (2515-00-102-28)	0.00	0.00	29.40	12.09 (41)	22.05	18.38 (83)	22.05	13.55 (61)
9	आदर्श ग्राम योजना (2515-00-789-28)	0.00	0.00	9.00	3.65 (41)	6.75	5.37 (80)	6.75	3.15 (47)
10	आदर्श ग्राम योजना (2515-00-796-28)	0.00	0.00	21.60	8.59 (40)	16.20	11.89 (73)	16.20	7.56 (47)

स्रोत: वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

विगत चार वर्षों के दौरान उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत बचत का कारण विभाग द्वारा नहीं बताया गया।

2.4.4 परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

42 मामलों के कुल प्राधिकार ₹ 6,915.66 करोड़ (49 प्रतिशत) में से, वर्ष के दौरान (प्रत्येक मामले में ₹ 20 लाख या अधिक) प्राप्त कुल ₹ 3,375.59 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं किया गया जैसा कि परिशिष्ट 2.5 में दर्शाया गया है। इन सभी मामलों में यह देखा गया कि कुछ उप-शीर्षों के अन्तर्गत मूल आवंटन खत्म नहीं हुए और इन उप-शीर्षों के अन्तर्गत अत्यधिक बचत हुई।

2.4.5 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 की धारा 4 के अधीन राज्य के आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। केवल अप्रत्याशित एवं अत्यावश्यक प्रकृति के वैसे व्यय, जिसे

विधान मंडल द्वारा स्वीकृति दिये जाने तक टाला जाना वांछित नहीं है, के लिये इस निधि से अग्रिम दिया जाना है। राज्य में इस निधि की धनराशि ₹ 150 करोड़ है।

संगत अभिलेखों की समीक्षा से उजागर हुआ कि आकस्मिकता निधि से अग्रिम का आहरण उन व्ययों को पूरा करने के लिए किया गया जो न तो अप्रत्याशित थे और न ही अत्यावश्यक प्रकृति के। वर्ष 2014-15 के दौरान, 58 अवसरों पर ₹ 149.35 करोड़ आहरित किए गए। तथापि, वर्ष 2014-15 के दौरान इस निधि से आहरित कुल राशि की प्रतिपूर्ति उसी वर्ष के दौरान कर दी गई। कुछ मामलों के ब्यौरे नीचे तालिका 2.4 में दिए गए हैं।

तालिका 2.4: राज्य की आकस्मिकता निधि से व्यय

क्र. स.	लेखा शीर्ष	कार्य के विवरण	अग्रिम की राशि (₹ लाख में)
1	2014-00-114-02	नये मोटर वाहन की खरीद	32.00
2	2014-00-102-01	नये मोटर वाहन की खरीद	285.00
3	2045-00-103-03	वेतन एवं भत्ता	2.30
4	2049-60-701-03	ब्याज का भुगतान	50.00
5	2052-00-090-01	नये मोटर वाहन की खरीद	17.00
6	2052-00-092-19	वेतन एवं भत्ता	50.00
7	2055-00-109-90	मोटर वाहनों के लिये मरम्मत और ईंधन	1522.00
8	2059-80-001-09	वेतन एवं भत्ता	17.90
9	2059-80-001-08	वेतन एवं भत्ता	1.50
10	2070-107-05-29	वाणिज्यिक सेवार्यें	1150.00
11	2070-107-01-29	वाणिज्यिक सेवार्यें	1370.00
12	2203-112-45-83	15.11.2000 के बाद का बकाया भुगतान	114.82
13	2235-02-001-01	वेतन एवं भत्ता	30.00
14	2505-01-796-11	वेतन एवं भत्ता	39.86
15	3054-80-001-04	15.11.2000 के बाद का बकाया भुगतान	4.58
16	3054-03-337-02	वेतन एवं निर्वाह भत्ता	9.34
कुल			4696.30

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड कार्यालय द्वारा संकलित सूचना।

उपरोक्त वर्णित व्यय आकस्मिकता निधि से आहरण के मापदण्डों को पूरा नहीं करते क्योंकि ये व्यय न तो अप्रत्याशित थे और न ही अत्यावश्यक प्रकृति के। अतएव, ये व्यय राज्य विधान मंडल द्वारा प्राधिकृत किए जाने तक स्थगित कर दिए जाने चाहिए थे।

2.4.6 वर्ष 2014-15 के दौरान प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए अनुदानों/विनियोगों से आधिक्य व्यय को राज्य विधायिका द्वारा विनियमित करवाना अनिवार्य है।

तालिका 2.5 में वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य विधायिका द्वारा राज्य के संचित निधि से अनुमोदन के बिना एक विनियोग एवं एक अनुदान में कुल ₹ 361.21 करोड़ के आधिक्य व्यय का सारांश अन्तर्विष्ट है जिसे संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत विनियमित किया जाना आवश्यक है।

तालिका 2.5 : वर्ष 2014-15 के दौरान प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग के नाम व संख्या	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	आधिक्य
भारित विनियोग				
1	13- ब्याज का भुगतान	2737.47	2929.15	191.68
दत्तमत अनुदान				
2	42- ग्रामीण विकास विभाग	231.50	401.03	169.53
कुल		2968.97	3330.18	361.21

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2014-15

इन अनुदानों के विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत बजट प्रावधान से अधिक व्यय करने के कारण उपरोक्त अनुदानों में कुल ₹ 361.21 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

2.4.7 विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

वर्ष 2001-02 से वर्ष 2013-14 तक प्रावधान से अधिक किये गये व्यय ₹ 2,377.91 करोड़ की राशि को संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार विनियमित किया जाना अभी भी (सितम्बर 2015) शेष है जिसे **परिशिष्ट 2.6** में दर्शाया गया है। अनुदानों/विनियोगों हेतु विनियमित की जाने वाली लंबित वर्ष-वार आधिक्य व्यय की राशि **तालिका 2.6** में सारांशीकृत है। वर्षों तक अनुदानों/विनियोगों के आधिक्य का विनियमित नहीं होना विनियोगों पर विधायी नियंत्रण का उल्लंघन है।

तालिका 2.6 : विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संख्या		प्रावधानों से आधिक्य की राशि
	अनुदान	विनियोग	
2001-02	25, 32		0.04
2002-03	32		0.08
2003-04	46		0.29
2004-05	40		@
2006-07	38		\$
2010-11	32		0.10
2011-12	15, 25	14	420.16
2012-13	7, 15, 42	14	1263.18
2013-14	15	13, 14	694.05
कुल			2377.91

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे

@ आधिक्य राशि ₹ 1,072 मात्र

\$ आधिक्य राशि ₹ 81,665 मात्र

2.4.8 अनुदानों में सतत् आधिक्य

विगत तीन वर्षों के दौरान दो अनुदानों/विनियोगों में महत्वपूर्ण सतत् आधिक्य (उप-शीर्ष वार) का विवरण तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7 : विगत तीन वर्षों के दौरान सतत आधिक्य

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग के नाम व संख्या	विवरण	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)		
			2012-13	2013-14	2014-15
1.	13-ब्याज भुगतान	अनुदान का कुल आधिक्य	-	139.42 (5.63)	191.68 (7.00)
		देय राज्य विकास ऋण पर ब्याज (2049-01-101-01)	76.72 (12.56)	308.45 (48.21)	280.42 (29.52)
		सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज (2049-03-104-01)		84.07 (56.05)	60.71 (30.36)
2.	42-ग्रामीण विकास विभाग	अनुदान का कुल आधिक्य	3.66 (0.77)	-	169.53 (73.23)
		विधायकों की अनुशंसा पर लोक जल समृद्धि योजना का कार्यावयन (4515-00-796-12)	20.31 (85.48)	22.40 (94.28)	-

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे

कोष्ठक के आँकड़ें लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष आधिक्य की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

उपरोक्त मामले में, संबंधित विभाग राशि की आवश्यकता का समुचित निर्धारण करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप प्रावधान से अधिक व्यय हुआ।

2.4.9 निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई, जहाँ बचत पूर्वानुमानित है, से दूसरी इकाई, जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है, में निधि का अंतरण पुनर्विनियोजन है। वर्ष 2014-15 के दौरान 51 उप-शीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, जैसा कि **परिशिष्ट 2.7** में दर्शाया गया है, अपर्याप्त या अत्यधिक साबित हुआ। 38 योजनाओं/उप-शीर्षों में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 144.15 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रदान की गयी जिससे ₹ 94.53 करोड़ की बचत हुई जबकि 12 योजनाओं/उप-शीर्षों से अन्य योजनाओं/उप-शीर्षों को ₹ 1.91 करोड़ की राशि पुनर्विनियोजित की गई जिससे ₹ 53.19 करोड़ की राशि बचत की गयी। यह भी देखा गया कि एक योजना/उप-शीर्ष में ₹ 0.01 करोड़ की राशि अन्य योजना/उप-शीर्ष से पुनर्विनियोजित की गई, वर्ष के अन्त तक इस योजना में ₹ 1.64 करोड़ का आधिक्य व्यय को देखते हुए अपर्याप्त साबित हुआ।

2.4.10 निधियों का वृहद पैमाने पर अभ्यर्पण

स्कीमों/कार्यक्रमों के मन्द कार्यान्वयन अथवा गैर-कार्यान्वयन के कारण 82 उप-शीर्षों में वृहद पैमाने पर निधियों (वैसे मामले जहाँ कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत अभ्यर्पण हुआ) का अभ्यर्पण किया गया। इन स्कीमों में ₹ 1,712.07 करोड़ के कुल प्रावधानों में से, ₹ 1,254.06 करोड़ (73 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया जिसमें से 43 स्कीमों में शत-प्रतिशत अभ्यर्पित की गई राशि भी शामिल है। चयनित मामलों के ब्यौरे **परिशिष्ट 2.8** में दिये गये हैं।

2.5 व्यय की तीव्रता

बजट नियमावली के नियम 113 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की जल्दबाजी से बचना चाहिए। व्यय का समरूप प्रवाह बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है। इसके विपरीत, **परिशिष्ट 2.9** में सूचीबद्ध 32 लेखा-शीर्षों में वर्ष 2014-15 के अंतिम तिमाही में किया गया व्यय (प्रत्येक मामले में ₹ 20 करोड़ से अधिक) वर्ष के कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक था।

यह देखा गया कि मुख्य शीर्षों '3075-अन्य परिवहन सेवा' (₹ 466.18 करोड़), '2810-नये एवं नवीकरणीय ऊर्जा' (₹ 50.00 करोड़), '5053-नागर विमानन पर पूँजीगत व्यय' (₹ 21.73 करोड़) तथा '4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत व्यय' (₹ 10.43 करोड़) की सम्पूर्ण निधियों को माह मार्च 2015 में ही व्यय किया गया।

2.6 विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

यद्यपि महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बही से नियंत्रक अधिकारी (नि.अ.) द्वारा विभागीय आँकड़ों के असमाशोधन को नियमित रूप से हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उजागर किये गये, तथापि, वर्ष 2014-15 के दौरान विसंगतियाँ सतत रूप से जारी रही। वर्ष 2014-15 के दौरान यह देखा गया कि कुल प्राप्तियाँ ₹ 38,287.73 करोड़ के विरुद्ध कुल ₹ 14,129.58 करोड़ (36.90 प्रतिशत) की राशि का समाशोधन नहीं किया गया। इसी प्रकार, वर्ष 2014-15 के दौरान, कुल व्यय ₹ 40,041.50 करोड़ में से ₹ 26,568.51 करोड़ (66.35 प्रतिशत) के व्यय का समाशोधन 30 जून 2015 तक महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड के बही के साथ नहीं किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक के कुल ₹ 24,702.08 करोड़ का असमाशोधित व्यय **परिशिष्ट 2.10** में दिया गया है।

महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के बही से विभागीय आँकड़ों के असमाशोधन के कारण, प्राप्तियों एवं व्ययों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की संभावनाओं से इन्कार नहीं जा सकता है।

2.7 अनुदान संख्या 36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव

2.7.1 परिचय

लागत प्रभावी, सुरक्षित, स्थायी एवं पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण जो झारखंड के ग्रामीण आबादी के लिये सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से अच्छी सफाई और स्वच्छता प्रथाओं के साथ-साथ एक स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन के प्रति योगदान देता है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने ग्रामीण पाइप पेयजल आपूर्ति योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एस.बी.एम.जी./निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.) जैसे कार्यक्रमों को शुरू किया।

अनुदान संख्या 36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के वर्ष 2014-15 के लिये बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा से पता चला कि वर्ष 2014-15 में ₹ 1,164.05 करोड़ (योजना- ₹ 964.48 करोड़ तथा गैर-योजना- ₹ 199.57 करोड़) की कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध विभाग केवल ₹ 759.08 करोड़ (योजना- ₹ 586.73 करोड़ तथा गैर-योजना ₹ 172.35 करोड़) (65.21 प्रतिशत) का व्यय, ₹ 404.97 करोड़ (34.79 प्रतिशत) की कुल बचत को छोड़ते हुए किया। इसके अलावा, ₹ 404.97 करोड़ की कुल बचत में से 2014-15 के दौरान ₹ 27.42 करोड़ को अभ्यर्पित किया गया तथा शेष ₹ 377.55 करोड़ को व्यपगत होने के लिये छोड़ दिया गया।

2.7.2 विभाग की विगत तीन वर्षों की बजटीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक खर्च	बचत	बचत का प्रतिशत
2011-12	राजस्व	191.00	2.89	193.89	186.82	7.07	
	पूँजीगत	300.60	-	300.60	241.26	59.34	
	कुल	491.60	2.89	494.49	428.08	66.41	13.43
2012-13	राजस्व	202.31	2.48	204.79	199.66	5.13	
	पूँजीगत	350.00	-	350.00	296.22	53.78	
	कुल	552.31	2.48	554.79	495.88	58.91	10.62
2013-14	राजस्व	214.86	0.01	214.87	201.85	13.02	
	पूँजीगत	360.00	3.50	363.50	321.02	42.48	
	कुल	574.86	3.51	578.37	522.87	55.50	9.60

स्रोत : विनियोग लेखे 2011-14

उपर्युक्त तालिका से यह प्रदर्शित था कि विभाग को वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 66.41 करोड़ (13.43 प्रतिशत), ₹ 58.91 करोड़ (10.62 प्रतिशत) तथा ₹ 55.50 करोड़ (9.60 प्रतिशत) की सतत बचत हुई।

2.7.3 संगठनात्मक ढाँचा

सचिव विभाग के प्रमुख होते हैं। सचिव के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में अभियंता प्रमुख (ई.आई.सी.) योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी हैं। ई.आई.सी. को मुख्यालय तथा क्षेत्र स्तर पर मुख्य अभियंताओं (सी.ई.ज.), अंचल स्तर पर अधीक्षण अभियंताओं (एस.ई.ज.) तथा प्रमंडल स्तर पर कार्यपालक अभियंताओं (ई.ई.ज.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। राज्य में ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये कार्यपालक अभियंताओं के अधीन 32 पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल हैं।

लेखापरीक्षा खोज

2.7.4 बजट आकलनों को विलम्ब से जमा किया जाना

झारखंड द्वारा यथा अंगीकृत बिहार बजट नियमावली का नियम 62 बजट आकलन तैयार करने के लिये बजट कैलेंडर उपलब्ध कराता है। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने संबंधित मंत्री के अनुमोदन के उपरांत सामान्य बजट को जमा करने तथा बजटीय लेन-देनों के व्यापक परिव्यय (सी.ओ.बी.टी.) को तैयार करने की निर्धारित तिथि को बजट नियमावली में वर्णित तिथि एक अक्टूबर के स्थान पर 25 तथा 28 नवम्बर 2013 के बीच पुनर्निर्धारित (सितम्बर 2013) किया।

हमलोगों ने पाया कि विभाग ने गैर-योजना (कार्य तथा स्थापना) का बजट आकलनों को 26 नवंबर 2013 की लक्षित तिथि के विरुद्ध 31 दिसम्बर 2013 को 35 दिनों की देरी से जमा किया जबकि इसने योजना बजट के आकलन को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित 28 नवंबर 2013 के लक्षित तिथि के विरुद्ध चार महीनों की देरी से तैयार करके योजना एवं विकास विभाग को जमा (27 मार्च 2014) किया।

हमने लेखा परीक्षा में यह भी पाया कि नौ¹ नमूना-परीक्षित में से पाँच² संवितरण अधिकारियों ने गैर-योजना बजट के अनुमानों को विभाग द्वारा निर्धारित (सितम्बर 2013) तिथि 31 अक्टूबर 2013 के विरुद्ध 11 से 25 दिनों की देरी से नियंत्रण अधिकारी (सी.ओ.) को जमा किया। जिसका परिणाम अंततः सी.ओ. द्वारा गैर-योजना बजट के अनुमानों को वित्त विभाग को विलम्ब से जाना हुआ।

2.7.5 अवास्तविक बजट अनुमान

बजट नियमावली के नियम 65 तथा 133 के अनुसार, नियंत्रण अधिकारी को संवितरण अधिकारियों से प्राप्त बजट की जाँच करनी चाहिए कि वे सही हैं तथा सभी विवरण एवं स्पष्टीकरण पर्याप्त हैं, अनुपूरक माँग तथा पुनर्विनियोग वास्तविक खर्च पर आधारित हैं ताकि वृहद आधिक्य या बचत की संभावना नगण्य हो।

हमने लेखा परीक्षा में पाया कि नियंत्रण अधिकारी ने संवितरण अधिकारियों से योजना व्यय (राज्य योजनागत योजना तथा केंद्र प्रायोजित/केन्द्रीय योजनागत योजना) के लिए बजट अनुमानों की माँग नहीं की। योजना बजट का प्रस्ताव विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर क्षेत्रीय अधिकारियों की जरूरतों को प्राप्त किए बिना ही तैयार किया गया। जिसके कारण विभाग द्वारा अवास्तविक बजट अनुमान तैयार किया गया जिसमें वर्ष 2014-15 के दौरान अनुदान संख्या 36 के तहत योजना व्यय के लिए ₹ 964.48 करोड़ की कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 377.75 करोड़ (39.10 प्रतिशत) की बचत में परिणत हुआ। अतः, बजट नियमावली में परिकल्पित बजटीय नियंत्रणों को हताश तथा उपेक्षा करने की प्रवृत्ति पाई गई।

¹ 1. गिरिडीह-2, 2. गुमला, 3. हजारीबाग, 4. जमशेदपुर, 5. मधुपुर, 6. मेदिनी नगर, 7. राँची पश्चिम, 8. साहिबगंज तथा 9. सराईकेला।

² सराईकेला-11 दिन, गिरिडीह-2-16 दिन, गुमला-23 दिन, जमशेदपुर-23 दिन तथा मधुपुर-25 दिन।

2.7.6 परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

हमने लेखा परीक्षा में पाया कि वर्ष 2014-15 के दौरान विभाग का मूल तथा अनुपूरक प्रावधान क्रमशः ₹ 954.06 करोड़ (योजना- ₹ 775.75 करोड़ तथा गैर-योजना- ₹ 178.31 करोड़) तथा ₹ 209.98 करोड़ (योजना- ₹ 188.72 करोड़ तथा गैर-योजना- ₹ 21.27 करोड़) था। वर्ष 2014-15 के दौरान विभाग केवल ₹ 759.08 करोड़ (योजना- ₹ 586.73 करोड़ तथा गैर-योजना- ₹ 172.35 करोड़) का उपयोग कर सका, जो कि मूल प्रावधान से भी कम था। जबकि, विभाग ने ₹ 209.98 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान की माँग की। इसे टाला जा सकता था यदि विभाग क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकताओं पर आधारित व्यय का अनुमान लगाता।

2.7.7 बजटीय प्रावधान से आधिक्य व्यय

बजट नियमावली के नियम 138 के अनुसार, आधिक्य व्यय से सख्ती से बचा जाना चाहिए।

हमने पाया कि मुख्य शीर्ष 2215- गैर-योजना के अधीन तीन उप-शीर्षों (25 उप-शीर्षों में से) में ₹ 5.34 करोड़ (परिशिष्ट 2.11) का आधिक्य व्यय हुआ। इसके अलावा गैर-योजना के अंतर्गत ₹ 27.22 करोड़ के स्थान पर ₹ 27.42 करोड़ के अधिक अभ्यर्पण के कारण आधिक्य व्यय (अंतिम आवंटन- ₹ 172.15 करोड़; अंतिम व्यय- ₹ 172.35 करोड़) हुआ। यह व्यय पर दोषपूर्ण नियंत्रण को इंगित किया।

2.7.8 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन प्रत्यर्पण

हमने लेखा परीक्षा में पाया कि ₹ 1,164.04 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 27.42 करोड़ की कुल अभ्यर्पण में से ₹ 25.79 करोड़ (परिशिष्ट 2.12) को विभाग द्वारा 31 मार्च 2015 को सरकार द्वारा अन्य योजनाओं पर इस निधि के उपयोग की गुंजाइश को नहीं छोड़ते हुए अभ्यर्पित किया गया। हमने आगे नौ नमूना-जाँचित प्रमंडलों में पाया कि वर्ष के दौरान ₹ 86.29 करोड़ के कुल आवंटन के विरुद्ध विभाग को कुल ₹ 9.28 करोड़ के अभ्यर्पण में से, ₹ 4.89 करोड़ (53 प्रतिशत) (परिशिष्ट 2.13) का अभ्यर्पण 29 से 31 मार्च 2015 के बीच की गई। हमने यह भी पाया कि कुल 37 उप-शीर्षों में से तीन उप-शीर्षों में ₹ 1.55 करोड़ (परिशिष्ट 2.14) की शत-प्रतिशत बचत हुई।

2.7.9 व्यय का वेग

बजट नियमावली के नियम 113 के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के समापन के महीनों में व्यय का वेग आम तौर पर वित्तीय नियमितता का उल्लंघन के रूप में माना जाएगा। इसलिए विशेष रूप से समापन महीने में व्यय के वेग से बचा जाना चाहिए।

हमने लेखा परीक्षा में पाया कि कुल व्यय ₹ 759.08 करोड़ में से ₹ 379.65 करोड़ (50.01 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2015 में किया गया। जाँच में पता चला कि 37 में से

13 उप-शीर्षों में मार्च के महीने का व्यय वर्ष के दौरान किये गये व्यय के 50 से 100 प्रतिशत (परिशिष्ट 2.15) के बीच था। हमने नौ नमूना-जाँचित प्रमंडलों में आगे पाया कि वर्ष 2014-15 में ₹ 221.91 करोड़ के कुल व्यय (परिशिष्ट 2.16) के विरुद्ध राज्य योजना, गैर-योजना तथा केंद्र प्रायोजित योजना (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के तहत ₹ 86.31 करोड़ (38.89 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2015 के दौरान किया गया।

2.7.10 सामग्री के रूप में धन का अवरुद्धिकरण

स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (एस.बी.डी.) एकरारनामा (तकनीकी विशिष्टताओं की अनुच्छेद 11.0) के प्रावधानों के अनुसार पाईप की आपूर्ति के लिए उत्पाद शुल्क छूट प्रमाण-पत्र इस तरह के चरणबद्ध तरीके से ठेकेदार को दिया जाएगा जिससे कि पाईप लाइन बिछाने की प्रगति योजना के अन्य घटकों यथा- इंटेकवेल, जल उपचार संयंत्र, उच्च सेवा जलाशय तथा जमीन सेवा जलाशय आदि की प्रगति के साथ-साथ होनी चाहिए।

हमने पाँच³ नमूना-जाँचित प्रमंडलों में पाया की सात ग्रामीण पाईप जल आपूर्ति योजनाओं (परिशिष्ट 2.17) के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 25.79 करोड़ के योजना निधि के कुल आवंटन में से ₹ 17.02 करोड़ (66 प्रतिशत) का उपयोग उठाव तथा वितरण मुख्य पाईपों की खरीददारी के लिए किया गया। खरीदे गए पाईपों में से ₹ 14.17 करोड़ (55 प्रतिशत) की पाईपों को अगस्त 2015 तक बिछाया नहीं जा सका। यह मुख्यतः पाईप की आपूर्ति के लिए उत्पाद शुल्क छूट प्रमाण-पत्रों को चरणबद्ध तरीके के स्थान पर एकमुश्त प्रदान करने के कारण हुआ जो कि एस.बी.डी. के प्रावधानों के विरुद्ध था जैसा कि ऊपर बतलाया गया। इसके अलावा योजनाओं के अन्य घटकों यथा आर.सी.सी. इंटेकवेल का निर्माण, गैंगवे, जल उपचार संयंत्र, उच्च/जमीन सेवा जलाशय की भौतिक प्रगति पाईप लाइन बिछाने की प्रगति के मिलान में नहीं था। इसके अलावा, पाईपों की खरीद प्रमंडलों को कार्यों के लिए उपलब्ध राशि के उपयोग के लिए किया गया जिसके कारण ₹ 14.17 करोड़ की निधि का अवरुद्धिकरण सामग्री के रूप में हुआ।

2.7.11 विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन

बजट नियमावली के नियम 130 बतलाता है कि नियंत्रण एवं संवितरण अधिकारियों को व्यय के नियंत्रण पर आवश्यक व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए जिससे कि अनियमिततायें यथा दोषपूर्ण या गलत बजट, व्यय पर दोषपूर्ण नियंत्रण तथा व्यय के गलत वर्गीकरण को कम किया जा सके। इसके अलावा, बजट नियमावली का नियम 134 बतलाता है कि उन्हें अपने कर्मचारियों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए विभागीय लेखों का समाशोधन महालेखाकार के बही के साथ मासिक आधार पर करने के

³ गिरिडीह-2, हजारीबाग, मधुपुर, राँची पश्चिम तथा सराईकेला

लिए जोर देना चाहिए जिससे की व्यय तथा जमाओं के गलत वर्गीकरण की संभावनाओं से बचा जा सके।

हमने पाया कि वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 759.08 करोड़ के कुल व्यय में से अगस्त 2015 तक केवल ₹ 167.19 करोड़ (22 प्रतिशत) का समाशोधन महालेखाकार की बही से किया गया तथा ₹ 591.89 करोड़ (78 प्रतिशत) का व्यय असमाशोधित रह गया। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि नियंत्रण एवं संवितरण अधिकारी ऊपर वर्णित नियमों का उल्लंघन करते हुए व्यय का नियंत्रण करने में आवश्यक व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने में विफल रहे (परिशिष्ट 2.18)।

2.7.12 आइ.एम.आइ.एस. और मासिक लेखे के आँकड़ों में विसंगति

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार, एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. की प्रभावी योजना बनाने, निगरानी करने तथा कार्यान्वयन के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (आइ.टी.) आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आइ.एस.) अनुकूलित सॉफ्टवेयर के विकास तथा रखरखाव के माध्यम से राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को कम्प्यूटिंग शक्ति का पूरा उपयोग करते हुए इस क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों की योजना, निगरानी तथा कार्यान्वयन को सक्षम बनाना है तथा आइ.एम.आइ.एस. के अनुप्रयोग के माध्यम से केन्द्रीय सर्वर पर प्रासांगिक आँकड़ा उपलब्ध कराना है।

हमने लेखा परीक्षा में पाया कि आइ.एम.आइ.एस. सॉफ्टवेयर नमूना-जाँचित प्रमंडलों में प्रमंडल स्तर पर एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत विभिन्न घटकों के भौतिक तथा वित्तीय आँकड़ों से संबंधित आँकड़ों की प्रविष्टि के लिए उपयोग में लाया जा रहा था। इसके आगे हमने पाया कि “2215” (10-एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) मुख्य शीर्ष के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य संभागों के लिए वित्तीय उपलब्धि से संबंधित आइ.एम.आइ.एस. में प्रविष्टि आँकड़ें प्रमंडलों द्वारा तैयार किए गए मासिक लेखे के आँकड़ों से भिन्न थे जिन्हें कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, झारखंड को सौंपा गया था। कुल व्यय के ₹ 58.71 करोड़ (केंद्रान्श : ₹ 16.19 करोड़ तथा राज्यांश : ₹ 42.52 करोड़) के आँकड़ों में विसंगति थी जिसे परिशिष्ट 2.19 में दर्शाया गया है। कार्यपालक अभियंताओं (ई.ई.ज.) ने जवाब में कहा कि राज्य संभाग के तहत आइ.एम.आइ.एस. तथा मासिक लेखे के आँकड़ें में विसंगति मुख्यतः मुख्य शीर्ष “4215” (02-ग्रामीण पाईप जल आपूर्ति योजना के तहत) शत-प्रतिशत राज्य योजनाओं के व्यय को जोड़ने के कारण था जिसके लिये मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को व्यय के संकलन के लिए अलग से भेजा जा रहा था।

2.7.13 बजट भाषण में घोषणा की गई योजनाओं का क्रियान्वयन

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि विभाग ने एन.आर.डी.डब्लू.पी. के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान योजनायें यथा-प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में ड्रिल्ड नलकूपों (डी.टी.डब्लू.एस.) का निर्माण, डी.टी.डब्लू.एस. का पुनर्स्थापन, सड़े रेईजर पाइपों (आर.आर.पी.) को बदलना तथा डी.टी.डब्लू.एस. को इंडिया मेक (आइ.एम.) III से आइ.एम. II में परिवर्तन जैसी योजनाओं को क्रियान्वित किया।

हमने नौ नमूना-जाँचित प्रमंडलों में पाया कि उपर्युक्त योजनाओं के लिये वर्ष के दौरान नमूना-जाँचित प्रमंडलों में ₹ 60.88 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध ₹ 52.10 करोड़ (85.58 प्रतिशत) के व्यय के साथ भौतिक उपलब्धि 78 तथा 93 प्रतिशत के बीच थी। जबकि स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण (एस.बी.एम.जी.) के तहत व्यक्तिगत घर शौचालय (आइ.एच.एच.एल.) के निर्माण के संदर्भ में 2014-15 के दौरान 2,53,575 के राज्य स्तर लक्ष्य के विरुद्ध कुल उपलब्धि 98,519 (39 प्रतिशत) थी तथा नौ नमूना-जाँचित जिलों में उपलब्धियों की प्रतिशतता 42 प्रतिशत थी। योजनाओं की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धि को परिशिष्ट 2.20 (अ) तथा 2.20 (ब) में दर्शाया गया है। इस प्रकार, विभाग द्वारा 2014-15 के दौरान क्रियान्वित योजनाओं की अनुपयुक्त निगरानी की गई।

2.8 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अनुचित बजट आकलन के कारण वृहद बचत

- वर्ष 2014-15 के दौरान अनुचित बजट आकलन को दर्शाते हुए कुल बजट प्रावधान ₹ 57,303.36 करोड़ के विरुद्ध ₹ 17,265.85 करोड़ (30 प्रतिशत) की अत्यधिक बचत हुई। विभिन्न योजनाओं/उप-शीर्षों के तहत अत्यधिक बचत राज्य में विकास योजनाओं के अनुपालन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में कार्यरत 14 विभागों में भी विगत पाँच वर्षों से सतत बचत देखा गया।

सरकारी विभागों में अत्यधिक बचत, विशेष रूप से जहाँ निरंतर बचत की गई, को रोकने के लिए बजटीय नियंत्रण प्रक्रिया को सशक्त करना चाहिए तथा अनुपूरक अनुदान लेने से परहेज करना चाहिए जो अप्रयुक्त रहते हैं।

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

- वर्ष 2014-15 के दौरान आकस्मिकता निधि से 58 अवसरों पर ₹ 149.35 करोड़ अग्रिम के रूप में वैसे व्यय के लिए निकाले गए जो न तो अप्रत्याशित थे और न ही आकस्मिक प्रवृत्ति के।

आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित एवं आकस्मिक प्रवृत्ति के व्यय को पूरा करने के लिए ही की जानी चाहिए।

वर्ष 2014-15 के दौरान प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

- वर्ष 2014-15 के दौरान प्रावधानों से परे ₹ 361.21 करोड़ का अधिक व्यय किया गया जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत विनियमित करने की आवश्यकता है। इसके अलावे, वर्ष 2001-2014 के दौरान की गई अधिक व्यय ₹ 2,377.91 करोड़ को अभी भी विनियमित किया जाना बाकी है।

वर्तमान वर्ष के अधिक व्यय के साथ-साथ पूर्व के वर्षों में किए गए अधिक व्यय के विनियमितकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव

- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने बजट नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया जिससे विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव रहा जिसके परिणामस्वरूप, विशाल बचत, वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की तीव्रता, महालेखाकार के बही से लेखे का असमाशोधन तथा रोकड़/सामान के रूप में निधियाँ अवरूद्ध हुईं।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को बजट अनुवीक्षण प्रणाली को अपनाते हुए बजट नियमावली के प्रावधानों का सर्वथा अनुसरण करना चाहिए।

अध्याय-3
वित्तीय प्रतिवेदन

वित्तीय प्रतिवेदन

एक ठोस आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। वित्तीय नियमों-प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता अच्छे प्रशासन के लक्षणों में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य सरकार की रणनीतिक योजना तथा निर्णयीकरण सहित इसकी मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में सहायक होती है। यह अध्याय वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

3.1 अनुदान के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र का अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1.1 परिचय

सहायता अनुदान (स.अ.) सहायता, दान या अंशदान के रूप में भुगतान का तरीका है जो कि एक सरकार द्वारा दूसरे सरकार, निकाय, संस्थान या व्यक्ति को दिया जाता है। सहायता अनुदान संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों या पंचायती राज संस्थानों, अभिकरणों, निकायों और संस्थानों को दिया जाता है। उसी प्रकार, राज्य सरकार भी सहायता अनुदान का संवितरण अभिकरणों, निकायों और संस्थानों यथा विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, सहकारी संस्थाओं एवं अन्य को करती है। इस तरह निर्गत अनुदानों का उपयोग इन अभिकरणों, निकायों और संस्थानों द्वारा दिन-प्रतिदिन के संचालन के व्यय की प्रतिपूर्ति और पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए किया जाता है।

झारखण्ड वित्त नियमावली (झा.वि.नि.) का नियम 341 बतलाता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उतना ही सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए जिनके व्यय होने की संभावना उस वर्ष के दौरान हो, सहायता अनुदान के लिए विपत्र को हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी को यह देखना चाहिए कि राशि की निकासी आवश्यकता से पूर्व नहीं की जाये।

झा.वि.नि. का नियम 342 बतलाता है कि यदि वर्ष के दौरान विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सहायता अनुदान दिए गये हैं तो विभागीय पदाधिकारियों द्वारा अनुदान ग्राहियों से प्रपत्र जी.एफ.आर.-19ए में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त कर लिया जाना चाहिए एवं जाँचोपरान्त उनकी स्वीकृति की तिथि के 12 माह के अन्दर इसे महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड को अग्रसारित कर दिया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि वर्ष 2013-14 तक आहरित सहायता अनुदान विपत्रों के विरुद्ध, ₹ 5,161.72 करोड़ के कुल 5,841 उपयोगिता प्रमाण-पत्र मार्च 2015 के अन्त तक

बकाये थे। ऐसे उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का एक बड़ा भाग चार विभागों यथा शहरी विकास विभाग (₹ 1,540.56 करोड़ के कुल 3,881 उ.प्र.प.), शिक्षा विभाग (₹ 556.16 करोड़ के कुल 54 उ.प्र.प.), कल्याण विभाग (₹ 378.26 करोड़ के कुल 476 उ.प्र.प.) और सहकारी विभाग (₹ 140.08 करोड़ के कुल 117 उ.प्र.प.) के विरुद्ध बकाये थे। विभागवार बकाया उ.प्र.प. का वर्गीकरण **परिशिष्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

24 अगस्त 2015 तक बकाये उ.प्र.प. की संख्या एवं राशि घटकर क्रमशः 5,811 एवं ₹ 5,148.57 करोड़ हो गई जिसे **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 : बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (24 अगस्त 2015 तक)

वर्ष जिसमें सहायता अनुदान वितरित किये गये	वर्ष जिसमें उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाये थे	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2010-11 तक	2011-12 तक	2495	1140.08
2011-12	2012-13	545	438.99
2012-13	2013-14	1075	1406.65
2013-14	2014-15	1696	2162.85
प्रतीक्षारत उ.प्र.प. की कुल संख्या		5811	5148.57

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2014-15

अभीष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदानों की उपयोगिता ससमय सुनिश्चित करने हेतु वृहद धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र की अप्राप्ति विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमों एवं कार्यप्रणालियों के अनुपालन में विफलता को इंगित करता है।

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुदान सं. 36 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (पे.ज. एवं स्व.वि.) के केंद्र प्रायोजित योजना (के.प्रा.यो.) जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (रा.ग्रा.पे.ज.का.) एवं निर्मल भारत अभियान (नि.भा.अ.) के कार्यान्वयन में, 2012-14 की अवधि के बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्रान्श एवं राज्यांश की स्वीकृत राशि, मनोनीत आहरण एवं संवितरण अधिकारी (कार्यपालक अभियंता, पे.ज. एवं स्व.वि., राँची पश्चिम प्रमण्डल) द्वारा सरकारी खाते से अनुदान विपत्र के माध्यम से आहरित कर राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (का.प्र.इ.), डोरण्डा, राँची में इस उद्देश्य के लिए परिचालित किये गये बैंक खाते में जमा किया गया।

3.1.2 अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

कुल उपलब्ध राशि ₹ 110.01 करोड़ (1 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक शेष ₹ 84.33 करोड़, आहरित सहायता अनुदान विपत्र ₹ 20.25 करोड़ एवं अर्जित ब्याज ₹ 5.43 करोड़) के विरुद्ध राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा ₹ 82.95 करोड़ की बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र छोड़कर मात्र ₹ 27.06 करोड़ की उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा किया गया था।

तालिका 3.2 : अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एक अप्रैल 2013 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान विमुक्ति	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	वर्ष के दौरान कुल उपलब्ध राशि	समर्पित उपयोगिता	अप्रयुक्त शेष
2012-13	84.33	12.00	2.58	98.91	11.38	87.53
2013-14	87.53	8.25	2.85	98.63	15.68	82.95
कुल		20.25	5.43		27.06	

हमने आगे नौ¹ नमूना-जाँचित प्रमंडलों में पाया कि 2010-15 की अवधि के दौरान शौचालय निर्माण, शॉक पीट एवं चापाकल के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए स्वीकृत कुल अग्रिम ₹ 61.15 करोड़ (रा.ग्रा.पे.ज.का. ₹ 10.85 करोड़ एवं नि.भा.अ./स्व.भा.मि.ग्रा. ₹ 50.30 करोड़) के विरुद्ध मात्र ₹ 11.07 करोड़ (रा.ग्रा.पे.ज.का. ₹ 3.16 करोड़ एवं नि.भा.अ./स्व.भा.मि.ग्रा. ₹ 7.91 करोड़) का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं (ग्रा.जल.स्व. समिति एवं अन्य) द्वारा जमा किया गया था (परिशिष्ट 3.2)।

3.1.3 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के समर्पण में विलम्ब

हमने पाया कि 2012-14 की अवधि के दौरान विमुक्त रा.ग्रा.पे.ज.का. (राज्यांश) एवं नि.भा.अ. (राज्यांश) से संदर्भित पाँच स्वीकृतियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को समर्पण में 10 से 21 माह तक का विलम्ब था जिसका विस्तृत तालिका 3.3 में है।

तालिका 3.3 : उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के समर्पण में विलम्ब

क्र. सं.	स्वीकृति संख्या/ तिथि	योजना	राशि (₹ करोड़ में)	उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पण की तिथि	उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पण की वास्तविक तिथि	विलम्ब माह में
1.	70/25.07.2012	रा.ग्रा.पे.ज.का.	39.43	24.07.2013	15.05.2015	21
2.	149/11.12.2012	रा.ग्रा.पे.ज.का.	138.62	10.12.2013	15.05.2015	17
3.	22/15.06.2013	रा.ग्रा.पे.ज.का.	89.00	14.06.2014	15.05.2015	11
4.	219/15.03.2013	नि.भा.अ.	12.00	14.03.2014	23.04.2015	13
5.	1196/18.07.2013	नि.भा.अ.	7.25	17.07.2014	08.05.2015	10

¹ गिरिडीह-2, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर मधुपुर, मेदिनीनगर, राँची पश्चिम, साहिबगंज एवं सरायकेला

आगे, नमूना-जाँचित प्रमण्डलों (पे.ज. एवं स्व. प्रम. सरायकेला को छोड़कर) में संधारित रोकड़ बही में ₹ 48.19 करोड़ (रा.ग्रा.पे.ज.का. ₹ 7.69 करोड़ एवं नि.भा.अ./स्व.भा.अ. ₹ 40.50 करोड़) के अग्रिम को जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम प्रदान की गई थी उस पर वास्तविक रूप में उपयोग किये बिना ही व्यय के रूप में दर्शाया गया। अतः नमूना-जाँचित प्रमण्डलों के कार्यपालक अभियंताओं के द्वारा ₹ 48.19 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र, वास्तविक व्यय/असमायोजित अग्रिम के बिना ही दे दिया गया था।

3.1.4 अनुदान विमुक्ति में विलम्ब

राज्य सरकार को स्वीकृति आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर, कार्यकारी संस्थानों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति/स्थानान्तरण सुनिश्चित करना है। लेकिन हमलोगों ने लेखापरीक्षा में पाया कि विभाग द्वारा स्वीकृत राशि को कार्यकारी संस्थाओं को विमुक्ति में 34 से 177 दिनों का विलम्ब हुआ था जैसा कि परिशिष्ट 3.3 में है। हमलोगों ने आगे पाया कि भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत ₹ 15.07 करोड़ (स्वी.सं. 595 से ₹ 1,388.00 लाख एवं स्वी.सं. 578 से ₹ 119.29 लाख, दिनांक 30 मार्च 2015) की राशि को विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान विमुक्त नहीं किया गया था।

3.1.5 अनुदान का अनुपयोग एवं अवरुद्धिकरण

हमलोगों ने पाया कि झारखण्ड वित्तीय नियम 341 के विरुद्ध 31 मार्च 2014 को अनुदान का भारी अवशेष ₹ 242.86 करोड़² रहने के बावजूद विभाग ने वर्ष 2014-15 के दौरान रा.ग्रा.पे.ज.का. के अन्तर्गत ₹ 412.86 करोड़³ विमुक्त किये जिसमें विभाग वर्ष के दौरान मात्र ₹ 471.84 करोड़⁴ उपयोग कर सका एवं 31 मार्च 2015 को ₹ 205.58 करोड़⁵ (₹ 21.70 करोड़ ब्याज सहित) अव्यवहृत रह गये। इसके अलावा नि.भा.अ./स्व.भा.अ.ग्रा. के अन्तर्गत राज्य स्तर पर 31 मार्च 2015 को अवशेष ₹ 5.80 करोड़ अवरुद्ध थे। जिला स्तरीय अवरुद्ध राशि का आँकड़ा विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

इन नौ नमूना-जाँचित प्रमण्डलों में, प्रमण्डलों द्वारा अनुदानों को उपयोग में नहीं लाने के कारण नि.भा.अ./स्व.भा.अ.ग्रा. के अन्तर्गत ₹ 35.25 करोड़ (परिशिष्ट 3.4) की राशि के अनुदान 31 मार्च 2015 तक अवरुद्ध थे।

² केन्द्रांश - ₹ 120.44 करोड़ एवं राज्यांश - ₹ 122.42 करोड़

³ केन्द्रांश - ₹ 183.17 करोड़ एवं राज्यांश - ₹ 229.69 करोड़

⁴ केन्द्रांश - ₹ 225.44 करोड़ एवं राज्यांश - ₹ 246.40 करोड़

⁵ केन्द्रांश - ₹ 89.19 करोड़ (अव्यवहृत अवशेष ₹ 78.17 करोड़ एवं बैंक ब्याज ₹ 11.02 करोड़) और राज्यांश - ₹ 116.39 करोड़ (अव्यवहृत अवशेष ₹ 105.71 करोड़ एवं बैंक ब्याज ₹ 10.68 करोड़)

3.2 स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा

3.2.1 सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा किये जाने वाले संस्थानों/संगठनों को पहचानने के क्रम में विभिन्न संस्थाओं को प्रदत्त वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता के उद्देश्य एवं संस्थानों के कुल व्यय के बारे में एक विस्तृत विवरण सरकार/विभागाध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है। राज्य के 71 निकायों/प्राधिकरणों में से 63 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा अगस्त 2015 तक विभिन्न अवधियों में की गई जिसे परिशिष्ट 3.5 में दर्शाया गया है।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त आकलन की आवश्यकता है कि ये लेखे तय समय सीमा के अन्दर संकलित किये गये हैं एवं लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गये हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय अनियमिततायें, यदि कोई हो, गुप्त न रह जाए।

3.2.2 सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अधीन लेखापरीक्षा

राज्य में ऐसे तीन स्वायत्त निकाय⁶ हैं जिनकी सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, की धारा 19 (3) के अंतर्गत लेन-देनों, प्रचालन गतिविधियों और लेखाओं के परीक्षण, लेन-देनों के अनुपालन लेखापरीक्षा का आयोजन, आन्तरिक प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा, पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं इत्यादि की समीक्षा से संबंध लेखापरीक्षा की जाती है।

तीन स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा की स्थिति दर्शाने वाले विवरण तालिका 3.4 में दिये गये हैं।

⁶ (i) 22 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.) सहित झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), (ii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.इ.आर.सी.) एवं (iii) राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)।

तालिका 3.4 : स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा की स्थिति दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जब तक लेखे दिये गये	वर्ष जब तक एस.ए.आर निर्गत हुये	विधानमंडल में एस.ए.आर. का उपस्थापन	टिप्पणियाँ
1	झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा)	2010-11	2010-11	सूचित नहीं	वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के लेखे अभी तक (अगस्त 2015) अप्राप्त
2	झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.)	2011-12	2011-12	सूचित नहीं	वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लेखे अभी तक (अगस्त 2015) अप्राप्त
3	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)	सुपुर्दगी (2009) से अप्रस्तुत	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	सक्रिय प्रयास के बावजूद किसी भी वर्ष के वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा हेतु अगस्त 2015 तक प्रस्तुत नहीं किये गये

3.3 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधियों का अनुपालन लेखापरीक्षा

3.3.1 परिचय

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा.को.सं.) खण्ड-1 एवं खण्ड-2 के नियम 318 के अनुसार, आकस्मिक प्रभार को बिना किसी सहायक अभिश्रव के संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्र (टी.सी. प्रपत्र 38) पर कोषागार से अग्रिम के रूप में आहरित किया जा सकता है। व्यय को संबंधित सेवा-शीर्षों के अंतर्गत विकलित किया जाता है और नियंत्रक अधिकारी⁷ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सहायक उप-अभिश्रव के साथ विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्र (टी.सी. प्रपत्र 39)⁸ में संबंधित माह के अगले माह⁹ के 25 तारीख या उससे पहले महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को सौंपना आवश्यक है। प्रत्येक माह के 10 तारीख के बाद भुगतान हेतु उपस्थापित प्रथम ए.सी. विपत्र के साथ इस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा कि पिछले माह आहरित ए.सी. विपत्र के लिए विस्तृत विपत्र प्रतिहस्ताक्षर हेतु नियंत्रक अधिकारी को सौंप दी गई है (झा.को.सं. का नियम 319)।

31 मार्च 2015 तक ₹ 4,886 करोड़ के बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को छोड़कर वर्ष 2000-15 के दौरान आहरित कुल ₹ 15,856 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध कुल ₹ 10,970 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्राप्त हुए। वर्ष-वार ब्यौरे तालिका 3.5 में दिये गये हैं।

⁷ यदि नियंत्रक अधिकारी नहीं हो, तो कार्यालय प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर कर सीधे महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को भेजा जा सकता है।

⁸ झा.को.सं. का नियम 320।

⁹ झा.को.सं. का नियम 322।

तालिका 3.5 : संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक विपत्रों का विलंबित प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित ए.सी. विपत्र		सौंपे गए डी.सी. विपत्र		बकाया डी.सी. विपत्र		डी.सी. विपत्रों के बकाया राशि की प्रतिशतता
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
2012-2013 तक	54095	14468	40798	10572	13297	3896	27
2013-2014	468	667	248	343	220	324	49
2014-2015	550	721	79	55	471	666	92
कुल	55113	15856	41125	10970	13988	4886	31

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

तालिका 3.5 में दिये अनुसार, वर्ष 2000-15 के दौरान आहरित कुल ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध बकाया डी.सी. विपत्रों की प्रतिशतता 31 मार्च 2015 तक 31 प्रतिशत थी। 31 मार्च 2015 को वर्ष 2014-15 के शीर्ष 50 बकाये डी.सी. विपत्रों वाले नियंत्रक अधिकारी परिशिष्ट 3.6 में सूचीबद्ध हैं। प्रमुख गैर-जिम्मेवार विभाग 'ग्रामीण विकास विभाग' (₹ 962 करोड़), 'कल्याण विभाग' (₹ 826 करोड़), 'स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग' (₹ 483 करोड़), 'सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग' (₹ 453 करोड़) तथा 'गृह विभाग' (₹ 148 करोड़) थे। इन पाँच विभागों में, वर्ष 2014-15 के दौरान आहरित संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के सापेक्ष 31.03.2015 तक बकाये विस्तृत आकस्मिक विपत्रों वाले नियंत्रक अधिकारियों के ब्यौरे परिशिष्ट 3.7 में दिये गये हैं। पिछले वर्ष के 49 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का अप्रस्तुतीकरण ए.सी. विपत्रों में आहरित की गई राशि का 92 प्रतिशत था। नियंत्रक अधिकारियों द्वारा विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण संबंधित वर्ष के दौरान राज्य का व्यय संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों में आहरित अग्रिम की सीमा से अधिक बताया गया।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (पे.ज. एवं स्व.वि.) के द्वारा ए.सी. विपत्र पर आहरित राशि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा मई और अगस्त 2015 के मध्य संचालित किया गया था। पे.ज. एवं स्व.वि. में छः ए.सी. विपत्रों के माध्यम से मुख्य शीर्ष 4215 एवं 2245 के अंतर्गत 2005-12 अवधि के दौरान राशि ₹ 120.83 करोड़ आहरित किये गये थे जिसके विरुद्ध ₹ 119.28 करोड़ का डी.सी. विपत्र समर्पित किये गये थे। फिर भी, हमलोगों ने देखा कि तीन ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध ₹ 1.55 करोड़ का डी.सी. विपत्र बकाया (21 अगस्त 2015 को) था जिसे तालिका 3.6 में दिखलाया गया है।

तालिका 3.6 : बकाया डी. सी. विपत्र

वर्ष	मुख्य शीर्ष	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	आहरित ए.सी. विपत्र		समर्पित डी.सी. विपत्र		बकाया डी.सी. विपत्र	
			विपत्रों की संख्या	विपत्र की राशि (₹ लाख में)	विपत्रों की संख्या	विपत्र की राशि (₹ लाख में)	विपत्रों की संख्या	विपत्र की राशि (₹ लाख में)
2008-09	4215	कार्यपालक अभियंता, पे.ज. एवं स्व.प्रम., लातेहार	2	91.83	-	-	2	91.83
2011-12	2245	प्रधान सचिव, पे.ज.एवं स्व.वि.	1	6195.50	1	6131.93	1	63.57
कुल			3	6287.33	1	6131.93	3	155.40

इसके अलावा, लेखापरीक्षा के दौरान हमलोगों ने पाया कि :

3.3.2 विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के समर्पण में विलम्ब

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 322 बतलाता है कि विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को संबंधित माह से अगले माह के 25वीं तारीख से पूर्व महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, राँची को भेजा जाना है।

पे.ज. एवं स्व.वि. के अभिलेखों के अवलोकन से पता चला कि वर्ष 2005-06, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान प्रधान सचिव आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में मुख्य शीर्ष-2245 के अन्तर्गत डोरण्डा कोषागार से चार ए.सी. विपत्र के माध्यम से ₹ 119.92 करोड़ आहरित किये थे। कार्यकारी प्रमण्डलों को योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि का वितरण (जनवरी 2006 से मार्च 2012 के मध्य) किया गया था। हमलोगों ने पाया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी के स्थान पर उपर्युक्त संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए डी.सी. विपत्रों को प्रमण्डलों (परिशिष्ट 3.8) के द्वारा अपने नियंत्रक अधिकारियों के माध्यम से सीधे महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को दो माह से लेकर 100 माह के विलम्ब से समर्पित किया गया था। इसका विस्तृत विवरण तालिका 3.7 में दिया गया है:

तालिका 3.7 : डी.सी. विपत्रों के समर्पण में विलम्ब

क्र. सं.	विपत्र सं.	कोषागार से आहरण की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)	डी.सी. विपत्रों के समर्पण की निर्धारित तिथि	डी. सी. विपत्रों के समर्पण की अवधि	विलम्ब अवधि (माह में)
1	158/2005-06	03.01.2006	2.50	25.02.2006	16.06.2008 एवं 30.06.2015	28 एवं 100
2	190/2010-11	19.03.2011	49.38	25.04.2011	22.10.2011 एवं 20.09.2012	6 एवं 17
3	114/2011-12	29.10.2011	61.96	25.11.2011	07.05.2012 एवं 27.11.2012	5 एवं 12
4	191/2011-12	26.03.2012	6.08	25.04.2012	03.07.2012 एवं 30.09.2012	2 एवं 5
कुल			119.92			

स्रोत: नमूना जाँचित प्रमण्डलों के द्वारा निर्गत सूचना

3.3.3 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों से निधियों की आहरण की पुनरावृत्ति

झारखण्ड कोषागार संहिता का नियम 319 बतलाता है कि प्रत्येक माह के 10वीं तिथि के बाद भुगतान के लिए प्रथम ए.सी. विपत्रों के साथ इस आशय का प्रमाण- पत्र अंकित करना चाहिए कि विगत माह में आहरित ए.सी. विपत्रों के लिए डी.सी. विपत्र नियंत्रक अधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर हेतु समर्पित कर दिया गया है। इस प्रमाण-पत्र के बिना 10वीं तिथि के बाद कोई भी ए.सी. विपत्र पारित नहीं किया जा सकता है।

हमलोगों ने लेखापरीक्षा में पाया कि प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में मुख्य शीर्ष-2245 के अंतर्गत चार ए.सी. विपत्रों के माध्यम से ₹ 119.92 करोड़ (जनवरी 2006 में एक तथा मार्च 2011 से मार्च 2012 तक में तीन) आहरित किये जिसके लिए ₹ 119.28 करोड़ (16.06.2008 एवं 30.06.2015 के मध्य) का डी.सी. विपत्र महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को सीधे कार्यकारी प्रमण्डलों के द्वारा समर्पित किये गये थे एवं ₹ 63.57 लाख का डी.सी. विपत्र अभी भी महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को समर्पित किया जाना है। अवलोकन में आगे पता चला कि प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पूर्व में आहरित ए.सी. विपत्र के लिए डी.सी. विपत्र समर्पित किये बिना, तीन ए.सी. विपत्रों को कोषागार से आहरित कर लिया गया था।

3.4 दुर्विनियोग, क्षति इत्यादि के मामलों का प्रतिवेदन

झारखण्ड वित्तीय नियम का नियम 31 बतलाता है कि लोक निधि, सरकारी राजस्व, स्टोर या अन्य सम्पत्ति के गबन या अन्य कारणों से हुई क्षति की तत्काल सूचना, उच्चतर पदाधिकारियों, वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड को दी जानी चाहिए, चाहे जब कभी इसके लिये जिम्मेवार पार्टी द्वारा ऐसे हानि की क्षतिपूर्ति कर दी गयी हो। जैसे ही क्षति होने का संदेह हो, उसकी सूचना अवश्य दिया जाना चाहिए; जाँच प्रगति पर होने की स्थिति में भी इनमें तनिक भी विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा हेतु सूचना उपलब्ध कराने (02 जून 2015, 08 जुलाई 2015 एवं 20 अगस्त 2015) के जवाब में वित्त विभाग से कोई सूचना अगस्त 2015 तक प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, हमने लेखा परीक्षा में पाया कि पूर्वी सिंहभूम जिला में निर्मल भारत अभियान के कार्यान्वयन हेतु बैंक से कपटपूर्ण तरीके से आहरित ₹ 8.00 लाख से संबंधित एक एफ.आई आर. कार्यपालक अभियंता एवं सदस्य सचिव-1, जिला पेयजल एवं स्वच्छता अभियान, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा मार्च 2014 में दर्ज किया गया। फिर भी, आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2015)।

3.5 राजस्व तथा पूँजी के बीच वर्गीकरण

राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति का होता है तथा राजस्व प्राप्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यय को माना जाता है। पूँजीगत व्यय निर्धारण वैसे व्यय से किया जाता है, जो कि एक द्रव्य के बढ़ते हुए ठोस परिसम्पत्तियों तथा स्थायी प्रकृति का होता है अथवा अनुक्रमित स्थायी दायित्व का होता है। फिर भी, वर्ष के दौरान सरकार ने राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 'मुख्य कार्य' को त्रुटिपूर्ण ढंग से ₹ 15.96 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई एवं व्यय की गई, जिसे **परिशिष्ट 3.9** में दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार की परिसम्पत्तियों एवं राजस्व अधिशेष को इस सीमा तक कम करके बताया गया।

भारतीय सरकारी लेखाकरण मानक (भा.स.ले.मा.)-2 के अनुसार सहायक अनुदान से संबंधित व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। राज्य सरकार ने बजट प्रावधान किया और पूँजीगत मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत ₹ 5.37 करोड़ की राशि वर्गीकृत किया। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार के राजस्व अधिशेष एवं पूँजीगत परिव्यय को इस सीमा तक अधिक बताया गया। मामले को राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया था, परंतु सुधार नहीं किया गया।

3.6 निधि आहरित कर व्यक्तिगत बही (पी.एल.) खाते में रखना

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 के अनुसार कोषागार से किसी भी राशि का आहरण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक इसके तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो। विनियोगों के व्यपगत होने से बचाने के लिए कोषागार से पूर्वानुमानित माँगों हेतु अग्रिम का आहरण, उस कार्य के क्रियान्वयन के लिए जिसके सम्पादन में अधिक समय लगने की सम्भावना हो, अनुमान्य नहीं है। झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 552 के अनुसार तीन पूर्ण लेखा वर्ष तक बिना दावे की पड़ी सभी राशि, प्रत्येक वर्ष मार्च की समाप्ति पर, सरकार को जमा कर देना चाहिये। आगे, वित्तीय नियम सरकारी धन को सरकारी खातों से अलग रखने से निषेध करती है।

वर्ष 2014-15 के लेखा के मुख्य शीर्ष 8448-सिविल जमा के अंतर्गत लघु शीर्ष के लेन-देन से संबंधित व्हाउचर स्तरीय कम्प्यूटरीकृत आँकड़ें एवं वित्त लेखे की समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि 31 मार्च 2015 तक राज्य में 99 व्यक्तिगत बही (पी.एल.) खाते थे।

वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के दौरान पी.एल. खाते के अधीन अंत शेष सतत् रूप से बढ़ा जबकि वर्ष 2013-14 के दौरान इसमें कमी आयी। यह वर्ष 2014-15 के दौरान पुनः ₹ 3,329.95 करोड़ (28.20 प्रतिशत) तक बढ़ा जिसे **तालिका 3.8** में दिखाया गया है।

तालिका 3.8: व्यक्तिगत बही खाते में राशियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष
2010-11	1457.58	1940.34	1670.78	1727.14
2011-12	1727.14	2248.95	1782.95	2193.14
2012-13	2193.14	3110.78	2349.49	2954.43
2013-14	2954.43	2613.93	2970.86	2597.50
2014-15	2597.50	5155.09	4422.64	3329.95

तालिका 3.8 से देखा जा सकता है कि ₹ 3,329.95 करोड़ की राशि को मार्च 2015 के अंत में पी.एल. खाते में रखा गया। कुछ मुख्य सेवा शीर्ष जिससे बजट को पी.एल. खाते में अंतरित किया गया, 2217-(शहरी विकास), 2851-(ग्रामीण एवं लघु उद्योग), 2225 (एस.सी., एस.टी एवं ओ.बी.सी. के कल्याण), 2515 (अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम), इत्यादि हैं।

अतएव, सरकारी धन राशियों को व्यय होने से बचाने के लिये उसका आहरण करना तथा विधान मंडल द्वारा मंजूर किये गये बजट की राशि को उस वित्तीय वर्ष के अलावे दूसरे वर्षों में व्यय हेतु बैंक खाते/पी.एल. खाते में रखा जाना न केवल वित्तीय नियमों का उल्लंघन था, बल्कि राज्य के बजटीय नियंत्रण की विफलता को भी बढ़ावा दिया। इसके अतिरिक्त झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 331 के अनुसार तीन पूर्ण लेखा वर्ष तक बिना दावे की शेष राशि, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की समाप्ति पर, सरकार को जमा कर देना चाहिये। इस प्रकार, राज्य सरकार ने व्यय के आँकड़े को ₹ 3,329.95 करोड़ तक अधिक बताया, चूँकि जो सेवाएँ उपलब्ध कराने के दावे किये गये थे, प्रदान नहीं किये गये।

3.7 लघु शीर्ष "800" के अन्तर्गत प्रविष्टि

लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" एवं "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत प्राप्ति एवं व्यय की प्रविष्टि प्राप्ति और व्यय के अस्पष्ट वर्गीकरण समझे जायेंगे। चूँकि ये शीर्ष योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि, जिससे ये राशियाँ संबद्ध हैं, को उदघाटित नहीं करती हैं। इन लघु शीर्षों में सामान्यता वही प्राप्ति/व्यय सन्निहित होते हैं जो उपलब्ध कार्यक्रम के लघु शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं अथवा बजट तैयारी के चरण में उपलब्ध लेखे शीर्षों के अंतर्गत व्यय के गलत पहचान के कारण हुए हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान, राजस्व एवं पूँजीगत संभाग के पाँच मुख्य शीर्षों (2501, 4047, 4070, 4701 एवं 6801) के अधीन ₹ 558.22 करोड़ के व्यय (इन शीर्षों में कुल व्यय ₹ 1,088.55 करोड़ का 51.28 प्रतिशत) लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे जिसे परिशिष्ट 3.10 में दर्शाया गया है।

इसी प्रकार 31 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,016.29 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 1,268.85 करोड़ के कुल प्राप्तियाँ का 80.10 प्रतिशत) "800-अन्य प्राप्तियाँ" शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। 14 मुख्य शीर्षों की सम्पूर्ण प्राप्तियाँ लघु शीर्ष

“800-अन्य प्राप्तियाँ” के अंतर्गत वर्गीकृत की गयीं जिसे **परिशिष्ट 3.11** में दर्शाया गया है।

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष “800-अन्य व्यय/प्राप्तियाँ” के अंतर्गत विशाल राशियों का वर्गीकरण वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है।

3.8 राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन

वर्ष 2011-12 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के **परिशिष्ट 2.4.4** (विगत वर्षों के सापेक्ष प्रावधान से आधिक्य व्यय) पर लोक लेखा समिति ने परिचर्चा किया तथा दिनांक 13.01.2014 को ₹ 8,120.63 करोड़ में से प्रावधान से आधिक्य व्यय की राशि ₹ 8,120.12 करोड़ को विनियमित किया जिसे **परिशिष्ट 3.12** में दर्शाया गया है।

3.9 राज्य आपदा मोचन निधि की अनुपालन लेखापरीक्षा

3.9.1 प्रस्तावना

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आपदा¹⁰ को परिभाषित करता है। अधिनियम की धारा 48 (I) (क), किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए राज्य स्तर पर राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) की स्थापना के बारे में बतलाता है। निधि के संचालन के लिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एस.डी.आर.एफ. के गठन और क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शिका जारी किया है (सितम्बर 2010)। अधिनियम एवं मार्गदर्शिका के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार ने लोक लेखा के तहत ब्याज वाली आरक्षित निधियों में मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य और राज्य सरकार के अन्य आरक्षित निधियों के लेखा के अंतर्गत एस.डी.आर.एफ. के गठन को अधिसूचित (नवम्बर 2010) किया।

एस.डी.आर.एफ. का उपयोग चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्निकांड, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों के हमले और शीतलहर/ठंड¹¹ से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाना है।

राज्य स्तर पर एस.डी.आर.एफ. के संचालन के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति (एस.ई.सी) उत्तरदायी है जो कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव और चार सचिवों के मिलकर बना है। मुख्य सचिव समिति के पदेन अध्यक्ष हैं। एस.ई.सी के द्वारा एस.डी.आर.एफ. से निवेश एवं व्यय के संबंध में सभी वित्तीय मामलों के सभी

¹⁰ किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उदभूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की हानि या मानवीय पीड़ा या संपत्ति का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है।

¹¹ शीतलहर/ठंड को एस.डी.आर.एफ. से सहायता प्रदान करने के लिए पात्र आपदा की सूची में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2012 को शामिल किया गया था।

निर्णय लिए जाने हैं और यह भी सुनिश्चित करना है कि एस.डी.आर.एफ. की राशि उसी उद्देश्य के लिए खर्च की जाए जिस उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। राहत कार्य की जिम्मेदारी आयुक्तों, उपायुक्तों (डी.सी.) और अनुमंडलीय पदाधिकारियों में अपर समाहर्ता (राहत) और उसके अधीनस्थ प्रखण्ड/अंचल कार्यालयों के माध्यम से निहित है।

एस.डी.आर.एफ. की अनुपालन लेखापरीक्षा अप्रैल और अगस्त 2015 के बीच वर्ष 2010-15 की अवधि के लिए की गई। लेखापरीक्षा इस उद्देश्य से की गई कि एस.डी.आर.एफ. की राशि का उपयोग संबंधित अधिनियम, नियम और मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अंतर्गत की गई तथा अनुग्रह राशि का भुगतान प्रभावित व्यक्तियों और मृतकों के आश्रितों को समय पर की गई। लेखापरीक्षा का निष्पादन विभागीय¹² स्तर एवं सांख्यिकीय अव्यवस्थित नमूना विधि के द्वारा चयनित छः जिलों¹³ के अभिलेखों का नमूना जाँच कर किया गया।

लेखापरीक्षा में पाये गए महत्वपूर्ण तथ्य आगे वर्णित कंडिकाओं में उद्धृत हैं:

3.9.2 वित्तीय प्रबंधन

3.9.2.1 निधि प्रदान करने की प्रक्रिया

प्रत्येक राज्य के लिए एस.डी.आर.एफ. के अंशदान की राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष 2010-15 के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा विनियोजित की गई है। आयोग द्वारा झारखण्ड के लिए ₹ 1,433.61 करोड़ की राशि विनियोजित की गई है जो कि 75:25 की शैली में केन्द्र एवं राज्य अंशदान के रूप में है, जिसमें 75 प्रतिशत अंशदान (₹ 1,075.22 करोड़) भारत सरकार एवं 25 प्रतिशत (₹ 358.39 करोड़) राज्य सरकार द्वारा दिया जाना था जैसा कि तालिका 3.9 में वर्णित है। इसके अलावा, 31 मार्च 2010 को आपदा राहत कोष की शेष राशि (₹ 767.93 करोड़) को भी एस.डी.आर.एफ. में शामिल किया जाना था।

तालिका 3.9: तेरहवीं वित्त आयोग द्वारा एस.डी.आर.एफ. की विनियोजित राशि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
2010-11	194.59	64.86	259.45
2011-12	204.32	68.10	272.42
2012-13	214.53	71.51	286.04
2013-14	225.26	75.08	300.34
2014-15	236.52	78.84	315.36
कुल योग	1075.22	358.39	1433.61

आपदा प्रबंधन विभाग (डी.एम.डी.) ने आपदा प्रबंधन के लिए एस.डी.आर.एफ. की राशि विभिन्न जिलों के डी.सी. को उपलब्ध कराया। अप्रैल 2013 से पूर्व डी.सी.

¹² आपदा प्रबंधन विभाग (डी.एम.डी.)

¹³ बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, राँची और साहिबगंज।

पीड़ितों को तत्काल सहायता राशि के भुगतान हेतु विभाग को माँग प्रस्तुत करते थे। तदनुसार, माँग की गई राशि, एस.ई.सी. द्वारा संबंधित जिलों के डी.सी. को आगे आवंटन के लिए अनुमोदित किया जाता था। तत्पश्चात्, पीड़ितों को सहायता प्रदान में विलंब को टालने हेतु जिलों को निधि प्रदान करने की प्रक्रिया को बदला गया। सदस्य सचिव, एस.ई.सी. को डी.सी. से प्राप्त माँग के अनुमोदन एवं निष्पादन और जिलों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत किया गया। एस.ई.सी. के बैठक के दौरान, सदस्य सचिव द्वारा सहायता राशि की विवरणी औपचारिक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता था। इसके अलावा एस.ई.सी. के द्वारा लिए गए निर्णयों के आलोक में डी.एम.डी. द्वारा जिलों/आपदा प्रबंधन में संलिप्त अन्य विभागों को भी निधि उपलब्ध करायी जाती थी।

3.9.2.2 एस.डी.आर.एफ. में अंशदान विलम्ब से/नहीं जमा होना

भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए विनियोजित एस.डी.आर.एफ. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के जून एवं दिसम्बर में जारी किया जाना था एवं राज्य सरकार द्वारा प्राप्त पश्चात्, अपने अंशदान सहित इस उद्देश्य के लिए खोले गए/संचालित लोक लेखा शीर्ष में जमा किया जाना था।

भारत सरकार ने हमेशा अपना अंशदान दो किस्तों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार को इस निर्देश के साथ आवंटित किया कि वे इसे अपने अंशदान सहित एस.डी.आर.एफ. में चालू वित्तीय वर्ष में जमा कर दें।

हमने लेखापरीक्षा में पाया कि हालांकि राज्य सरकार द्वारा इन वर्षों के लिए प्रथम किस्त उसी वर्ष जमा किया गया लेकिन 2011-14 का द्वितीय किस्त आगे के वर्षों में जमा किया गया। आगे, 2014-15 का केन्द्रांश (₹ 118.26 करोड़) एवं राज्यांश (₹ 39.42 करोड़) का द्वितीय किस्त (₹ 157.68 करोड़) एस.डी.आर.एफ. में अगस्त 2015 तक जमा नहीं हो सका।

3.9.2.3 निधि की उपयोगिता एवं निवेश

वर्ष 2010-15 के अंतर्गत एस.डी.आर.एफ. में जमा एवं व्यय की गई राशि की विवरणी तालिका 3.10 में वर्णित है।

तालिका 3.10 : एस.डी.आर.एफ. में वर्ष 2010-15 के दौरान जमा एवं व्यय की गई राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	केन्द्रांश	राज्यांश	अन्य	कुल	व्यय	शेष
2010-11	767.93	194.59	64.86	1.45	1028.83	484.08	544.75
2011-12	544.75	102.16	34.05	2.37	683.33	243.71	439.62
2012-13	439.62	209.43	69.80	0.58	719.43	403.23	316.20
2013-14	316.20	219.90	73.29	3.47	612.86	21.30	591.56
2014-15	591.56	230.89	76.96	0.00	899.41	32.62	866.79
कुल योग		956.97	318.96	7.87		1184.94	

स्रोत: वित्त एवं विनियोग लेखे

वित्त एवं विनियोग लेखों (2010-15) की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ₹ 2,043.86 करोड़ की उपलब्ध निधि (प्रा.शेष ₹ 767.93 करोड़, केन्द्रांश: ₹ 956.97 करोड़, राज्यांश: ₹ 318.96 करोड़) के विरुद्ध केवल ₹ 1,184.94 करोड़¹⁴ एस.डी.आर.एफ. से वितरित किया गया एवं ₹ 858.92 करोड़ शेष रहा। इसके अतिरिक्त, विभाग के पास ₹ 7.87 करोड़ भी उपलब्ध था जो कि विगत वर्षों के खर्च नहीं किए गये अवशेष तथा लेखा के अन्य शीर्ष से प्राप्त राशि है। इस प्रकार, 31 मार्च 2015 को ₹ 866.79 करोड़ लोक लेखा में अवशेष था।

- एस.डी.आर.एफ. के मार्गदर्शिका के धारा 18 के अनुसार, एस.ई.सी. के द्वारा एस.डी.आर.एफ. के निवेश के लिए उचित कार्रवाई किया जाना था।

लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2010-15 के दौरान ₹ 2,043.86 करोड़ की उपलब्ध निधि के विरुद्ध एस.ई.सी. द्वारा अगस्त 2015 तक केवल ₹ 400 करोड़ ही निवेश किया गया जबकि विभाग के पास प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में पर्याप्त अंतिम शेष था (तालिका 3.10)।

- मार्गदर्शिका में धारा 4 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा एस.डी.आर.एफ. के अनिवेशित राशि पर भारतीय रिजर्व बैंक ओवर ड्राफ्ट नियमन मार्गदर्शिका के तहत ओवरड्राफ्ट के लिए लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाना था।

प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, अगस्त 2015 तक एस.ई.सी. के द्वारा अनिवेशित राशि पर ब्याज भुगतान के लिए कोई पहल नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप निधि का कम संचयन हुआ।

3.9.2.4 निधि का अवरुद्धिकरण

विनियोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोषागार से आहरित राशि का वित्तीय वर्ष के भीतर उपयोग हो जाना चाहिए। आगे, झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 के अनुसार कोषागार से किसी भी राशि की निकासी तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक इसका तुरंत भुगतान आवश्यक नहीं हो। कोषागार से प्रत्याशित माँगों के लिए अग्रिम आहरण, चाहे वह कार्य के कार्यान्वयन के लिए जिसके सम्पादन में सम्भवतया अधिक समय लग सकता है या विनियोगों के व्यपगत होने से बचाने के लिए, अनुमान्य नहीं है।

- डी.एम.डी. ने नमूना-जाँचित चार¹⁵ जिलों के डी.सी. को आपदा के दौरान जिले के शहरी निकायों में पेयजलापूर्ति एवं योजनाओं के प्रबंधन के लिए ₹ 5.55 करोड़ आवंटित (2010-12) किया। तदनुसार, डी.सी. द्वारा ₹ 5.29 करोड़¹⁶ संबंधित शहरी

¹⁴ इसमें वर्ष 2012-13 के दौरान किए गए ₹ 400 करोड़ का निवेश विभिन्न बैंकों में सावधि जमा के रूप में शामिल है।

¹⁵ बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और राँची।

¹⁶ डी.सी. राँची द्वारा नगर पंचायत, बुन्डू को उपलब्ध कराये गए ₹ 19.51 लाख शामिल नहीं है क्योंकि उसका उपयोगिता उपलब्ध नहीं कराया गया।

निकायों (यू.एल.बी.) को उपलब्ध कराया गया (मार्च और सितम्बर 2011 के बीच), जिसमें से ₹ 2.67 करोड़ उनके द्वारा उपयोग किया गया जबकि ₹ 2.62 करोड़ उनके व्यक्तिगत बही खाता (पी.एल.ए.)/बैंक खाते में अगस्त 2015 तक पड़ा रहा।

- डी.एम.डी. ने डी.सी., पूर्वी सिंहभूम को जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए ₹ 300 लाख कृषि इनपुट अनुदान के रूप में आवंटित किया (अक्टूबर 2010), जिसमें से ₹ 130 लाख अनुमंडल पदाधिकारी (एस.डी.ओ.), धालभूम को बीज आपूर्ति के भुगतान हेतु उप-आवंटित (जनवरी 2011) किया गया। कृषि अनुमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर से प्राप्त सूचना एवं अभिश्रव को विचार में रखते हुए एस.डी.ओ. ने कोषागार से मात्र ₹ 70.87 लाख आहरित किया (मार्च 2011)। एस.डी.ओ. ने लाभुक सूची के जाँच के दौरान पाया कि बीज का वितरण वैसे किसानों को भी किया गया जो इसके लिए आर्हता नहीं रखते थे तथा उनके भुगतान को अनुमति नहीं दी। एस.डी.ओ. ने कृषि पदाधिकारी को मात्र ₹ 33.70 लाख का भुगतान किया और ₹ 37.17 लाख की अनुपयोग की गई राशि (अगस्त 2015) एस.डी.ओ. के पास चार वर्षों से अधिक समय तक पड़ी रही।

- सूखा के समय आपातकालीन स्थिति में राहत पहुँचाने के उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत में 10 क्विंटल चावल के भंडारण एवं वितरण के लिए डी.एम.डी. ने डी.सी., राँची को ₹ 58.05 लाख आवंटित किया (अगस्त और अक्टूबर 2010)। समस्त राशि कोषागार से सितम्बर 2010 और मार्च 2011 के बीच आहरित की गई जो अगस्त 2015 तक उपयोग में नहीं लाया जा सका।

इस प्रकार, ₹ 3.57 करोड़ की कुल राशि एस.डी.आर.एफ. मार्गदर्शिका एवं संहिता प्रावधानों के उल्लंघन में विभिन्न स्तरों पर अवरुद्ध रहा।

3.9.2.5 एस.डी.आर.एफ. का विचलन/अनाधिकृत व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 26 के अनुसार, नियंत्रक अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यय उसी उद्देश्य के लिए हो जिसके लिए निधि उपलब्ध करायी गई हो।

- डी.एम.डी. ने साहिबगंज जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति हेतु ₹ 40.00 लाख डी.सी. को आवंटित किया (अगस्त 2011)। आवंटित राशि के विरुद्ध केवल ₹ 22.84 लाख ही खाद्यान्न आपूर्ति के लिए उपयोग किया गया एवं ₹ 11.75 लाख अन्य अनाधिकृत प्रयोजनों¹⁷ के लिए विचलन किया गया। इसके अतिरिक्त ₹ 5.41 लाख कोषागार में जमा किया गया (मई 2015)।

- डी.एम.डी. ने साहिबगंज जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति हेतु डी.सी. साहेबगंज को ₹ 36.07 लाख आवंटित किया (अक्टूबर 2011)। आगे संवीक्षा

¹⁷ अनुग्रह भुगतान : ₹ 800000, चारा : ₹ 75000 एवं दवा : ₹ 299995

में यह पाया गया कि आवंटित राशि में से ₹ 1.70 लाख का लाईफ जैकेट क्रय किया गया जिसके लिए निधि आवंटित नहीं थी।

इस प्रकार, निर्दिष्ट प्रयोजनों जिनके लिए राशि आवंटित की गई थी, के अलावा अन्य प्रयोजनों पर किए गए व्यय अनियमित थे तथा डी.सी. द्वारा एस.डी.आर.एफ. की राशि का दुरुपयोग किया गया।

- डी.एम.डी. ने लोक लेखा (एस.डी.आर.एफ.) से सूखा के समय जलापूर्ति एवं खाद्यान्न आपूर्ति तथा बाढ़ के समय सहायता प्रदान करने के लिए डी.सी. पूर्वी सिंहभूम (₹ 4.29 करोड़) एवं साहिबगंज (₹ 6.82 करोड़) को ₹ 11.11 करोड़ आवंटित किया (दिसम्बर 2010 से सितम्बर 2013)। संबंधित डी.सी. ने कोषागार से आहरण कर केवल ₹ 7.99 करोड़ का ही उपयोग किया तथा ₹ 3.12 करोड़ कोषागार में सरकार के राजस्व शीर्ष में जमा (अक्टूबर 2012 से जुलाई 2015) कर दिया। डी.सी. पूर्वी सिंहभूम एवं साहिबगंज ने निर्धारित लेखा शीर्ष के बदले क्रमशः ₹ 2.91 करोड़ शीर्ष 0250-00-800-01-01-01 (अन्य सामाजिक सेवाओं) तथा ₹ 0.21 करोड़ शीर्ष 0075-00-911-01-02 (विविध सामान्य सेवाओं) के अंतर्गत जमा किया।

इस प्रकार, एस.डी.आर.एफ. निधि का राज्य के राजस्व में जमा करना अनियमित था।

3.9.3 एस.डी.आर.एफ. के माध्यम से कार्यावयन

3.9.3.1 प्रभावित व्यक्तियों को विलंब से/सहायता प्रदान नहीं करना

एस.डी.आर.एफ. का उपयोग चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्निकांड, बाढ़, सूनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों के हमले और शीतलहर/ठंड से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाना है।

- नमूना-जाँचित जिलों में यह पाया गया कि 7,458 प्रभावित एवं मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह सहायता घटना की तिथि से सात से 59 महीने के बाद प्रदान की गई (परिशिष्ट 3.13)।
- पाँच¹⁸ नमूना-जाँचित जिलों में, यह पाया गया कि अप्रैल 2010 और मई 2014 के बीच घटित घटनाओं के लिए निधि की उपलब्धता के बावजूद 828 पीड़ितों को अनुग्रह सहायता का भुगतान 14 से 63 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उपलब्ध निधि या तो अनुपयोगी रहे या प्रत्यार्पित किए गए (परिशिष्ट 3.14)।

अतः एस.डी.आर.एफ. से प्रभावित/आश्रित व्यक्तियों को तत्काल राहत पहुँचाने का मुख्य उद्देश्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ।

¹⁸ बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, राँची और साहिबगंज

3.9.3.2 एस.डी.आर.एफ. से अमान्य कार्यों का कार्यावयन

• एस.डी.आर.एफ. के गठन एवं क्रियान्वयन से संबंधित मार्गदर्शिका के धारा 15, एस.डी.आर.एफ. से प्रत्येक अनुमोदित मद पर व्यय के मानक के बारे में बतलाता है जिसे वित्त मंत्रालय के सहमति से गृह मंत्रालय द्वारा पहले ही परिभाषित किया गया है। आगे, धारा 10 के साथ गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा एस.डी.आर.एफ. से सहायता के लिए निर्धारित मद एवं मानक का परिशिष्ट यह स्पष्ट उल्लेख करता है कि आधारभूत संरचना मद के तहत व्यय केवल क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं के मरम्मत एवं प्रतिस्थापन के लिए किया जायेगा जिसमें चापानल के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्म की मरम्मत, क्षतिग्रस्त स्टैंड पोस्ट का प्रतिस्थापन, क्षतिग्रस्त पाईपों का बदलना, पम्पिंग मशीन की मरम्मत इत्यादि शामिल है।

आवंटन पत्र एवं अन्य संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में हालांकि यह देखा गया कि डी.एम.डी. ने सूखा प्रभावित क्षेत्र में पेयजलापूर्ति के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डी.डब्लू.एस.डी.) को ₹ 136.59 करोड़ आवंटित (2010-12) किया। इसमें से डी.डब्लू.एस.डी. ने विभिन्न प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को उच्च प्रवाही नलकूप (एच.वाई.डी.टी.) (₹ 121.79 करोड़) को गाड़ने, पाईप बिछाने (₹ 0.42 करोड़) और कट आफ़ ट्रेंच से पम्पिंग के माध्यम से जलाशयों में जल संचयन से संबंधित योजनाओं (₹ 0.20 करोड़) के लिए ₹ 122.41 करोड़ आवंटित किया (मार्च 2011 से मार्च 2012) और डी.एम.डी. को ₹ 14.18 करोड़ प्रत्यार्पित किया। इसमें एच.वाई.डी.टी. को गाड़ने पर किए गए ₹ 121.79 करोड़ का खर्च अमान्य था क्योंकि यह कार्य एस.डी.आर.एफ. मार्गदर्शिका के अनुरूप नहीं था ।

3.9.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत नहीं किया जाना

आवंटन पत्र में निहित निर्देशों के अनुसार, कार्यकारी एजेंसी के द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.)/व्यय प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में, आवंटित निधि के विरुद्ध किए गए व्यय को सुनिश्चित करने के लिए, निधि प्रदान करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

• वर्ष 2010-15 के दौरान, डी.एम.डी. ने आपदा प्रबंधन के लिए नमूना-जाँचित जिलों के डी.सी. को ₹ 97.46 करोड़ आवंटित किया, जिसमें से ₹ 84.53 करोड़ डी.सी. के द्वारा जिलों के विभिन्न कार्यकारी कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों को दिया गया। हालांकि, कार्यकारी एजेंसी, जिन्हें निधि उपलब्ध करायी गई थी, के द्वारा वास्तविक व्यय के समर्थन में यू.सी. प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण, संबंधित कार्यकारी/क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा किए गए वास्तविक खर्च डी.सी. द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गए।

• डी.एम.डी. ने पेयजलापूर्ति (₹ 136.59 करोड़) एवं अग्निशमन उपकरणों की खरीद (₹ 13.62 करोड़) के लिए क्रमशः सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(डी.डब्लू.एस.डी.) एवं महानिदेशक-सह-समादेष्टा (डी.जी.), गृह रक्षावाहिनी एवं अग्निशमन सेवा को ₹ 150.21 करोड़ आवंटित किया (अक्टूबर 2010 से जून 2014)। कुल आवंटित निधि के विरुद्ध डी.डब्लू.एस.डी. के द्वारा ₹ 14.18 करोड़ प्रत्यार्पित किया गया तथा डी.जी. द्वारा केवल ₹ 5.86 करोड़ का व्यय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। शेष राशि ₹ 130.17 करोड़ का व्यय प्रतिवेदन/यू.सी. एक से साढ़े चार वर्षों से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी अप्राप्त था (अगस्त 2015)।

फलस्वरूप, व्यय प्रतिवेदन/यू.सी. के अभाव में निधियों का वास्तविक व्यय सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.9.5 सहायक लेखा का संधारण नहीं किया जाना

एस.डी.आर.एफ. के गठन एवं क्रियांवयन से संबंधित मार्गदर्शिका की धारा 30 के अनुसार एस.ई.सी. के द्वारा प्रत्येक आपदा के लिए सहायक लेखा का संधारण किया जाना था।

जबकि, हमने पाया कि एस.ई.सी. के द्वारा सहायक लेखा का संधारण नहीं किया जा रहा था। फलस्वरूप, इस महत्वपूर्ण अभिलेख के अभाव में एक निश्चित समय पर निधि का वास्तविक स्थिति सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.10 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

- राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष 2000-14 के दौरान आहरित किये गये सहायता अनुदान (जी.आई.ए.) विपत्रों के विरुद्ध 31 मार्च 2015 तक ₹ 5,161.72 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाये थे जिसमें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में ₹ 82.95 करोड़ बकाये थे। जी.आई.ए. विपत्र की बड़ी राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र की अप्राप्ति, विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु अनुदानों की ससमय उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिये नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन में विभागीय पदाधिकारियों की विफलता को इंगित करता है।

यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु अनुदानों की उपयोगिता एवं उसके विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समय पर उपस्थापन सुनिश्चित करें।

संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों द्वारा निधियों की निकासी

- विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्रों को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2000-15 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर आहरित की गई ₹ 4,886 करोड़ की विशाल राशि 31 मार्च 2015 तक बकाया रह गई।

यह अनुशंसा की जाती है कि लागू नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को ससमय जमा करना सुनिश्चित करे।

लेखे तथा स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थाओं के लेखापरीक्षा का उपस्थापन

- सरकारी विभागों ने अनुदानग्राही संस्थाओं के लेखे महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को ससमय प्रस्तुत नहीं किये। विभागों द्वारा स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधानमंडल में उपस्थापन की स्थिति की सूचना महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को नहीं दिया गया।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकारी विभागों द्वारा स्वायत्त निकायों के लेखे, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को ससमय प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाय।

निधियों को व्यक्तिगत बही खाते में रखना

- मार्च 2015 के अंत तक व्यक्तिगत बही खाते में ₹ 3,329.95 करोड़ की विशाल राशि शेष थी। विधानमंडल द्वारा चालू वर्ष के लिए पारित की गई बजटीय निधियों को अगामी वर्षों में व्यय के लिए व्यक्तिगत बही खाते में अंतरण, वित्तीय नियमों के प्रतिकूल था एवं राज्य के बजटीय नियंत्रण को कमजोर किया।

यह अनुशंसा की जाती है कि कोषागारों के कंप्यूटराईजेशन का लाभ उठाते हुए, राज्य सरकार वैध अवधि के पश्चात व्यक्तिगत बही खाते के स्वतः बन्द होने और अप्रयुक्त शेष राशियों का संचित निधि में अंतरण होने की प्रणाली अपनाने पर विचार करे।

लघु शीर्ष " 800" के अन्तर्गत बुकिंग

- प्राप्तियाँ और व्यय की एक विशाल राशि (₹ 1,574.51 करोड़) बहुप्रयोजन लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय/प्राप्तियाँ" के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थी जो वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता की कमी को दर्शाया।

यह अनुशंसा की जाती है कि प्राप्तियाँ/व्यय जिसे अन्य उपलब्ध प्रोग्राम लघु शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, को ही केवल लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय" के अन्तर्गत बुक किया जाय।

राज्य आपदा मोचन निधि की अनुपालन लेखापरीक्षा

- राज्य कार्यकारी समिति (एस.ई.सी.) राज्य आपदा मोचन निधि से राशि का निवेश नहीं किया जबकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में विभाग के पास पर्याप्त राशि शेष था। इसने निवेश नहीं किये गये राशि पर निर्देशानुसार ब्याज भुगतान हेतु भी कोई कदम नहीं उठाया।

यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य आपदा मोचन निधि के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए एवं एस.ई.सी. को राज्य आपदा मोचन निधि की राशि को या तो निवेश करना चाहिए अथवा अनिवेशित राज्य आपदा मोचन निधि पर ब्याज प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

- विभाग ₹ 121.79 करोड़ के राशि का अमान्य कार्य सम्पादित किया जबकि बिना अनुमोदन के ₹ 13.45 लाख की राशि को अन्य कार्यों पर लगाया।


यह अनुशंसा की जाती है कि कार्य का निष्पादन सख्ती से, राज्य आपदा मोचन निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।

- राज्य आपदा मोचन निधि से प्रभावित/आश्रित व्यक्ति को तुरंत राहत पहुँचाने के प्रमुख लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि प्रभावित व्यक्तियों को विलम्ब से भुगतान/भुगतान नहीं किए जाने के 8,286 मामले देखे गए।

यह अनुशंसा की जाती है कि प्रभावित व्यक्तियों को तुरंत राहत सुनिश्चित करने के लिए सार्थक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

राँची

दिनांक : 19 जनवरी 2016



(एस. रमण)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक : 22 जनवरी 2016


(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 भाग - ए
(संदर्भ कंडिका - झारखण्ड की रूप रेखा; पृष्ठ 1)

झारखण्ड का परिचय						
ए. सामान्य आँकड़ा						
क्र.सं.	विवरण				आँकड़ा	
1	क्षेत्रफल				79714 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या					
	(ए)	2001 के जनगणना के अनुसार			2.69 करोड़	
	(बी)	2010-11			3.30 करोड़	
3	(ए)	जनसंख्या का घनत्व ¹ (2001 के जनगणना के अनुसार (अखिल भारतीय घनत्व=325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.))			338 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
	(बी)	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार (अखिल भारतीय घनत्व= 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.))			414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या ² (अखिल भारतीय अनुपात 30 प्रतिशत)				42.4 प्रतिशत	
5	(ए)	साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय अनुपात 64.80 प्रतिशत)			44 प्रतिशत	
	(बी)	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय अनुपात 72.99 प्रतिशत)			66.41 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर ¹ (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय = 40 प्रति 1000 जीवित जन्म)				37	
7	गिनी गुणांक ³ 2					
	(ए)	ग्रामीण(अखिल भारत-0.29)			0.24	
	(बी)	शहरी (अखिल भारत-0.38)			0.36	
8	वर्ष 2004-05 को आधार मानते हुए चालू मूल्य पर 2014-15 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)				₹ 197514 करोड़	
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2005-06 से 2014-15)		झारखण्ड		12.38 प्रतिशत	
			सामान्य श्रेणी राज्य		13.86 प्रतिशत	
10	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2005-06 से 2014-15) ⁴		झारखण्ड		13.97 प्रतिशत	
			सामान्य श्रेणी राज्य		15.44 प्रतिशत	
11	जनसंख्या वृद्धि ⁵ (2005-06 से 2014-15)		झारखण्ड		13.41 प्रतिशत	
			सामान्य श्रेणी राज्य		12.76 प्रतिशत	
ब. वित्तीय आँकड़ा ⁴						
क्र.सं.	विवरण		आँकड़ा (प्रतिशत में)			
			2005-06 से 2013-14		2013-14 से 2014-15	
	सी.ए.जी.आर.		सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड	सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड
1.	ए.	राजस्व प्राप्तियों का	15.76	15.14	16.10	20.77
2.	बी.	स्वयं के कर राजस्व का	15.32	15.13	10.51	8.28
3.	सी.	गैर कर राजस्व का	13.53	12.85	10.07	15.52
4.	डी.	कुल व्यय का	15.23	10.80	19.32	35.46
5.	ई.	कुल पूँजीगत व्यय	14.61	12.51	21.87	17.37
6.	एफ.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	17.10	11.88	14.55	47.89
7.	जी.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.20	10.14	28.73	42.12
8.	एच.	वेतन एवं मजदूरी का	15.23	20.82	11.75	7.69
9.	आई.	पेंशन का	18.70	23.18	12.43	-0.63

¹संसद इंफो इण्डिया 2011 के अनंतिम कुल जनसंख्या

²गरीबी मापन के प्रक्रिया के पुनरीक्षण पर विशेषज्ञ समिति (रंगराजन), योजना आयोग (जून)2014), पृष्ठ-66

³<http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data2312/DatabookDec2014%20106.pdf>

⁴ CSO (http://mospi.nic.in/Mospi_New/site/inner.asp?statijs=3&menu_id=82). 2014-15 के लिए गुजरात (स्रोत : गुजरात राज्य का बजट प्रकाशन संख्या 30) एवं केरल (स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय) से संबंधित स.रा.घ.उ. के आंकड़े संगत महालेखाकार कार्यालयों से प्राप्त किए गए हैं।

⁵ केंद्र एवं राज्यों के लिए जनगणना अनुमान 2001-2026 (दिसम्बर 2006 पुनरीक्षित) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा संयोजित जनसंख्या अनुमानन के लिए तकनीकी समूह के प्रतिवेदन तालिका -14 (1 अक्टूबर 2001-26 को लिंगवार कुल अनुमानित जनसंख्या)

परिशिष्ट 1.1 भाग - बी
सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा
(संदर्भ कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (1) संचित निधि, (2) आकस्मिकता निधि और (3) लोक लेखा।

भाग 1: संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा पाये गये सारे राजस्व, ट्रजरी बिल जारी करने के लिए गये सारे कर्ज, आंतरिक और बाह्य कर्ज और सरकार द्वारा प्राप्त सभी तरह की राशि जो कर्ज के भुगतान में मिली हो, एक संचित निधि को निर्मित करती है जिसे "राज्य सरकार की संचित निधि" कहते हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत गठित होती है।

भाग-2: आकस्मिकता निधि:- राज्य सरकार के आकस्मिकता निधि संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित होती है, एक इम्प्रेस्ट के तरह की होती है जो राज्यपाल के अधिकार में रहती है जिससे कि वह आवश्यक गैर अनुमानित खर्चों को कर सकें जो विधान सभा से अनुमोदन के लिए पड़ी हो। इस तरह के खर्चों का विधान सभा से अनुमोदन और बराबर राशि को संचित निधि से निकाला जाता है जब कि आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम वापस निधि में डाले जाते हैं।

भाग-3: लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचन्त, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखा के अंतर्गत रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल के द्वारा मत का विषय नहीं होता है।

भाग - सी: वित्त लेखे की अभिन्यास

विवरणी	रूपरेखा
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार के परिसम्पतियों एवं दायित्वों का प्रगामी व्यय को दर्शाता है। ये परिसम्पतियाँ प्रायः वित्तीय सम्पतियाँ होती हैं जिनका पूँजीगत प्रगामी व्यय के रूप में सरकार के भौतिक परिसम्पतियों को दर्शाती है। लेखांकन निति के अनुसार परिसम्पतियाँ ऐतिहासिक मूल्य को दर्शाती हैं।
विवरणी सं. 2	यह वर्ष के दौरान सरकार के कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय के संक्षिप्त विवरणी है जो सरकार के लेखे के तीन भाग- संचित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे में संधारित किए जाते हैं।
विवरणी सं. 3	यह विवरणी राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ तथा सरकार द्वारा भारत सरकार, अन्य संस्थाएं से उधार, बाजार ऋण तथा सरकार को दिये गये ऋण अग्रिमों की वापसी को दर्शाता है।
विवरणी सं. 4	यह कार्यात्मक एवं प्राकृति अनुसार व्यय का संक्षिप्त विवरण है।
विवरणी सं. 5	यह प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है जिसका पूर्ण योग विवरण एक में दिया गया है।
विवरणी सं. 6	यह सरकार के उधार को प्रस्तुत करता है जिसमें बाजार ऋण एवं भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। इसके साथ अन्य दायित्वों जो लोक लेखा के विभिन्न खंडों में शेष हैं और जिसके लिए सरकार अभिरक्षक या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है।
विवरणी सं. 7	यह सरकार के ऋण एवं अग्रिमों(खंड एवं उधारकर्ता के गुप के अनुसार) जिसे विवरणी 1 में दर्शाया गया है तथा जिनकी प्राप्तियाँ तथा संवितरण को विवरण संख्या 2,3 एवं 4 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं. 8	यह सरकार का संस्थाओं आदि में निवेश का संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 9	सामविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं के लिए सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान हेतु दी गयी गैरंटियों की संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.10	यह सरकार के सहायक अनुदान को प्राप्तकर्ता संस्थान के गुप के अनुसार दर्शाता है। लेखा टिप्पणी भी इसके साथ शामिल रहती है।
विवरणी सं.11	वर्ष के दौरान भारत एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को दर्शाती है।
विवरणी सं.12	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं.13	संचित निधि आकस्मिक निधि और लोक लेखा से संबंधित शेष का संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.15	लघु शीर्षों द्वारा गैर योजना और योजना के अंतर्गत-अलग से राजस्व व्यय के लेखा को दर्शाती है।
विवरणी सं.16	वर्ष 2014-15 के दौरान और अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं.17	यह लघु शीर्षों के अनुसार उधारों का विवरण तथा उनके मैचुरिटी प्रोफाइल को दर्शाता है।
विवरणी सं.18	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान ऋण के पुनर्भुगतान की राशि 31 मार्च 2015 का अधिशेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.19	वर्ष 2014-15 के अंत तक राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त, स्टॉक कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं.20	वैधानिक निकाय, सरकारी कम्पनियों, निकाय एवं अन्य संस्थाओं के ऋण इत्यादि के लिए पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटी का विवरण प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.21	आकस्मिक निधि और लोक लेखा का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.22	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट 1.2

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली

(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा विहित वित्तीय परिवर्तनीय मानदंडों/सीमाओं एवं इसके साथ चयनित राजकोषीय समुच्चय और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित राजकोषीय जबाबदेही अधिनियम एवं आवश्यक विवरण जिसे अधिनियम के अधीन विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाना है, को मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं नमूना के गुणात्मक निर्धारण हेतु उपयोग में लाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य अर्थव्यवस्था के अच्छे संकेत तक मानते हुए, वर्तमान बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर और कर-भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीकृत व्यय, आन्तरिक ऋण और राजस्व और राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। सुसंगत राजकोषीय चरों का उत्प्लावकता को-एफिसिएंट को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिससे साधनों का जुटान, व्यय का पैटर्न आदि की गणना की जा सके साथ ही आधार एवं राजकोषीय योगों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को छोड़कर, में अन्य कारणों से परिवर्तन के साथ चला जा सके।

पिछले पाँच वर्षों का स.रा.घ.उ. का रूझान नीचे दर्शाया गया है:

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्ति

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	127281	135618	151655	172773	197514
स.रा.घ.उ. की विकास दर	26.5	6.6	11.8	13.9	14.3

स्रोत: सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय झारखण्ड सरकार

शब्दावली	गणना का आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (X)	प्राचल की वृद्धि दर(X)/प्राचल की वृद्धि दर(Y)
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवार्य + आर्थिक सेवार्य
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व के राजकोषीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व)*2]*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक का * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष+ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष)*2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्ति-विविध पूँजीगत प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा- ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व घाटा घटाव सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, 2048 शीर्ष के अन्तर्गत ऋण बचाव हेतु विनियोग से घटाव के अधीन लिखित व्यय को छोड़कर
संसाधन अंतराल	बढ़त गैर-ऋण प्राप्ति घटाव बढ़त प्राथमिक राजस्व व्यय + बढ़त ब्याज प्राप्ति

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट 1.3

राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े
(संदर्भ: कंडिका 1.1, 1.3 एवं 1.9.2; पृष्ठ 2, 10 एवं 39)

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भाग-क प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	18781(88)	22420(89)	24770(83)	26137(85)	31565(83)
(i) कर राजस्व	5717(30)	6954(31)	8224(33)	9380(36)	10350(33)
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4473(78)	5522(79)	6422(78)	7305(78)	8070(78)
राजस्व उत्पाद	388(7)	457(7)	578(7)	628(7)	740(7)
वाहनों पर कर	312(6)	392(6)	465(6)	495(5)	660(6)
मुद्रांक एवं पंजियन शुल्क	328(6)	401(6)	492(6)	502(5)	531(5)
भू-राजस्व	131(2)	53(1)	96(1)	230(3)	84(1)
माल एवं यात्रियों पर कर	21	41(0)	1(0)	1(0)	1(0)
अन्य कर	64(1)	88(1)	170(2)	219(2)	264(3)
(ii) कर भिन्न राजस्व	2803(15)	3038(14)	3536(14)	3753(14)	4335(14)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	6154(33)	7170(32)	8188(33)	8939(34)	9487(30)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	4107(22)	5258(23)	4822(20)	4065(16)	7393(23)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	24	24	43	23	33
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	18805	22444	24813	26160	31598
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	2447(12)	2671(11)	5199(17)	4703(15)	6690(17)
आंतरिक ऋण(अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर)	2315	2409	4591	4281	6537
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	229	369	316	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	132	33	239	106	153
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	21252	25115	30012	30863	38288
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	7721	10813	14495	14275	20189
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	28973	35928	44507	45138	58477
भाग-ख व्यय/ संवितरण					
10. राजस्व व्यय	17945(86)	20992(86)	23400(83)	23472(82)	31795(83)
योजना	6004(33)	7646(36)	7743(33)	6288(27)	12436(39)
गैर योजना	11941(67)	13346(64)	15657(67)	17184(73)	19359(61)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	6991(39)	7846(37)	8696(37)	9960(42)	10624(33)
सामाजिक सेवाएँ	6707(37)	7287(35)	8309(36)	8215(35)	11915(37)
आर्थिक सेवाएँ	4247(24)	5859(28)	6395(27)	5297(23)	9256(29)
सहायता अनुदान एवं अंश दान	-	-	शून्य	शून्य	शून्य
11. पूँजीगत व्यय	2664(13)	3159(13)	4218(15)	4722(17)	5543(15)
योजना	2621(98)	3111(98)	4151(98)	4706(100)	5520(100)

गैर योजना	43(2)	48(2)	67(2)	16(0)	23(0)
सामान्य सेवाएँ	120(4)	156(5)	176(4)	168(3)	326(6)
सामाजिक सेवाएँ	682(26)	866(27)	1030(25)	924(20)	910(16)
आर्थिक सेवाएँ	1862(70)	2137(68)	3012(71)	3630(77)	4307(78)
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	308(1)	217(1)	601(2)	222(1)	824(2)
13. कुल (10+11+12)	20917	24368	28219	28416	38162
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1299	1639	2183	1997	1880
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर)	1063(82)	1406(86)	1525(70)	1542(77)	1722(92)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	78(5)	520(24)	316(16)	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	236(18)	155(9)	138(6)	139(7)	158(8)
15. आकस्मिक निधि से विनियोजन	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	22216	26007	30402	30413	40042
17. आकस्मिक निधि से संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	7400	9728	13417	14094	19277
19. राज्य द्वारा कुल वितरण (16+17+18)	29616	35735	43819	44507	59319
भाग-ग घाटे					
20. राजस्व घाटा(-)/राजस्व आधिक्य(+) (1-10)	(+)836	(+)1428	(+)1370	(+)2665	(-)230
21. राजकोषीय घाटा(-)/आधिक्य(+) (4-13)	(-)2112	(-)1924	(-)3406	(-)2256	(-)6564
22. प्राथमिक घाटा(-)/आधिक्य(+) (21-23)	(+) 116	(+)343	(-)1015	(+)358	(-)3635
भाग-घ. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	2228	2267	2391	2614	2929
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	3122	4530	6950	6422	12404
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट (दिन)	-	6	13	8	-
उपमुक्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	-	6	13	8	-
उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट (दिन)	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	-	0.03	0.32	0.21	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	127281	135618	151655	172773	197514
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	28655	30664	34869	37594	43569
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	-	-	-	-	-
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	-	-	-	-	-
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक)	167	182	189	328	402
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरूढ़ पूँजी	1503	573	1972	760	1824

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

भाग-ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	4.5	5.1	5.4	5.4	5.2
स्वयं के कर से भिन्न राजस्व/ स.रा.घ.उ.	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2
केंद्रीय अंतरण/ स.रा.घ.उ.	8.1	9.2	8.6	7.5	8.5
II व्यय प्रबंध					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	16.4	18.0	18.6	16.4	19.3
कुल व्यय/राजस्व प्राप्ति	111.4	108.7	113.9	108.7	120.9
राजस्व व्यय/कुल व्यय	85.8	86.1	82.9	82.6	83.3
सामाजिक सेवा पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	35.4	33.5	33.2	32.2	33.7
आर्थिक सेवा पर व्यय (ऋ.व अ. सहित)/कुल व्यय	30.6	33.6	35.3	32.1	37.6
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	12.7	13.0	14.9	16.6	14.5
सामाजिक सेवा एवं आर्थिक सेवा पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	12.2	12.3	14.3	16.0	13.7
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(+)0.7	(+)1.1	(+)0.9	(+)1.5	(-)0.1
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-)1.7	(-)1.4	(-)2.2	(-)1.3	(-)3.3
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(+)0.1	(+)0.3	(-)0.7	(+) 0.2	(-)1.8
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	(+)39.6	(+)74.2	(+)40.2	(+)118.1	(-)3.5
प्राथमिक राजस्व संतुलन/ स.रा.घ.उ.	2.4	2.7	2.5	3.1	1.4
IV राजकोषीय दायित्व का प्रबंध					
राजकोषीय दायित्व/स.रा.घ.उ.	22.5	22.6	23.0	21.8	22.1
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	152.6	136.8	140.8	143.8	138.03
प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा	(+)5145	(+)30	(+)373	(+)2698	(-)965
ऋण निर्मोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	4.3	3.9	शून्य	शून्य	शून्य
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	0.4	1.17	15.00	18.00	शून्य
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	4014	6855	5782	6208	6593
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	89	95	98	100	103

टिप्पणी: घाटा एवं आधिक्य (-)एवं (+)के द्वारा दूसरे गुणांक से तुलना किया गया है।

* राज्य में राजस्व आधिक्य होने के कारण प्रासंगिक नहीं है।

@ स.रा.घ.उ. का अंक निदेशक सांख्यिकी एवं योजना विकास, झारखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया।

कोष्ठ में दर्शाये गये अंक प्रत्येक उप शीर्ष के योग से प्रतिशतता (पूर्णांक) दर्शाते हैं।

परिशिष्ट 1.4 भाग - ए
वर्ष 2014-15 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ: कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

वर्ष 2014-15 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ				संवितरण					
2013-14		2014-15		2013-14		गैर योजना	योजना	कुल	2014-15
अनुभाग क: राजस्व									
26136.80	I. राजस्व प्राप्तियाँ		31564.56	23471.89	I. राजस्व व्यय	19358.99	12435.91	31794.90	31794.90
9379.79	कर राजस्व	10349.81		9959.36	सामान्य सेवाएँ	10346.74	276.71	10623.45	
				8215.34	सामाजिक सेवाएँ	4743.76	7171.58	11915.34	
3752.71	कर भिन्न राजस्व	4335.06		3922.16	शिक्षा क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	3053.31	2691.22	5744.53	
				977.10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	709.08	648.92	1358.00	
8939.32	संघीय करों में राज्य के हिस्से	9487.01		710.40	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास	445.78	1293.70	1739.48	
				53.12	सूचना एवं प्रसारण	51.13	14.82	65.95	
1319.91	गैर योजना अनुदान	1780.26		624.84	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	100.38	759.39	859.77	
1565.83	राज्य योजना हेतु अनुदान	4914.69		127.74	श्रम एवं श्रम कल्याण	48.95	42.30	91.25	
				1779.42	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	313.15	1721.22	2034.37	
1179.24	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	697.72		20.56	अन्य	21.98	0.00	21.98	
				5297.19	आर्थिक सेवाएँ	4268.49	4987.62	9256.11	
				975.02	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	468.57	621.46	1090.04	
				1429.57	ग्रामीण विकास	876.28	2625.04	3501.31	
				0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	
				304.08	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	329.80	0.28	330.08	
				1520.77	ऊर्जा	2108.92	235.00	2343.92	
				186.09	उद्योग एवं खनिज	46.70	190.52	237.22	
				251.63	परिवहन	361.05	474.72	835.77	
				0.00	विज्ञान, तकनीक एवं पर्यावरण	0.00	0.00	0.00	
				630.03	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	77.17	840.61	917.78	
				0.00	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.00	0.00	0.00	
				23471.89	कुल	19358.98	12435.92	31794.90	
	II. खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व घाटा		230.34	2664.91	II. खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व आधिक्य/घाटा				0

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

26136.80	कुल		31794.90	26136.80	कुल				31794.90
अनुभाग ख									
704.75	III. आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित		1285.48		III. रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवर ड्राफ्ट				
	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			4722.50	IV. पूँजीगत परिव्यय	22.82	5520.12	5542.94	5542.94
				168.09	सामान्य सेवाएँ	22.82	303.51	326.33	
				924.12	सामाजिक सेवाएँ	-	909.50	909.50	
				145.21	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	-	82.97	82.97	
				166.18	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	260.97	260.97	
				342.07	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	-	188.90	188.90	
				0.00	सूचना एवं प्रसारण	-	0.45	0.45	
				168.03	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	172.72	172.72	
अनुभाग ख अन्य (क्रमशः)									
				102.63	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	-	160.02	160.02	
					अन्य	-	43.47	43.47	
				3630.09	आर्थिक सेवाएँ	-	4307.10	4307.10	
				15.26	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	-	93.30	93.30	
				1148.93	ग्रामीण विकास	-	1360.22	1360.22	
				0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	
				454.01	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	-	378.94	378.94	
				0.00	ऊर्जा	-	-	-	
				2.00	उद्योग एवं खनिज	-	1.16	1.16	
				1994.65	परिवहन	-	2459.95	2459.95	
				15.44	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	-	13.53	13.53	
				4722.50	कुल	22.82	5520.12	5542.94	5542.94
23.32	V ऋण एवं अग्रिम का वसूली	33.06	33.06	221.91	V ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	34.44	789.34	823.78	823.78
0.00	विद्युत परियोजना से	0.00		175.34	विद्युत परियोजना को	-	779.04	779.04	
22.31	सरकारी सेवकों से	23.41		12.76	सरकारी सेवकों को	16.94	-	16.94	
1.01	अन्य से	9.65		33.81	अन्य को	17.50	10.30	27.80	
2664.91	VI. नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य				VI. नीचे लाया गया राजस्व घाटा				230.34
4702.90	VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ		6690.12	1996.92	VII. लोक ऋण पुनर्भुगतान	1879.88			1879.88
	बाह्य ऋण	0			बाह्य ऋण				

4281.17	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण	6536.91		1542.59	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण	1721.71		1721.71	
315.58	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेन-देन	0		315.58	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेन-देन			0.00	
	ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0			ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन				
106.15	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	153.21		138.95	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान			158.17	
	VIII आकस्मिक निधि से विनियोग				VIII आकस्मिक निधि से विनियोग				
	IX आकस्मिक निधि से राशि का स्थानांतरण				IX आकस्मिक निधि से व्यय				
14275.26	X लोक लेखा प्राप्ति		20189.17	14094.33	Xलोक लेखा संवितरण				19276.68
760.20	लघु बचत एवं भविष्य निधि	842.57		751.47	लघु बचत एवं भविष्य निधि			1045.13	
293.18	रक्षित निधि	307.85		21.29	रक्षित निधि			32.62	
-58.77	उचन्त एवं विविध	18.08		-57.13	उचन्त एवं विविध			34.37	
6076.81	प्रेषण	6838.22		5920.48	प्रेषण			7076.00	
7203.84	जमा एवं अग्रिम	12182.45		7458.22	जमा एवं अग्रिम			11088.56	
	अन्तर्राज्यीय समायोजन			50.00	अन्तर्राज्यीय समायोजन			-	
	XI भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट का अंत शेष			1285.48	XI वर्ष के अंत का रोकड़ शेष			444.21	444.21
					कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण				
				428.20	रिजर्व बैंक में जमा			-224.13	
				5.44	स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			2.21	
					चिन्हित निधि का निवेश			-	
				851.84	रोकड़ शेष का निवेश			666.13	
48507.94	कुल		59992.73	48507.94	कुल				59992.73

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट 1.4 भाग - बी
31 मार्च 2015 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति
(संदर्भ: कंडिका 1.9.1; पृष्ठ 38)

(₹ करोड़ में)

31.03.14 को	दायित्व		31.03.15 को
27940.16	आन्तरिक ऋण		32755.36
14311.11	ब्याज वाले बाजार ऋण	18799.46	
0.00	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.00	
6.30	भारत के जीवन बीमा निगम से ऋण	6.30	
3968.24	अन्य संस्थाओं से ऋण	3960.58	
0.00	अर्थोपाय अग्रिम	0.00	
9654.51	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	9989.02	
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	0.00	
2091.95	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम		2086.99
0.00	1984-85 के पूर्व कार्य ऋण	0.00	
4.09	गैर योजना ऋण	1.80	
2087.86	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	2085.19	
150.00	आकस्मिकता निधि		150.00
1558.59	लघु बचत भविष्य निधि		1356.02
5411.58	जमा		6503.93
591.56	रक्षित निधि		866.79
0.00	अंतरण शेष		0.00
117.72	उचंत एवं विविध शेष		101.43
2153.09	व्यय से अधिक संचित आधिक्य की प्राप्ति		1402.84
40014.65	कुल		45223.36
	सम्पत्ति		
30471.85	अचल संपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय		36014.79
140.35	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	155.01	
30331.50	अन्य पूँजीगत परिव्यय	35859.78	
50.00	अन्तर्राज्यीय समायोजन		
7946.44	ऋण एवं अग्रिम		8737.16
7300.55	शक्ति परियोजना के लिए ऋण	8079.60	
664.29	अन्य विकास ऋण	682.43	
-18.40	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	-24.87	
5.35	अग्रिम		3.80
	उचंत एवं विविध शेष		
1285.48	नगद		444.21
0.00	कोषागार में नगद एवं अस्थानीय प्रेषण	0.00	
428.20	रिजर्व बैंक में जमा	-224.13	
0.00	जमा निधि का निवेश	0.00	
5.44	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम के साथ	2.21	
851.84	नगद शेष निवेश	666.13	
255.53	प्रेषण शेष		23.40

0.00	सरकारी लेखे में घाटा		0.00
	(i) वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य/घाटा		
	(ii) विविध घाटा		
	वर्ष के शुरुआत में संचय घाटा/आधिक्य		
40014.65	कुल		45223.36

निगम के खातों में ₹ 5.75 करोड़ उनके स्रोत की अनुपलब्धता के कारण छोड़कर बताया गया है।

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4 से संबंधित विस्तार टिप्पणी

पूर्ववर्ती विवरणियों में संक्षिप्त लेखे में व्याख्या और टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना है। सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधारित होता है, सरकारी लेखा में घाटा जैसा कि परिशिष्ट 1.4 भाग बी. में दिखाया गया है संभूति आधारित वाणिज्यिक लेखे के विपरीत रोकड़ आधारित स्थिति को इंगित करता है। तदन्तर, भुगतये या प्राप्ति योग्य मर्दे या भण्डार अँकड़ों में विचलन या हास वाली मर्दे इत्यादि लेखे में चित्रित नहीं है। उचन्त और विविध शेष में अभुगतित निर्गत चेक अन्य लंबित समायोजन और राज्य की ओर से किया गया भुगतान सम्मिलित है। ₹ 37.26 करोड़ (निवल विकलन)के अंतर को भारतीय रिजर्व बैंक, पटना को समायोजन के लिए भेजा गया एवं अक्टूबर 1987 से पहले की अवधि के लिए शेष ₹ 1.61 करोड़ का समायोजन प्रक्रियाधीन है (अगस्त 2015)

परिशिष्ट 1.5 भाग-क

74^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम(अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.5; पृष्ठ 27)

क्र.सं.	कार्यों का विवरण
1	नगर योजना सहित शहरी नियोजन
2	भू-प्रयोग एवं आवासों के निर्माण का विनियमन
3	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना निर्माण
4	सड़क एवं पुल
5	घरेलू, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु जल आपूर्ति
6	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस कचरा प्रबंधन
7	अग्निशामक सेवा
8	नगर वानिकी, वातावरण का संरक्षण और परिस्थितिकीय पहलुओं का संवर्धन
9	शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों सहित समाज के कमजोर तबकों के हितों का संरक्षण
10	गंदी बस्ती सुधार एवं उन्नयन
11	शहरी निर्धनता उन्नयन
12	शहरी सुविधाओं जैसे उद्यानों, बगानों और खेल के मैदानों का प्रावधान
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्य से संबंधित पहलुओं का संवर्धन
14	कब्र एवं कब्रगाह; शमशान घाट तथा विद्युतीय शवदाह गृह
15	मवेशी तालाब, जानवरों पर अत्याचार से संरक्षण
16	जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण सांख्यिकी
17	पथ-प्रकाश, पड़ाव-स्थल, बस पड़ाव एवं लोक परिवहन सहित लोक सुविधायें
18	बूचड़खानों एवं चमड़ा-घरों का विनियमन

परिशिष्ट 1.5 भाग-ख

74^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.5; पृष्ठ 30)

क्र.सं.	क्रियाकलाप का विवरण	हस्तांतरण की स्थिति
1	कृषि व्याप्ति सहित कृषि	आंशिक
2	भूसुधार, भू-सुधार का कार्यान्वयन, भू-समेकन एवं मृदा संरक्षण	नहीं
3	लघु-सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल आच्छादन विकास	हाँ
4	पशुपालन, दुग्ध एवं मुर्गीपालन	आंशिक
5	मत्स्य पालन	हाँ
6	सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी	नहीं
7	लघु वन उत्पाद	नहीं
8	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग	आंशिक
9	खादी ग्रामोद्योग	हाँ
10	ग्रामीण आवास	नहीं
11	पेयजल	हाँ
12	ईंधन एवं चारा	नहीं
13	सड़क, पुलिया, पुल, नौकायन एवं यतायात के अन्य साधन	नहीं
14	बिजली वितरण समेत ग्रामीण विद्युतिकरण	नहीं
15	गैर-परंपरागत ऊर्जा श्रोत	नहीं
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	नहीं
17	प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा समेत शिक्षा	हाँ
18	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा	नहीं
19	वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा	हाँ
20	पुस्तकालय	नहीं
21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप	नहीं
22	बाजार एवं मेले	नहीं
23	अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के साथ औषधालय समेत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ
24	परिवार कल्याण	हाँ
25	महिला एवं बाल कल्याण	हाँ
26	अपंगों एवं मानसिक विकिप्रों के कल्याण समेत सामाजिक कल्याण	हाँ
27	कमजोर वर्ग तथा विशेषतः अ.जा.एवं अ.ज.जा. का कल्याण	नहीं
28	जन वितरण प्रणाली	हाँ
29	लोक परिसम्पत्तियों का रख-रखाव	आंशिक

परिशिष्ट 2.1

₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक विभिन्न अनुदानों/विनियोग की विवरणी
(संदर्भ कडिका 2.4.1; पृष्ठ 54)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	
				राशि	कुल प्रावधान से बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
राजस्व					
1	1	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	958.18	552.00	57.61
2	2	पशुपालन विभाग	163.67	41.73	25.50
3	3	भवन निर्माण विभाग	137.56	43.12	31.35
4	4	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	34.46	14.19	41.15
5	12	वित्त विभाग	163.32	72.51	44.46
6	14	ऋण की वापसी/अदायगी	35.00	35.00	100.00
7	17	वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	72.85	23.36	32.07
8	18	खादय, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1281.75	439.49	34.29
9	19	वन एवं पर्यावरण विभाग	493.46	116.88	23.69
10	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2315.37	967.84	41.80
11	21	उच्च शिक्षा विभाग	1034.87	333.35	32.21
12	23	उद्योग विभाग	368.43	148.57	40.33
13	24	सूचना एवं जन संपर्क विभाग	84.95	19.88	23.40
14	26	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	1233.61	349.95	28.37
15	27	विधि विभाग	287.52	70.79	24.62
16	35	योजना एवं विकास विभाग	372.77	99.14	26.60
17	36	पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	981.40	361.53	36.84
18	39	आपदा प्रबंधन विभाग	490.96	164.29	33.46
19	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	387.04	99.80	25.79
20	42	ग्रामीण विकास विभाग	3729.26	1906.78	51.13
21	45	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	97.31	48.21	49.54
22	48	शहरी विकास विभाग	2191.36	1088.32	49.66
23	49	जल संसाधन विभाग	348.76	87.83	25.18
24	50	लघु सिंचाई विभाग	119.02	43.31	36.38
25	52	कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	101.45	48.52	47.83
26	53	मत्स्य विभाग	40.96	11.93	29.13
27	54	डेयरी	115.02	40.22	34.97
28	55	ग्रामीण कार्य विभाग	1015.65	613.99	60.45
29	56	पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग	2244.17	786.09	35.03
30	58	माध्यमिक शिक्षा	1242.29	523.59	42.15
31	59	प्राथमिक एवं जन शिक्षा	6234.54	2129.56	34.16
32	60	समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	1320.03	455.46	34.50

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	
				राशि	कुल प्रावधान से बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
पूँजीगत					
33	1	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	55.00	11.72	21.31
34	3	भवन निर्माण विभाग	212.94	52.92	24.85
35	10	ऊर्जा विभाग	1142.21	363.07	31.79
36	12	वित्त विभाग	61.40	44.46	72.41
37	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	393.29	132.31	33.64
38	26	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	95.95	46.17	48.13
39	30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	127.27	73.73	57.94
40	36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	182.65	43.43	23.78
41	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	21.15	10.72	50.69
42	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	142.60	91.63	64.26
43	45	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	31.65	19.96	63.06
44	49	जल संसाधन विभाग	1759.20	1196.28	68.00
45	50	लघु सिंचाई विभाग	442.50	301.88	68.22
46	51	कल्याण विभाग	168.56	49.38	29.30
47	53	मत्स्य विभाग	56.86	47.09	82.82
48	55	ग्रामीण कार्य विभाग	1980.54	1021.35	51.57
49	60	समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	226.00	65.98	29.19
कुल			36796.76	15309.31	41.61

परिशिष्ट 2.2

वर्ष 2014-15 के दौरान होने वाले क्रमानुगत बचत (₹ 20 करोड़ एवं अधिक) का उप-शीर्षवार विवरण
(संदर्भ कंडिका 2.4.1; पृष्ठ 54)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं नाम	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
1.	1-कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	2401-00-789-91	23.00	22.59	कारण नहीं बताये गये हैं।
2.		2401-00-796-02	28.00	21.41	कारण नहीं बताये गये हैं।
3.		2401-00-796-28	45.00	24.88	कारण नहीं बताये गये हैं।
4.		2401-00-796-91	170.00	123.32	कारण नहीं बताये गये हैं।
5.		2401-00-796-99	39.50	32.55	कारण नहीं बताये गये हैं।
6.		2401-00-800-91	87.00	38.72	कारण नहीं बताये गये हैं।
7.	3-भवन निर्माण विभाग	2059-80-053-13	50.00	20.08	कारण नहीं बताये गये हैं।
8.	10-ऊर्जा विभाग	6801-00-796-03	203.39	26.72	मित्तव्ययिता के कारण
9.		6801-00-800-03	485.00	63.72	मित्तव्ययिता के कारण
10.		6801-00-800-24	39.85	39.85	अप्रयुक्त
11.		6801-00-202-01	20.00	20.00	अप्रयुक्त
12.		6801-00-205-23	124.00	124.00	अप्रयुक्त
13.		6801-00-789-23	24.00	24.00	अप्रयुक्त
14.		6801-00-796-23	52.00	52.00	अप्रयुक्त
15.	12-वित्त विभाग	7610-00-201-01	40.00	26.94	कारण नहीं बताये गये हैं।
16.	13-ब्याज संदाय	2449-04-101-03	160.00	30.89	कारण नहीं बताये गये हैं।
17.	14-ऋण की वापसी/अदायगी	6003-00-109-01	150.00	78.43	निधियों का अधिक प्रावधान
18.		6003-00-109-02	100.00	50.00	निधियों का अधिक प्रावधान
19.	15-पेंशन	2071-01-101-08	186.98	181.48	कारण नहीं बताये गये हैं।
20.		2071-01-101-09	500.00	441.74	कारण नहीं बताये गये हैं।
21.		2071-01-101-10	40.00	34.16	कारण नहीं बताये गये हैं।
22.		2071-01-104-03	70.00	36.55	कारण नहीं बताये गये हैं।
23.		2071-01-117-03	200.00	28.30	कारण नहीं बताये गये हैं।
24.	17-वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	2040-00-101-02	57.96	22.03	कारण नहीं बताये गये हैं।
25.	18-खादय, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-796-27	30.47	23.08	कारण नहीं बताये गये हैं।
26.		3456-00-102-39	106.75	106.75	कारण नहीं बताये गये हैं।
27.		3456-00-789-39	45.75	45.75	कारण नहीं बताये गये हैं।
28.		3456-00-796-38	25.19	25.19	कारण नहीं बताये गये हैं।
29.		3456-00-796-39	152.50	152.50	कारण नहीं बताये गये हैं।
30.	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-05	60.00	22.50	कारण नहीं बताये गये हैं।
31.		2210-01-103-39	800.00	472.15	कारण नहीं बताये गये हैं।
32.		2210-02-103-01	162.55	20.45	कारण नहीं बताये गये हैं।
33.		2210-02-103-03	105.64	38.66	कारण नहीं बताये गये हैं।
34.		2211-01-101-01	100.00	66.58	कारण नहीं बताये गये हैं।
35.		2211-01-101-01	52.98	31.02	कारण नहीं बताये गये हैं।
36.		2210-01-104-44	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
37.		2210-01-109-40	70.13	70.13	कारण नहीं बताये गये हैं।
38.		2210-01-796-44	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
39.		2210-05-105-16	16.52	16.52	कारण नहीं बताये गये हैं।
40.	21-उच्च शिक्षा	2202-03-102-01	142.75	24.82	कारण नहीं बताये गये हैं।
41.		2202-03-102-04	267.81	65.85	कारण नहीं बताये गये हैं।
42.		2202-03-102-62	82.15	55.02	कारण नहीं बताये गये हैं।
43.		2202-03-102-63	39.86	25.38	कारण नहीं बताये गये हैं।
44.	22-गृह विभाग	2055-01-110-01	212.35	58.71	कारण नहीं बताये गये हैं।
45.		2055-01-800-69	63.50	29.80	कारण नहीं बताये गये हैं।

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं नाम	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
46.	23-उद्योग विभाग	2851-00-107-16	80.00	63.67	कारण नहीं बताये गये हैं।
47.		2852-80-102-66	24.00	22.47	कारण नहीं बताये गये हैं।
48.	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2235-03-101-03 (सी.एस.एस.)	214.57	31.80	कारण नहीं बताये गये हैं।
49.		2230-01-103-10	25.40	25.40	कारण नहीं बताये गये हैं।
50.		2230-01-796-10 (सी.एस.एस.)	25.40	25.40	कारण नहीं बताये गये हैं।
51.		2230-01-796-51 (योजना)	46.23	46.23	कारण नहीं बताये गये हैं।
52.		2230-01-796-51	47.57	47.57	कारण नहीं बताये गये हैं।
53.	27-विधि विभाग	2014-00-105-01	226.40	43.79	कारण नहीं बताये गये हैं।
54.	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	4225-80-277-12 (सी.पी.एस.)	38.16	37.76	कारण नहीं बताये गये हैं।
55.	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-102-10 (सी.एस.एस.)	148.33	50.10	कारण नहीं बताये गये हैं।
56.		2215-01-106-11	39.25	30.51	कारण नहीं बताये गये हैं।
57.		2215-01-796-10 (सी.एस.एस.)	167.10	71.60	कारण नहीं बताये गये हैं।
58.		2215-01-796-10 (योजना)	167.10	137.84	कारण नहीं बताये गये हैं।
59.	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-101-02	30.00	30.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
60.	41-पथ निर्माण विभाग	5054-03-101-03	132.11	79.10	कारण नहीं बताये गये हैं।
61.		5054-03-337-01	880.00	142.48	कारण नहीं बताये गये हैं।
62.	42-ग्रामीण विकास विभाग	2501-02-789-05 (सी.एस.एस.)	51.75	44.18	कारण नहीं बताये गये हैं।
63.		2501-02-101-05	51.11	42.81	कारण नहीं बताये गये हैं।
64.		2501-02-796-05 (सी.एस.एस.)	131.10	112.95	कारण नहीं बताये गये हैं।
65.		2501-02-796-05 (योजना)	41.43	31.35	कारण नहीं बताये गये हैं।
66.		2501-02-800-05 (सी.एस.एस.)	174.15	149.45	कारण नहीं बताये गये हैं।
67.		2505-01-702-02 (सी.एस.एस.)	264.60	205.68	कारण नहीं बताये गये हैं।
68.		2505-01-702-02 (योजना)	88.20	66.59	कारण नहीं बताये गये हैं।
69.		2505-01-789-02	81.00	38.70	कारण नहीं बताये गये हैं।
70.		2505-01-796-02 (सी.एस.एस.)	194.40	85.32	कारण नहीं बताये गये हैं।
71.		2505-01-796-02 (योजना)	64.80	25.26	कारण नहीं बताये गये हैं।
72.		2505-01-796-04 (सी.एस.एस.)	727.65	372.73	कारण नहीं बताये गये हैं।
73.		2505-02-101-04 (योजना)	190.85	44.08	कारण नहीं बताये गये हैं।
74.		2505-02-101-04 (सी.एस.एस.)	222.75	114.10	कारण नहीं बताये गये हैं।
75.		2505-02-796-04 (सी.एस.एस.)	534.60	273.84	कारण नहीं बताये गये हैं।
76.		2505-02-796-04 (योजना)	234.40	32.39	कारण नहीं बताये गये हैं।
77.		2053-00-800-09	24.64	24.64	कारण नहीं बताये गये हैं।
78.	2501-02-101-01	52.92	52.92	कारण नहीं बताये गये हैं।	

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं नाम	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण	
79.	42-ग्रामीण विकास विभाग	2501-02-796-01	38.88	38.88	कारण नहीं बताये गये हैं।	
80.	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	4202-02-105-06 (सी.पी.एस.)	50.00	33.54	कारण नहीं बताये गये हैं।	
81.		4202-02-105-06	66.60	53.48	कारण नहीं बताये गये हैं।	
82.	45-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2203-00-001-61	32.25	32.25	कारण नहीं बताये गये हैं।	
83.	47-परिवहन विभाग	3075-60-796-03	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
84.	48- शहरी विकास विभाग	2217-80-191-60 (सी.एस.एस.)	33.75	27.39	कारण नहीं बताये गये हैं।	
85.		2217-80-191-64	77.81	35.69	कारण नहीं बताये गये हैं।	
86.		2217-80-192-08	91.07	35.20	कारण नहीं बताये गये हैं।	
87.		2217-80-193-08	75.68	27.05	कारण नहीं बताये गये हैं।	
88.		2217-80-796-56	40.00	20.75	कारण नहीं बताये गये हैं।	
89.		2217-80-796-57	81.00	65.89	कारण नहीं बताये गये हैं।	
90.		2217-80-796-58	222.00	161.55	कारण नहीं बताये गये हैं।	
91.		2217-80-796-60	45.00	41.23	कारण नहीं बताये गये हैं।	
92.		2217-80-796-64	83.92	65.15	कारण नहीं बताये गये हैं।	
93.		2217-80-191-30	23.19	23.19	कारण नहीं बताये गये हैं।	
94.		2217-80-191-57	54.00	54.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
95.		2217-80-191-58	148.00	148.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
96.		2217-80-191-62	42.00	42.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
97.		2217-80-192-09	44.05	44.05	कारण नहीं बताये गये हैं।	
98.		2217-80-193-09	36.61	36.61	कारण नहीं बताये गये हैं।	
99.		2217-80-796-66	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
100.		2217-80-796-67	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
101.		49-जल संसाधन विभाग	2700-01-001-02	160.92	34.15	कारण नहीं बताये गये हैं।
102.			4700-80-796-11	125.00	35.77	कारण नहीं बताये गये हैं।
103.	4700-80-796-12		713.00	446.14	कारण नहीं बताये गये हैं।	
104.	4700-80-800-64		33.00	21.71	कारण नहीं बताये गये हैं।	
105.	50- लघु सिंचाई विभाग	2702-02-005-01	90.69	24.77	कारण नहीं बताये गये हैं।	
106.		4702-00-101-35 (योजना)	157.00	137.51	कारण नहीं बताये गये हैं।	
107.		4702-00-789-35 (योजना)	25.00	23.95	कारण नहीं बताये गये हैं।	
108.	4702-00-796-35 (योजना)	130.00	87.16	कारण नहीं बताये गये हैं।		
109.	51-कल्याण वभाग	2225-01-796-04 (सी.एस.एस.)	71.32	62.18	कारण नहीं बताये गये हैं।	
110.	55-ग्रामीण कार्य विभाग	2515-00-001-28	70.00	38.26	कारण नहीं बताये गये हैं।	
111.		2515-00-102-41	760.48	550.52	कारण नहीं बताये गये हैं।	
112.		4515-00-103-04	289.00	218.59	कारण नहीं बताये गये हैं।	
113.		4515-00-103-37	800.00	760.48	कारण नहीं बताये गये हैं।	
114.		4515-00-796-67	51.54	25.47	कारण नहीं बताये गये हैं।	
115.	56-पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग	2515-00-001-15	245.00	81.76	कारण नहीं बताये गये हैं।	
116.		2515-00-001-38	176.00	68.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
117.		2515-00-796-03	75.68	45.40	कारण नहीं बताये गये हैं।	
118.		2515-00-197-03	75.68	45.40	कारण नहीं बताये गये हैं।	
119.		2515-00-198-02	52.50	36.54	कारण नहीं बताये गये हैं।	
120.		2515-00-198-03	227.05	136.20	कारण नहीं बताये गये हैं।	
121.		2515-00-191-04	52.51	31.51	कारण नहीं बताये गये हैं।	
122.	2515-00-796-15	153.00	70.32	कारण नहीं बताये गये हैं।		

क्रम संख्या	अनुदान की सं. एवं नाम	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि	विनियोग लेख के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
123.	56-पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग	2515-00-191-38	263.00	85.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
124.		2515-00-101-37	29.26	29.26	कारण नहीं बताये गये हैं।
125.	58-माध्यमिक शिक्षा	2202-02-109-01	476.35	193.32	कारण नहीं बताये गये हैं।
126.		2202-02-109-35	46.92	46.52	कारण नहीं बताये गये हैं।
127.		2202-02-109-45	77.41	77.41	कारण नहीं बताये गये हैं।
128.		2202-02-789-45 (सी.एस.एस.)	20.64	20.64	कारण नहीं बताये गये हैं।
129.		2202-02-796-45	43.58	43.58	कारण नहीं बताये गये हैं।
130.		59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	2202-01-101-01	2856.17	1126.88
131.	2202-01-101-03 (सी.एस.एस.)		152.13	59.09	कारण नहीं बताये गये हैं।
132.	2202-01-101-45		76.80	60.80	कारण नहीं बताये गये हैं।
133.	2202-01-102-02		230.04	77.59	कारण नहीं बताये गये हैं।
134.	2202-01-789-03 (सी.एस.एस.)		60.30	24.99	कारण नहीं बताये गये हैं।
135.	2202-01-789-25 (सी.एस.एस.)		178.85	77.79	कारण नहीं बताये गये हैं।
136.	2202-01-789-45		32.64	30.40	कारण नहीं बताये गये हैं।
137.	2202-01-796-03 (सी.एस.एस.)		157.55	102.09	कारण नहीं बताये गये हैं।
138.	2202-01-796-25 (सी.एस.एस.)		452.39	258.36	कारण नहीं बताये गये हैं।
139.	2202-01-796-45		82.56	60.80	कारण नहीं बताये गये हैं।
140.	60-समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग		2235-02-101-51 (सी.एस.एस.)	213.84	100.15
141.		2235-02-796-51 (सी.एस.एस.)	231.66	100.07	कारण नहीं बताये गये हैं।
142.		2236-02-101-02 (सी.एस.एस.)	96.85	20.13	कारण नहीं बताये गये हैं।
143.		4235-02-103-59	108.00	31.75	कारण नहीं बताये गये हैं।
144.		4235-02-796-59	108.00	27.86	कारण नहीं बताये गये हैं।
कुल			22784.67	12255.10	

परिशिष्ट 2.3

₹ एक करोड़ से अधिक की बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई की विवरणी
(संदर्भ कंडिका 2.4.2; पृष्ठ 54)

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
राजस्व				
1	1-कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	552.00	0.00	552.00
2	2-पशुपालन विभाग	41.73	0.00	41.73
3	3-भवन निर्माण विभाग	43.12	0.00	43.12
4	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	14.19	0.00	14.19
5	5- राज्यपाल सचिवालय	1.59	0.00	1.59
6	6- निर्वाचन	35.37	0.00	35.37
7	9-सहकारिता विभाग	13.07	0.00	13.07
8	10-ऊर्जा विभाग	25.77	15.81	9.96
9	12-वित्त विभाग	72.51	0.00	72.51
10	14-ऋण की वापसी/अदायगी	35.00	0.00	35.00
11	15-पेंशन	825.12	0.00	825.12
12	17-वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	23.36	0.00	23.36
13	18-खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	439.49	0.00	439.49
14	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	116.88	94.83	22.05
15	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	967.84	6.45	961.39
16	21-उच्च शिक्षा	333.35	37.29	296.06
17	22-गृह विभाग	341.90	0.00	341.90
18	23-उद्योग विभाग	148.57	0.00	148.57
19	24-सूचना और जन संपर्क विभाग	19.88	17.94	1.94
20	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	349.95	0.28	349.67
21	27-विधि विभाग	70.79	0.00	70.79
22	28-झारखण्ड उच्च न्यायालय	3.92	0.00	3.92
23	29-खनन एवं भूतत्व विभाग	9.39	0.00	9.39
24	35-योजना एवं विकास विभाग	99.14	96.30	2.84
25	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	361.53	27.42	334.11
26	38-निबंधन विभाग	5.64	0.00	5.64
27	39-आपदा प्रबंधन विभाग	164.29	0.00	164.29
28	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	99.80	94.32	5.48
29	41-पथ निर्माण विभाग	40.27	0.00	40.27
30	42-ग्रामीण विकास विभाग	1906.78	0.00	1906.78
31	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	21.31	10.85	10.46
32	45-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	48.21	0.00	48.21
33	47-परिवहन विभाग	41.78	0.00	41.78
34	48-शहरी विकास विभाग	1088.32	0.00	1088.32
35	49-जल संसाधन विभाग	87.83	23.61	64.22
36	50-लघु सिंचाई विभाग	43.31	15.64	27.67
37	51-कल्याण विभाग	169.02	0.00	169.02
38	52-कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	48.52	28.60	19.92
39	53-मत्स्य	11.93	0.00	11.93
40	54-डेयरी	40.22	0.00	40.22
41	55-ग्रामीण कार्य विभाग	613.99	0.00	613.99

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
राजस्व				
42	56-पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग	786.09	1.92	784.17
43	57-आवास विभाग	1.44	0.00	1.44
44	58-माध्यमिक शिक्षा	523.59	0.00	523.59
45	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	2129.56	0.00	2129.56
46	60-समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	455.46	0.00	455.46
पूँजीगत				
47	1-कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	11.72	0.00	11.72
48	2-पशुपालन विभाग	8.71	0.00	8.71
49	3-भवन निर्माण विभाग	52.92	0.00	52.92
50	8-नागर विमानन विभाग	3.27	0.00	3.27
51	9-सहकारिता विभाग	7.80	0.00	7.80
52	10-ऊर्जा विभाग	363.07	213.07	150.00
53	12-वित्त विभाग	44.46	0.00	44.46
54	14-ऋण की वापसी/अदायगी	115.42	0.00	115.42
55	17-वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	4.87	0.00	4.87
56	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	7.91	0.00	7.91
57	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	132.31	27.96	104.35
58	22-गृह विभाग	39.13	0.00	39.13
59	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	46.17	0.00	46.17
60	29-खनन एवं भूतत्व विभाग	3.74	0.00	3.74
61	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	73.73	0.00	73.73
62	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	43.43	0.00	43.43
63	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	10.72	1.28	9.44
64	41-पथ निर्माण विभाग	177.60	0.00	177.60
65	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	91.63	44.32	47.31
66	45-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	19.96	0.00	19.96
67	46-पर्यटन विभाग	5.72	0.80	4.92
68	47-परिवहन विभाग	1.59	0.00	1.59
69	48-शहरी विकास विभाग	6.94	0.00	6.94
70	49-जल संसाधन विभाग	1196.28	967.25	229.03
71	50-लघु सिंचाई विभाग	301.88	51.17	250.71
72	51-कल्याण विभाग	49.38	0.00	49.38
73	53-मत्स्य	47.09	0.00	47.09
74	54-डेयरी	3.37	0.00	3.37
75	55-ग्रामीण कार्य विभाग	1021.35	0.00	1021.35
76	57-आवास विभाग	1.00	0.00	1.00
77	58-माध्यमिक शिक्षा	2.71	0.00	2.71
78	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	5.51	0.00	5.51
79	60-समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	65.98	0.00	65.98
कुल		17240.19	1777.11	15463.08

परिशिष्ट 2.4

31 मार्च 2015 को ₹ पाँच करोड़ से अधिक अभ्यर्पित राशि के मामले

(संदर्भ: कंडिका 2.4.2; पृष्ठ 54)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	लेखा-शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि
1.	10-ऊर्जा विभाग	2801-80-796-10	5.00
2.		2801-80-800-08	5.00
3.		2801-80-800-09	5.00
4.		6801-00-201-24	39.85
5.		6801-00-202-01	20.00
6.		6801-00-205-23	31.00
7.		6801-00-789-03	12.33
8.		6801-00-789-23	6.00
9.		6801-00-796-03	26.72
10.		6801-00-796-23	13.00
11.		6801-00-800-03	63.72
12.	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	2406-01-001-01	6.07
13.		2406-01-101-01	24.78
14.		2406-01-101-06	6.07
15.		2406-01-796-13	8.33
16.	24-सूचना और जन संपर्क विभाग	2220-60-106-02	7.54
17.	35-योजना एवं विकास विभाग	2235-02-102-01	12.05
18.		2235-02-796-01	35.24
19.		3454-02-204-16	7.69
20.		3454-02-796-16	12.86
21.	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-101-09	8.54
22.		2215-01-102-03	6.18
23.	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-102-04	8.73
24.		2029-00-102-04	6.93
25.		2029-00-103-01	5.68
26.		2029-00-104-01	25.80
27.		2029-00-796-01	8.56
28.		2029-00-796-04	10.40
29.		2029-00-796-04	13.10
30.		2029-00-796-14	5.59
31.	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	4202-02-105-06	33.54
32.		4202-02-105-06	6.17
33.	49-जल संसाधन विभाग	2701-03-001-06	9.72
34.		2701-03-001-07	7.04
35.		4700-80-789-12	405.40
36.		4700-80-796-09	182.00
37.		4700-80-796-12	375.01
38.	50-लघु सिंचाई विभाग	2702-02-005-02	7.57
39.		4702-00-101-35	9.30
40.		4702-00-796-35	20.65
सकल योग			1504.16

परिशिष्ट 2.5

मामले जहाँ अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक मामले में ₹ 20 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए
(संदर्भ : कंडिका 2.4.4; पृष्ठ 58)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक खर्च	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व (दत्तमत)					
1.	1-कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	87503.12	40617.67	46885.45	8314.56
2.	2-पशुपालन विभाग	16132.45	12193.16	3939.29	234.08
3.	3-भवन निर्माण विभाग	13030.79	9443.91	3586.88	725.10
4.	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	3108.61	2027.71	1080.90	337.70
5.	5-राज्यपाल सचिवालय	722.96	634.28	88.68	70.75
6.	12-वित्त विभाग	16026.47	9081.29	6945.18	305.83
7.	17-वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	6123.61	4949.21	1174.40	1161.24
8.	18-खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	102276.16	84225.92	18050.24	25899.18
9.	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	44672.65	37658.23	7014.42	4673.09
10.	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	222585.18	134753.21	87831.97	8952.09
11.	21-उच्च शिक्षा	94325.33	70151.71	24173.62	9161.55
12.	22-गृह विभाग	297705.41	282688.32	15017.09	19172.44
13.	23-उद्योग विभाग	30253.29	2,1986.37	8266.92	6589.78
14.	24-सूचना और जन संपर्क विभाग	6953.34	6507.18	446.16	1541.76
15.	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण	109517.51	88365.92	21151.59	13843.04
16.	27-विधि विभाग	26007.32	21672.68	4334.64	2744.56
17.	29-खनन एवं भूतत्व विभाग	2999.38	2128.42	870.96	67.73
18.	32-विधान मंडल	5419.27	5025.35	393.92	282.61
19.	33-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	1864.03	1594.26	269.77	72.79
20.	35-योजना एवं विकास विभाग	36517.31	27362.50	9154.81	759.34
21.	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	77141.22	61986.50	15154.72	20998.49
22.	38-निबंधन विभाग	1713.66	1685.62	28.04	535.48
23.	39-आपदा प्रबंधन विभाग	47468.84	32667.10	14801.74	1627.27
24.	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	38659.64	28723.26	9936.38	44.02
25.	41-पथ निर्माण विभाग	28521.96	27907.36	614.60	3412.38
26.	42-ग्रामीण विकास विभाग	332688.78	182247.11	150441.67	40236.77
27.	46-पर्यटन विभाग	965.58	884.97	80.61	47.74
28.	48-शहरी विकास विभाग	183768.65	110303.51	73465.14	35367.30
29.	49-जल संसाधन विभाग	32879.66	26092.62	6787.04	1996.03
30.	50-लघु सिंचाई विभाग	11300.95	7571.83	3729.12	601.52
31.	51-कल्याण विभाग	93550.41	86296.98	7253.43	9648.11
32.	52-कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	7497.90	5292.83	2205.07	2646.73
33.	53-मत्स्य	4067.97	2903.19	1164.78	28.19
34.	56-पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग	174589.01	145807.44	28781.57	49827.52
35.	57-आवास विभाग	370.49	272.07	98.42	46.07
36.	58-माध्यमिक शिक्षा	117176.53	71870.01	45306.52	7052.12
37.	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	611447.83	410498.05	200949.78	12006.00
38.	60-समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	131938.59	86456.85	45481.74	10864.50
कुल राजस्व (दत्तमत)		3019491.86	2152534.60	866957.26	301895.46

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक खर्च	मूल प्रावधान से बचत	अनूप्रक प्रावधान
पूँजीगत (दत्तमत)					
39.	3-भवन निर्माण विभाग	17100.00	16002.05	1097.95	4194.00
40.	49-जल संसाधन विभाग	148100.00	56291.84	91808.16	27820.00
41.	50-लघु सिंचाई विभाग	42200.00	14062.03	28137.97	2050.00
42.	53-मत्स्य	4085.70	976.96	3108.74	1600.00
कुल पूँजीगत (दत्तमत)		211485.70	87332.88	124152.82	35664.00
सकल योग		3230977.56	2239867.48	991110.08	337559.46

परिशिष्ट 2.6

पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित
(संदर्भ :कंडिका 2.4.7; पृष्ठ 60)

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	*
2001-02	32	विधान मंडल	0.04
2002-03	32	विधान मंडल	0.08
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2010-11	32	विधान मंडल	0.10
2011-12	14	ऋण की वापसी/अदायगी	219.56
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
2012-13	14	ऋण की वापसी/अदायगी	556.01
2012-13	15	पेंशन	703.44
2012-13	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
2013-14	13	ब्याज संदाय	139.42
2013-14	14	ऋण की वापसी/अदायगी	181.58
2013-14	15	पेंशन	373.05
कुल			2377.91

स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे

* आधिक्य राशि केवल ₹ 8,807 थी।

@ आधिक्य राशि केवल ₹ 1,072 थी।

\$ आधिक्य राशि केवल ₹ 81,665 थी।

^ आधिक्य राशि केवल ₹ 11,160 थी।

परिशिष्ट 2.7
निधि का आधिक्य/अपर्याप्त पुनर्विनियोग
(संदर्भ :कंडिका 2.4.9; पृष्ठ 62)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	वृद्धि पुनर्विनियोग	कमी पुनर्विनियोग	बचत (-)/ आधिक्य (+)
1.	2-पशुपालन विभाग	2403-00-001-04	1.98	-	(-)7.63
2.	3-भवन निर्माण विभाग	2052-00-090-20	1.65	-	(-)18.35
3.		2059-80-001-01	7.50	-	(-)88.36
4.		2059-80-001-03	24.00	-	(-)81.31
5.	6-निर्वाचन	2015-00-102-01	50.00		(-)288.71
6.	9-सहकारिता विभाग	3451-00-90-05	5.00		(-)7.10
7.	12-वित्त विभाग	2052-00-090-08	24.20		(-) 88.50
8.	13-ब्याज संदाय	2049-01-200-03	253.00	-	(-)53.62
9.		2049-60-701-03	15.00	-	(-)815.11
10.	14-ऋण की वापसी/अदायगी	6003-00-109-08	2100.00	-	(-)69.96
11.	17- वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	2052-00-090-07	0.96	-	(-)77.28
12.	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3451-00-090-11	15.10	-	(-)21.72
13.		3456-00-102-13	2668.70	-	(-)412.09
14.		3456-00-789-13	1143.70	-	(-)386.85
15.		3456-00-789-13	3812.45		(-)779.82
16.	20-स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-04	42.00		(-)63.13
17.		2210-01-110-13	10.00	-	(-)483.00
18.		2210-01-110-15	20.00	-	(-)144.40
19.		2210-04-103-01	15.00	-	(-)28.80
20.		2210-06-001-04	80.00	-	(-)46.89
21.		2210-06-101-01	200.00	-	(-)84.70
22.		2210-06-101-03	200.00	-	(-)393.92
23.		2210-06-101-05	180.00		(-)213.70
24.		2210-06-102-01	10.00		(-)19.47
25.		2210-06-104-03	6.00	-	(-) 7.49
26.		2210-06-106-01	62.00	-	(-)4.72
27.	2251-00-090-07	1.00		(-)96.70	
28.	22-गृह विभाग	2055-00-113-01	49.14	-	(-)4.94
29.		2056-00-101-01	0.75		(-)444.42
30.	24-सूचना और जन संपर्क विभाग	2220-60-106-02	3.00	-	(-)19.13
31.	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4215-01-796-06	350.00	-	(-)213.81
32.	38-निबंधन विभाग	2030-03-001-04	25.00		(-)35.91
33.	41-पथ निर्माण विभाग	3054-80-001-01	3000.00		(-)1226.62
34.	42-ग्रामीण विकास विभाग	2501-06-796-01	9.66	-	(-)71.85
35.		3451-00-090-10	21.45	-	(-)16.78
36.	55-ग्रामीण कार्य विभाग	4515-00-796-07	4.70	-	(-)2547.35
37.	58-माध्यमिक शिक्षा	2202-02-001-01	0.68	-	(-)22.53
38.	59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा	2202-01-001-01	0.90	-	(-)65.96
कुल			14414.52	-	(-)9452.63

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	वृद्धि पुनर्विनियोग	कमी पुनर्विनियोग	बचत (-)/ आधिक्य(+)
39.	2-पशुपालन विभाग	2403-00-101-03	-	28.34	(-) 1128.17
40.		2403-00-102-05	-	1.98	(-)61.29
41.	3-भवन निर्माण विभाग	2059-80-001-04	-	32.55	(-)903.33
42.	17-वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	2040-00-001-04	-	0.96	(-)43.97
43.	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	2406-01-101-01	-	16.00	(-)28.57
44.	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-03-103-01	-	6.50	(-) 2038.40
45.	22-गृह विभाग	2055-00-003-01	-	49.14	(-)91.90
46.		2056-00-001-01	-	0.75	(-)24.60
47.	24-सूचना और जन संपर्क विभाग	2220-01-001-01	-	2.25	(-)21.58
48.	38-निबंधन विभाग	2030-03-001-02	-	25.00	(-)147.15
49.	42-ग्रामीण विकास विभाग	2515-00-102-10	-	19.69	(-) 534.19
50.	51-कल्याण विभाग	2225-01-227-03	-	7.51	(-) 295.77
कुल			-	190.67	(-)5318.92
51.	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-104-01	-	1.00	(+)163.66
कुल			-	1.00	(+)163.66

परिशिष्ट 2.8

वर्ष के दौरान किये गये अत्यधिक अभ्यर्पण के समीक्षा के परिणाम

(संदर्भ : कंडिका 2.4.10; पृष्ठ 62)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1	10-ऊर्जा विभाग	2801-80-001-01	गोष्ठी एवं सम्मेलन/नई योजना	5.00	5.00	100.00
2		2801-80-796-10	जे.एस.ई.आर.सी. को नए भवन निर्माण हेतु सहायता अनुदान	500.00	500.00	100.00
3		2801-80-800-08	परामर्शीय एवं अन्य कार्य (नई तकनीक को शामिल करते हुए) ऊर्जा संरक्षण की दक्षता/परामर्शीय एवं अन्य कार्य	500.00	500.00	100.00
4		2801-80-800-09	परामर्शीय एवं अन्य कार्य (नई तकनीक को शामिल करते हुए) राज्य लोड डिस्पैच के लिए अनुदान	500.00	500.00	100.00
5		6801-00-201-24	प्रदूषण नियंत्रण के उपाय	3985.00	3985.00	100.00
6		6801-00-202-01	कोल ब्लॉक एवं ऊर्जा प्लांट की नई योजना	2000.00	2000.00	100.00
7	11-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	3604-00-200-03	उत्पाद दुकानों की बंदी के लिए मुआवजा	5.00	5.00	100.00
8	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	2406-01-105-04	सरकारी वन	250.02	250.02	100.00
9		2406-01-110-41	जलीय परिस्थितिकी तंत्र (एन.पी.सी.ए.) के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना	10.00	10.00	100.00
10		2406-01-789-37	वन प्रबंधन का इंटेसिफिकेशन (केंद्रीय अंश-75 राज्य अंश-25)	50.00	43.84	87.69
11		2406-01-789-37	वन प्रबंधन का इंटेसिफिकेशन (केंद्रीय अंश-75 राज्य अंश-25)	150.00	104.92	69.95
12		2406-01-789-43	राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम (ग्रीन इण्डिया के लिए राष्ट्रीय विजन)	521.19	261.19	50.11
13		2406-01-796-39	स्थायी नर्सरी एवं बीज बगीचा	16.00	16.00	100.00
14		2406-02-110-08	अनावर्ती व्यय- पलामू टाइगर प्रोजेक्ट	300.00	276.09	92.03
15		2406-02-110-25	अभ्यारण लूटमार विरोधी उपाय	35.00	21.00	60.00
16		2406-02-110-39	जलीय परिस्थितिकी तंत्र (एन.पी.सी.ए.) के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना	23.33	23.33	100.00
17		4406-04-190-02	राज्य जैव विविधता परिषद को सहायता अनुदान	200.00	200.00	100.00
18	24-सूचना एवं जन संपर्क विभाग	2220-60-106-02	जिला मोबाईल ईकाई	1330.58	754.32	56.69
19		2220-60-106-03	क्षेत्रीय प्रचार योजना - सूचना भवन का निर्माण, माइक, कम्प्यूटर, झण्डा, होर्डिंग पम्पलेट, पोस्टर्स इत्यादि	5.00	5.00	100.00
20		2220-60-106-21	क्षेत्रीय प्रचार योजना (फिल्म निर्माण)	525.00	301.80	57.49
21	32-विधान मंडल	2011-02-101-04	संचेतक का कार्यालय	111.30	56.00	50.32
22		2011-02-101-11	सदस्य श्रेष्ठ विधायक पुरस्कार तथा समारोह (अन्य व्यय, प्रभारी भत्ता, अतिथि भत्ता, चिकिस्ता भत्ता को जोड़कर)	22.00	21.64	98.37
23	33-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	2070-00-796-01	उप दण्डाधिकारी का प्रशिक्षण	100.00	100.00	100.00

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता	
24	35-योजना एवं विकास विभाग	2053-00-796-06	झारखण्ड राज्य योजना परिषद	500.69	434.00	86.68	
25		2053-00-796-17	निविदा (टेंडर) भत्ता तथा परामर्श (सिविल निबंधन व्यवस्था के व्यय की मजबूती)	57.18	47.87	83.72	
26		2053-00-796-26	राज्य नवीनता परिषद निधि	500.00	354.03	70.81	
27		2053-00-796-33	डी.एच.डी.आर. एस.एच.डी.आर. का निर्माण एवं प्रकाशन तथा सांख्यिकी तथा विकास को जारी अन्य प्रतिवेदन	200.00	200.00	100.00	
28		2053-00-796-34	क्षमता निर्माण/सेमिनार, विचार-गोष्ठी/विकेंद्रित योजना/नवीन पी.पी.पी. कार्यशाला आदि ।	350.00	210.00	60.00	
29		3454-02-204-09	वर्षा मापक यंत्र (लगाना) खरीद तथा स्थापना	3.00	3.00	100.00	
30		3454-02-204-16	झारखण्ड राज्य सांख्यिकी योजना नीति	769.00	769.00	100.00	
31		3454-02-204-16	झारखण्ड राज्य सांख्यिकी योजना नीति	8.09	8.09	100.00	
32		3454-02-205-02	13 वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य सांख्यिकी योजना हेतु अनुदान	480.00	480.00	100.00	
33		3454-02-796-01	राज्य फसल सांख्यिकी सुधार हेतु योजना	42.00	31.01	73.83	
34		3454-02-796-09	वर्षा मापक यंत्र (लगाना) खरीद तथा स्थापना	3.00	2.62	87.30	
35		3454-02-796-12	सांख्यिकी व्यवस्था को मजबूत करना/सबल करना	31.87	18.76	58.85	
36		3454-02-796-16	झारखण्ड राज्य सांख्यिकी योजना नीति	1286.21	1286.21	100.00	
37		3454-02-796-16	झारखण्ड राज्य सांख्यिकी योजना नीति	252.89	252.89	100.00	
38		36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-101-05	आदित्यपुर जलापूर्ति योजना/शुद्ध जलापूर्ति हेतु रसायन	63.83	36.33	56.92
39		40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-102-04	राजस्व प्रशासन का सफ़्टीकरण एवं भू अभिलेखों का अद्यतीकरण	873.00	873.00	100.00
40			2029-00-102-04	राजस्व प्रशासन का सफ़्टीकरण एवं भू अभिलेखों का अद्यतीकरण	873.00	693.00	79.38
41	2029-00-102-05		आदिवासियों को जमीन की वापसी/अधिग्रहण	25.00	19.65	78.60	
42	2029-00-103-01		भू अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	580.25	567.83	97.86	
43	2029-00-796-01		भू अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	868.00	855.58	98.57	
44	2029-00-796-04		राजस्व प्रशासन का सफ़्टीकरण एवं भू अभिलेखों का अद्यतीकरण	1310.00	1310.00	100.00	
45	2029-00-796-04		राजस्व प्रशासन का सफ़्टीकरण एवं भू अभिलेखों का अद्यतीकरण	1310.00	1040.00	79.39	
46	2029-00-796-05		आदिवासियों को जमीन की वापसी/अधिग्रहण	80.00	58.70	73.38	
47	2029-00-796-14		भू-संबंधी नक्सा एवं अन्य अभिलेखों का मूद्रण	581.00	559.48	96.30	

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
48	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2070-00-115-03	परिसदन	407.21	209.57	51.47
49		3454-01-796-01	कृषि लेखा	296.75	181.56	61.18
50		3475-00-201-01	अधिकतम सीमा का निर्धारण एवं भूमि का अधिकरण	37.59	22.10	58.78
51		4047-00-800-04	सैरात के अंतर्गत हाट बाजार का विकास	40.00	40.00	100.00
52	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	2203-00-003-84	कौशल विकास	7.40	7.40	100.00
53		2203-00-004-01	अनुदान, शोध तथा खोज	4.10	4.10	100.00
54		2203-00-004-42	संयुक्त क्षेत्र में तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु सहायता अनुदान	148.00	148.00	100.00
55		2203-00-796-42	संयुक्त क्षेत्र में तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु सहायता अनुदान	52.00	52.00	100.00
56		2203-00-796-46	राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद	5.20	5.20	100.00
57		2203-00-796-62	जनजातीय क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा हेतु उप योजना तथा निदेशालय एवं प्रशासन	92.30	77.58	84.05
58		2203-00-796-70	संस्थान नेटवर्किंग एवं सहयोग	13.00	13.00	100.00
59		2203-00-796-71	स्मार्ट क्लास रूम	7.80	7.80	100.00
60		2203-00-796-84	कौशल विकास	2.60	2.60	100.00
61		2203-00-800-46	राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद	14.80	14.80	100.00
62		2203-00-800-68	प्रशिक्षण एवं विकास	3.70	3.70	100.00
63		2203-00-800-70	संस्थान नेटवर्किंग एवं सहयोग	37.00	37.00	100.00
64		2203-00-800-71	स्मार्ट क्लास रूम	22.20	22.20	100.00
65		4202-02-105-04	तकनीकी विश्वविद्यालय	192.40	192.40	100.00
66		4202-02-105-06	तकनीकी शिक्षा संस्थानों का निर्माण, अभियंत्रण महाविद्यालय/पालिटेक्निक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं पुनरूद्धार	5000.00	3354.45	67.09
67	4202-02-796-04	तकनीकी विश्वविद्यालय	67.60	67.60	100.00	
68	49-जल संसाधन विभाग	2711-01-001-01	गंगा नदी के दाहिने छोर पर बाढ़ के दौरान मरम्मती कार्य	100.00	100.00	100.00
69		4700-80-789-12	जल संसाधन (केंद्रांश) के लिए ए.आई.बी.पी. तथा अन्य कार्यक्रम	40540.00	40540.00	100.00
70		4700-80-796-09	स्वर्ण रेखा परियोजना ए.आई.बी.पी.	23200.00	18200.00	78.45
71		4700-80-796-12	जल संसाधन (केंद्रांश) के लिए ए.आई.बी.पी. तथा अन्य कार्यक्रम	71300.00	37501.00	52.60
72	4701-80-796-69	प्रशिक्षण कार्यशाला एवं सेमिनार	50.00	30.18	60.36	
73	50-लघु सिंचाई विभाग	2702-02-005-05	13 वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार लघु सिंचाई योजना का पोषण	233.00	233.00	100.00
74		4702-00-101-24	नई योजना के तहत भूमिगत जल सर्वेक्षण/कृत्रिम रिचार्ज तथा जल संरक्षण	15.00	13.83	92.20
75		4702-00-101-31	खोज का सर्वेक्षण, वाणिज्य दूत	70.00	70.00	100.00
76		4702-00-101-34	जे.एच.ए.एल.सी.ओ. तथा झारखण्ड राज्य जल सोसाइटी के वेतन हेतु अनुदान	740.00	471.69	63.74
77		4702-00-796-03	लघु सिंचाई सांख्यिकी विवेकीकरण	500.00	388.98	77.80

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
78	50-लघु सिंचाई विभाग	4702-00-796-24	नई योजना के तहत भूमिगत जल सर्वेक्षण/कृत्रिम रिचार्ज तथा जल संरक्षण	35.00	31.47	89.91
79		4702-00-796-31	खोज का सर्वेक्षण, परामर्श तथा मूल्यांकन	30.00	30.00	100.00
80		4702-00-796-34	जे.एच.ए.एल.सी.ओ. तथा झारखण्ड राज्य जल सोसाईटी के वेतन हेतु अनुदान	740.00	471.70	63.74
81	52-कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	2205-00-106-29	13वें वित्त आयोग के संबंध में	1610.00	810.00	50.31
82		2205-00-796-29	13वें वित्त आयोग के संबंध में	3400.00	2000.00	58.82
कुल				171207.08	125406.12	

परिशिष्ट 2.9
वर्ष के अंत में व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 2.5 पृष्ठ 62)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	शीर्ष	जनवरी से मार्च 2015 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2015 में किया गया व्यय	कुल व्यय	के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी से मार्च 2015	मार्च 2015
1	परिवहन विभाग	3075	466.18	466.18	466.18	100.00	100.00
2	कल्याण विभाग	4235	160.02	154.21	160.02	100.00	96.37
3	ऊर्जा विभाग	2810	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00
4	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	4402	34.87	34.54	34.87	100.00	99.07
5	नागर विमानन विभाग	5053	21.73	21.73	21.73	100.00	100.00
6	मानव संसाधन विभाग	2205	28.02	27.13	29.94	93.59	90.61
7	कल्याण विभाग	4225	156.13	49.75	172.72	90.39	28.81
8	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	2401	258.53	173.60	306.43	84.37	56.65
9	जल संसाधन विभाग	4711	24.43	21.23	29.23	83.56	72.62
10	गृह विभाग	4055	128.26	121.48	153.80	83.39	78.98
11	कल्याण विभाग	4250	35.58	35.58	43.47	81.85	81.85
12	उद्योग विभाग	2852	57.91	57.09	72.46	79.92	78.78
13	शहरी विकास विभाग	2217	690.32	618.73	896.58	76.99	69.01
14	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2211	60.37	57.38	80.80	74.71	71.01
15	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2203	117.76	95.83	166.77	70.61	57.46
16	कल्याण विभाग	2225	597.01	367.25	859.77	69.44	42.71
17	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4210	180.41	123.77	260.97	69.13	47.43
18	जल संसाधन विभाग	4701	122.64	93.12	191.90	63.91	48.53
19	वन एवं पर्यावरण विभाग	2406	232.65	160.15	369.93	62.89	43.29
20	ऊर्जा विभाग	2801	1427.28	782.43	2293.92	62.22	34.11
21	योजना एवं विकास विभाग	2053	209.49	188.79	336.70	62.22	56.07
22	ऊर्जा विभाग	6801	457.91	365.58	779.04	58.78	46.93
23	सहकारिता विभाग	2425	55.25	47.88	94.02	58.76	50.92
24	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456	489.13	396.72	839.39	58.27	47.26
25	समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	2236	242.01	141.40	428.60	56.47	32.99
26	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215	463.51	428.03	822.51	56.35	52.04
27	लघु सिंचाई विभाग	4702	75.94	51.66	140.62	54.00	36.74
28	ग्रामीण कार्य विभाग	2501	55.37	51.85	103.93	53.28	49.89
29	डेयरी	2404	39.64	36.92	74.80	52.99	49.36
30	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2230	47.62	36.30	91.25	52.18	39.78
31	भवन निर्माण विभाग	4059	82.34	60.55	159.20	51.72	38.03
32	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4215	69.94	45.68	139.27	50.22	32.80
कुल			7138.25	5362.54	10670.82	66.90	50.25

परिशिष्ट 2.10

नियंत्रक अधिकारियों की सूची जहाँ व्यय वर्ष 2014-15 के दौरान असंशोधित रह गई
(प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि)

(संदर्भ: कंडिका 2.6; पृष्ठ 63)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	नियंत्रक अधिकारी/विभाग	असंशोधित राशि
1	सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची	259.91
2	उद्योग निदेशक, उद्योग एवं खनन विभाग	188.06
3	सचिव, प्रशासन, वित्त विभाग, राँची	10.50
4	अवर सचिव, भवन निर्माण एवं आवास (पी.डब्ल्यू.डी. प्रमंडल) विभाग, राँची	89.52
5	मुख्य अभियंता, आवास विभाग, राँची	48.79
6	आयुक्त-सह-सचिव, राजस्व विभाग, झारखण्ड, राँची	159.06
7	पंजीयक, सहकारी विभाग, राँची	53.43
8	महानिदेशक (कारा), गृह विभाग, झारखण्ड, राँची	112.35
9	निदेशक, खनन एवं भूगर्भ विभाग, राँची	41.07
10	मुख्य अभियंता सड़क निर्माण (पी.डब्ल्यू.डी.) विभाग	32.82
11	संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड	90.10
12	आयुक्त-सह-सचिव, जल संसाधन (सिंचाई) विभाग, झारखण्ड, राँची	124.26
13	सचिव, खाद्य एवं पोषण विभाग, झारखण्ड	291.87
14	चुनाव आयुक्त, चुनाव विभाग, राँची	218.46
15	उप सचिव, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, राँची	116.59
16	उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राँची	82.93
17	उप सचिव, प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा विभाग, राँची	5525.19
18	उप सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग	22.61
19	निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, (एच.आर.डी.), राँची	29.94
20	निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, झारखण्ड, राँची	1267.60
	निदेशक, देशी चिकित्सा निदेशालय, झारखण्ड	260.97
21	सचिव कल्याण विभाग, राँची	1522.80
22	सचिव, खाद्य आपूर्ति विभाग, राँची	774.97
23	महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राँची	18.95
24	संयुक्त सचिव, प्राकृतिक आपदा विभाग, राँची	291.87
25	सचिव, शहरी विकास विभाग, झारखण्ड, राँची	896.58
26	सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची	172.71
27	उप सचिव, लघु सिंचाई विभाग, राँची	140.62
28	सचिव, कृषि विभाग, झारखण्ड, राँची	237.88
29	सचिव, लघु सिंचाई विभाग, राँची	86.81
30	निदेशक, मत्स्य विभाग, राँची	10.24
31	सचिव-सह-आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, राँची	37.54
32	सचिव, मंडल राजस्व विभाग, राँची	323.53
33	सचिव, पी.एच.ई.डी.विभाग, राँची	776.10
34	पंजीयक, उद्योग विभाग, राँची	23.25
35	सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राँची	17.90
36	सचिव, परिवहन एवं नागर विमानन-सह-राज्य आयुक्त	466.18
37	वाणिज्यिक कर आयुक्त, झारखण्ड, राँची	44.46
38	उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राँची	366.38
39	निदेशक, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची	3292.13
40	श्रम आयुक्त, राँची	83.82
41	निदेशक, योजना एवं मूल्यांकन, राँची	29.16
42	अपर सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, सेक्शन-iv ग्रामीण पुलिस, झारखण्ड	2599.65
43	वित्त आयोग, झारखण्ड	3462.52
	कुल	24702.08

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक.) का कार्यालय, झारखण्ड

परिशिष्ट 2.11

बजटीय प्रावधान से आधिक्य व्यय

(संदर्भ: कंडिका 2.7.7; पृष्ठ 66)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	योजना	अंतिम आबंटन	व्यय	आधिक्य	प्रतिशत
1	2215-01-101-01	गैर-योजना	5.10	5.12	0.02	0.4
2	2215-01-101-02	गैर-योजना	5.83	5.98	0.15	2.6
3	2215-01-101-04	गैर-योजना	21.90	27.07	5.17	23.6
	कुल		32.83	38.17	5.34	

स्रोत: विनियोग लेखे 2014-15

परिशिष्ट 2.12

अंतिम दिन अभ्यर्पण (राज्य स्तर)

(संदर्भ: कंडिका 2.7.8 पृष्ठ 66)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	अभ्यर्पण पत्र सं. एवं तिथि	राशि (₹ में)
1	2215-01-102-02	433/31.03.2015	23211882
2	2215-01-101-09	432/31.03.2015	85358172
3	2215-01-101-04	431/31.03.2015	48753372
4	2215-01-101-02	430/31.03.2015	10386806
5	2215-01-101-07	429/31.03.2015	4192643
6	2215-01-101-07	441/31.03.2015	12135218
7	2215-01-102-09	440/31.03.2015	312763
8	2215-01-101-08	439/31.03.2015	7493232
9	2215-01-101-05	437/31.03.2015	3633000
10	2215-02-105-04	436/31.03.2015	16391
11	2215-02-105-01	435/31.03.2015	659486
12	2215-01-102-03	434/31.03.2015	61756475
	कुल		257909440

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक.) का कार्यालय, झारखण्ड

परिशिष्ट 2.13
वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पण
(संदर्भ : कंडिका 2.7.8 पृष्ठ 66)

(₹ लाख में)

नमूना जाँचित प्रमण्डल	2014-15 में आवंटन				2014-15 के दौरान व्यय				2014-15 के दौरान अभ्यर्पण				पहले किये गए अभ्यर्पण	अभ्यर्पण की तिथि	अंतिम दिन अभ्यर्पण	अभ्यर्पण की तिथि
	राज्य योजना	गैर योजना (कार्य)	गैर योजना (स्थापना)	कुल	राज्य योजना	गैर योजना (कार्य)	गैर योजना (स्थापना)	कुल	राज्य योजना	गैरयोजना (कार्य)	गैर योजना (स्थापना)	कुल				
हजारीबाग	821.78	119.95	412.97	1354.7	411.49	114.32	412.96	938.77	410.29	5.63	0.01	415.93	358.89	20-02-2015/ 27-03-2015	57.04	30-03-2015
साहिबगंज	219.62	37.29	317.24	574.15	218.66	37.29	316.82	572.77	0.96	0	0.42	1.38	0		1.38	30-03-2015
मधुपुर	874.2	13.95	146.29	1034.44	872.21	13.58	141.87	1027.66	1.99	0.37	4.42	6.78	3	23-02-2015	3.78	31-03-2015
राँची पश्चिम	1224.44	26.81	380.33	1631.58	1102.2	20.19	377.54	1499.93	122.24	6.62	2.79	131.65	8.1	21-02-2015/ 18-03-2015/ 24-03-2015	123.55	30-03-2015
गिरिडीह-2	992.02	29.78	122.57	1144.37	894.2	28.49	116.82	1039.51	97.82	1.29	5.75	104.86	5.36	02-03-2015	99.5	31-03-2015
जमशेदपुर	194.71	97.64	321.45	613.8	144.98	97.48	311.1	553.56	49.73	0.16	10.35	60.24	13.5	20-02-2015	46.74	31-03-2015
गुमला	171.19	92.24	278.31	541.74	91.68	76.39	269.72	437.79	79.51	15.85	8.59	103.95	50	20-02-2015	53.95	30-03-2015
मेदनीनगर	102.74	82.1	316.92	501.76	84.07	82.1	313.17	479.34	18.67	0	3.75	22.42	0		22.42	29-03-2015
सरायकेला	947.6	42.73	242.61	1232.94	868.66	41.2	242.52	1152.38	78.94	1.53	0.09	80.56	0		80.56	30-03-2015
कुल योग	5548.3	542.49	2538.69	8629.48	4688.15	511.04	2502.52	7701.71	860.15	31.45	36.17	927.77	438.85		488.92	

स्रोत : नमूना जाँचित प्रमण्डलों से प्रस्तुत की गई जानकारी

परिशिष्ट 2.14

शत-प्रतिशत बचत

(संदर्भ: कंडिका 2.7.8 पृष्ठ 66)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	योजना/गैर योजना	आवंटन	व्यय	बचत
1	2215-02-105-04	गैर योजना	74.84	0.00	74.84
2	2215-01-102-03	राज्य योजना	15.00	0.00	15.00
3	4215-01-796-07	राज्य योजना	65.00	0.00	65.00
कुल			154.84		154.84
स्रोत: विनियोग लेखे 2014-15					

परिशिष्ट 2.15

व्यय का वेग (राज्य स्तर)

(संदर्भ: कंडिका 2.7.9 पृष्ठ 67)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	शीर्ष			कुल आवंटन	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय का प्रतिशत
		यो./ गै.यो.	रा.यो./ के.प्रा.यो./ के.यो.यो.	दत्तमत/ भारित				
1.	2215-01-101-08	गै.यो.		दत्तमत	107.34	106.98	54.51	50.95
2.	2215-01-102-10	यो.	के.प्रा.यो.	दत्तमत	14833.40	9823.55	5247.17	53.41
3.	2215-01-102-10	यो.	रा.यो.	दत्तमत	14833.40	13038.57	7035.14	53.96
4.	2215-01-106-11	यो.	के.प्रा.यो.	दत्तमत	3925.00	874.01	874.01	100.00
5.	2215-01-106-11	यो.	रा.यो.	दत्तमत	650.00	650.00	325.00	50.00
6.	2215-01-789-10	यो.	के.प्रा.यो.	दत्तमत	3467.79	2742.07	2007.07	73.20
7.	2215-01-789-10	यो.	रा.यो.	दत्तमत	3467.79	3205.81	2789.50	87.01
8.	2215-01-789-11	यो.	के.प्रा.यो.	दत्तमत	750.00	268.60	268.60	100.00
9.	2215-01-789-11	यो.	रा.यो.	दत्तमत	125.00	125.00	62.50	50.00
10.	2215-01-796-10	यो.	के.प्रा.यो.	दत्तमत	16710.00	9549.60	8788.95	92.03
11.	2215-01-796-10	यो.	रा.यो.	दत्तमत	16710.00	2926.29	2252.34	76.97
12.	2215-01-796-11	यो.	के.प्रा.यो.	दत्तमत	2325.00	1162.61	1162.61	100.00
13.	2215-01-796-11	यो.	रा.यो.	दत्तमत	385.00	385.00	192.50	50.00

स्रोत: विनियोग लेखे 2014-15

परिशिष्ट 2.16

व्यय का वेग (नमूना-जाँचित प्रमण्डल/जिलों)

(संदर्भ: कंडिका 2.7.9 पृष्ठ 67)

(₹ लाख में)

क्र. स.	नमूना जाँचित प्रमण्डल	2014-15 के दौरान कुल व्यय				मार्च 2015 के दौरान व्यय			
		राज्य योजना	गैर योजना (कार्य)	के.प्रा.यो. (रा.ग्रा.पे.ज.का.)	उप-योग	राज्य योजना	गैर योजना (कार्य)	के.प्रा.यो. (रा.ग्रा.पे.ज.का.)	उप-योग
1	हजारीबाग	409.00	114.32	2103.88	2627.20	199.87	18.53	871.59	1089.99
2	साहिबगंज	218.67	37.29	2607.19	2863.15	75.82	5.32	547.14	628.28
3	मधुपुर	883.50	13.58	1206.29	2103.37	443.04	0.52	707.70	1151.26
4	राँची पश्चिम	1102.20	20.20	1783.89	2906.29	322.73	9.27	452.07	784.07
5	गिरिडीह-2	894.20	28.49	2172.28	3094.97	159.32	8.94	824.82	993.08
6	जमशेदपुर	148.53	97.48	955.77	1201.78	80.88	6.05	422.80	509.73
7	गुमला	91.68	76.43	1718.50	1886.61	31.03	22.63	816.81	870.47
8	भेदनीनगर	84.09	82.10	2353.78	2519.97	21.80	11.34	1168.08	1201.22
9	सरायकेला	868.66	41.20	2077.96	2987.82	191.87	8.04	1202.80	1402.71
सकल योग		4700.53	511.09	16979.54	22191.16	1526.36	90.64	7013.81	8630.81

स्रोत : नमूना-जाँचित प्रमण्डलों से प्रस्तुत की गई जानकारी

परिशिष्ट 2.17
सामग्री के रूप में निधि का अवरुद्धिकरण
(संदर्भ: कंडिका 2.7.10 पृष्ठ 67)

क्र. सं.	नमूना-जाँचित प्रमण्डल	योजना का नाम	एकरारित राशि (₹ करोड़ में)	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	निधियों का आवंटन (₹ करोड़ में)	अद्यतन भुगतान (₹ करोड़ में)	एकरारनामा के अनुसार पाईपों की आवश्यकता	पाईप के प्रकार (डी.आई.)	पाईपों की खरीद	पाईपों का बिछाव	नहीं बिछाये गये पाईप	पाईप की दर (₹)	पाईप की खरीद के लिए भुगतान (₹ लाख में)	नहीं बिछाये गये पाईप पर भुगतान (₹ लाख में)	अन्य घटकों की भौतिक प्रगति
1	हजारीबाग	राज्य योजना के तहत बलसगरा ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	8.21	22.01.2017	1.50	1.17	4650	K-9 (100 मि.मी. ब्यास)	1760	0	1760	2100	31.42	31.42	इंटेकवेल सह पम्प हाउस, जल उपचार संयंत्र, उच्च सेवा जलाशय, स्टाफ क्वार्टर, पम्प हाउस आदि - शून्य
2	मधुपुर	बभनगाँवा ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	5.93	22.09.2016	2.90	2.90	2180	K-9 (150 मि.मी. ब्यास)	2145	1802	343	1600	29.17	4.66	उच्च सेवा जलाशय - 27 %, जल उपचार संयंत्र - 0%, इंटेकवेल सह पम्प हाउस - 10%, स्टाफ क्वार्टर - 80%
							14477	K-7 (100 मि.मी. ब्यास)	11165	4262.5	6902.5	1030	97.75	60.43	
							3267	K-7 (150 मि.मी. ब्यास)	3267	0	3267	1400	38.88	38.88	
							1310	K-7 (200 मि.मी. ब्यास)	1309	1130	179	1800	20.03	2.74	
3	राँची पश्चिम	सोसई ग्राम समूह ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	16.35	06.03.2016	10.82	10.82	115	K-9 (100 मि.मी. ब्यास)	115	0	115	1200	1.17	1.17	इंटेकवेल सह पम्प हाउस - नक्शा एवं डिजाइन सी.डी.ओ. को समर्पित , जल उपचार संयंत्र - आर.सी.सी. एवं ईट का कार्य पूर्ण , उच्च सेवा जलाशय - 1.25लाख ली. पूर्ण तथा 3.25 लाख ली.- प्रगति में , स्टाफ क्वार्टर - पूर्ण, जमीनी सेवा जलाशय- प्रगति में
							6680	K-9 (150 मि.मी. ब्यास)	6880.5	0	6880.5	1860	108.78	108.78	
							1660	K-9 (200 मि.मी. ब्यास)	1647.5	0	1647.5	2380	33.33	33.33	
							2900	K-9 (250 मि.मी. ब्यास)	3783	0	3783	3195	102.74	102.74	
							43823	K-7 (100 मि.मी. ब्यास)	43905.5	4233.05	39672.45	1085	404.92	365.88	
							5923	K-7 (150 मि.मी. ब्यास)	9765	534.5	9230.5	1580	131.14	123.97	
							5257	K-7 (200 मि.मी. ब्यास)	5720	225.5	5494.5	2050	99.67	95.74	
82	K-7 (250 मि.मी. ब्यास)	136	0	136	2400	2.77	2.77								

क्र. सं.	नमूना-जांचित प्रमण्डल	योजना का नाम	एकरारित राशि (₹ करोड़ में)	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	निधियों का आवंटन (₹ करोड़ में)	अद्यतन भुगतान (₹ करोड़ में)	एकरारनामा के अनुसार पाईपों की जरूरत	पाईप के प्रकार (डी.आई.)	पाईपों की खरीद	पाईपों का बिछाव	नहीं बिछाये गये पाईप	पाईप की दर (₹)	पाईप की खरीद के लिए भुगतान (₹ लाख में)	नहीं बिछाये गये पाईप पर भुगतान (₹ लाख में)	अन्य घटकों की भौतिक प्रगति
4	गिरीडीह -2	कमलजोर एवं परातडीह ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	6.11	04.05.2016	4.00	3.91	1050	K-9 (200मि.मी. ब्यास)	1050	650	400	2250	20.08	9.00	जल उपचार संयंत्र - 50%, उच्च सेवा जलाशय - 70%, पम्प हाउस - 0%, पम्पीगं मशीनरी तथा बिजली के उपकरण की आपूर्ति तथा अधिष्ठापन - 0%
							9980	K-7 (100 मि.मी. ब्यास)	9980	500	9480	1100	93.31	88.64	
							4150	K-7 (150 मि.मी. ब्यास)	4150	300	3850	1670	58.91	54.65	
							1100	K-7 (200 मि.मी. ब्यास)	1100	0	1100	2050	19.17	19.17	
							50	K-7 (300 मि.मी. ब्यास)	49.5	0	49.5	3210	1.35	1.35	
5	गिरीडीह -2	सैंट्रल पीट-पतरोडीह ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	5.79	04.05.2016	3.55	3.43	3000	K-9 (150 मि.मी. ब्यास)	1830	1436	394	2100	32.67	7.03	जल उपचार संयंत्र - 85%, उच्च सेवा जलाशय - 45%, पम्प हाउस - 90%, पम्पीगं मशीनरी तथा बिजली के उपकरण की आपूर्ति तथा अधिष्ठापन - 0%
							9590	K-7 (100 मि.मी. ब्यास)	6997	3386	3611	1136	67.56	34.87	
							3755	K-7 (150 मि.मी. ब्यास)	2173	300	1873	1560	28.81	24.84	
							165	K-7 (200 मि.मी. ब्यास)	630	0	630	1900	10.17	10.17	
							85	K-7 (250 मि.मी. ब्यास)	600	145	455	2100	10.71	8.12	
6	सरायकेला	दुगनी एवं जामबहाल ग्राम समूह जल आपूर्ति योजना	3.48	14.10.2016	1.00	0.80	800	K-9 (100 मि.मी. ब्यास)	797.5	0	797.50	1149.20	7.79	7.79	इंटेकवेल - 10%, जल उपचार संयंत्र - 40%, उच्च सेवा जलाशय - 70%, गैंगवे, पम्पीगं मशीनरी तथा बिजली के उपकरण की आपूर्ति तथा अधिष्ठापन - शून्य
							5967	K-7 (100 मि.मी. ब्यास)	4840	0	4840	1009.11	41.51	41.51	
							769	K-7 (150 मि.मी. ब्यास)	764.5	0	764.5	1491.87	9.69	9.69	
7	सरायकेला	यशपुर ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	7.46	28.01.2017	2.20	1.60	5010	K-9 (150 मि.मी. ब्यास)	4509	1320	3189	2300	72.59	51.34	इंटेकवेल, गैंगवे, जल उपचार संयंत्र, उच्च सेवा जलाशय - शून्य, स्टाफ क्वार्टर - 5%
							15825	K-7 (100 मि.मी. ब्यास)	6396	2152	4244	1670	74.77	49.61	
							4195	K-7 (150 मि.मी. ब्यास)	1699.5	248	1451.5	1900	22.60	19.30	
							1718	K-7 (200 मि.मी. ब्यास)	1718	1320	398	2300	27.66	6.41	
							50	K-7 (250 मि.मी. ब्यास)	49.5	0	49.5	2700	0.94	0.94	
कुल			53.33		25.97	24.63						1702.06	1416.94		

परिशिष्ट 2.18

विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन

(संदर्भ: कंडिका 2.7.11 पृष्ठ 68)

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की पुस्तिका के अनुसार व्यय	समाशोधित व्यय	असमाशोधित व्यय
2215	619.86	60.21	559.65
4215	139.22	106.98	32.24
कुल	759.08	167.19	591.89
स्रोत : महालेखाकार (लेखा एवं हक.) का कार्यालय			

परिशिष्ट 2.19

आई.एम.आई.एस. तथा मासिक लेखे के आँकड़ों में विसंगति

(संदर्भ: कंडिका 2.7.12 पृष्ठ 68)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नमूना जाँचित प्रमण्डल	मासिक लेखे के अनुसार व्यय (एन.आर.डी.डब्लू पी.)			आई.एम.आई.एस. के प्रतिवेदन के अनुसार व्यय (एन.आर.डी.डब्लू पी.)			आँकड़ों में विसंगति		
		केंद्र	राज्य	कुल	केंद्र	राज्य	कुल	केंद्र	राज्य	कुल
1	हजारीबाग	873.02	1230.86	2103.88	1041.46	1602.46	2643.92	168.44	371.60	540.04
2	जमशेदपुर	281.57	674.20	955.77	467.47	706.92	1174.39	185.90	32.72	218.62
3	मधुपुर	500.96	705.32	1206.28	501.47	1552.73	2054.20	0.51	847.41	847.92
4	राँची पश्चिम	1049.49	733.64	1783.13	1492.31	1837.35	3329.66	442.82	1103.71	1546.53
5	गुमला	987.54	730.97	1718.51	1159.00	743.62	1902.62	171.46	12.65	184.11
6	सरायकेला	657.57	1420.39	2077.96	879.99	2277.60	3157.59	222.42	857.21	1079.63
7	गिरिडीह -2	1008.02	1164.26	2172.28	1071.48	1977.03	3048.51	63.46	812.77	876.23
8	साहेबगंज	597.39	2009.78	2607.17	645.74	2189.78	2835.52	48.35	180.00	228.35
9	भेदनीनगर	746.11	1610.67	2356.78	1061.39	1644.80	2706.19	315.28	34.13	349.41
	कुल	6701.67	10280.09	16981.76	8320.31	14532.29	22852.60	1618.64	4252.20	5870.84

स्रोत : नमूना-जाँचित प्रमण्डलों से प्रस्तुत की गई जानकारी

परिशिष्ट 2.20 (अ)
बजट भाषण में घोषणा की गई योजनाओं की भौतिक प्रगति
(संदर्भ: कंडिका 2.7.13 पृष्ठ 69)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	राज्य		जमशेदपुर/ पूर्वी सिंहभूम		गिरीडीह-2/ गिरीडीह		गुमला		हजारीबाग		मधुपुर/देवघर		मेदनीनगर/ पलामू		राँची पश्चिम/राँची		साहिबगंज		सरायकेला		कुल (नमूना- जाँचित प्रमण्डल/जिले)		प्रतिशत उपलब्धि
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
		1	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में ड्रिल्ड नलकूपों का निर्माण (2014-15)	@	@	55	47	176	171	221	192	48	44	17	16	258	258	37	37	51	24	52	32	
2	डी.टी. एवं जी.पी.टी. का पुर्नस्थापन (2014- 15)	19983	@	791	523	640	621	918	909	800	730	453	441	1147	1147	1000	1000	671	561	555	547	6975	6474	93
3	ड्रिल्ड नलकूपों का आई.एम. III से आई.एम. II में परिवर्तन (2014-15)	10418	@	176	97	35	15	489	489	562	10	437	437	739	739	594	564	539	304	575	575	4146	3230	78
4	सडे राईजर पाईपों को बदलना (2014-15)	34782	@	1280	902	742	658	1148	1137	1630	295	1142	1137	2886	2886	1307	1185	1090	871	1063	987	12288	10058	82
5	व्यक्तिगत घर शौचालय (आई.एच.एच.एल.)	253575	98519	1000 0	1904	7440	6913	5970	6135	9591	3164	14000	7420	19700	2342	5545	3971	3320	3407	17835	3714	93401	38970	42

स्रोत : नमूना-जाँचित प्रमण्डलों से प्रस्तुत की गई जानकारी
@ विभाग द्वारा सूचना/जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

परिशिष्ट 2.20 (ब)
बजट भाषण में घोषणा की गई योजनाओं की वित्तीय प्रगति
(संदर्भ: कंडिका 2.7.13 पृष्ठ 69)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	राज्य		जमशेदपुर		गिरीडीह-2		गुमला		हजारीबाग		मधुपुर		मेदनीनगर		राँची पश्चिम		साहेबगंज		सरायकेला		कुल (नमूना जाँचित प्रमण्डल)	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में ड्रिड नलकूपों का निर्माण (2014-15)	@	@	18.79	18.79	120.28	83.56	275.52	275.52	39.3	26.74	11.62	10.4	177.44	165.59	25.29	25.14	17.43	14.91	17.77	11.5	703.44	632.15
2	डी.टी. एवं जी.पी.टी. का पुर्नस्थापन (2014-15)	15481	@	248.6	248.6	360.18	309.41	632.17	546.98	423.95	366.4	166.23	166.23	546.94	546.94	729	654.61	212.52	212.19	281.62	274.21	3601.21	3325.57
3	ड्रिड नलकूपों का आई.एम. III से आई.एम. II में परिवर्तन (2014-15)	1279	@	21.61	11.61	4.3	4.2	60.04	51.44	69.01	5.09	53.66	47.83	90.74	79.7	72.94	58.04	66.18	43.78	70.36	65.66	508.84	367.35
4	सडे राईजर पाईपों को बदलना (2014-15)	3546	@	146	75.6	75.65	59.3	117.04	111.3	166.18	34.85	122.65	102.3	294.23	261.21	133.25	109.52	111.13	46.61	108.37	84.04	1274.5	884.73
सकल योग																						6088.00	5209.80
		केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य
5	व्यक्तिगत घर शौचालय (आई. एच.एच.एल.)	7547.7	2662.7	113.61	41.54	573.56	194.39	479.09	163.14	200.3	75.81	441.15	172.72	266.70	65.59	316.88	106.03	381.33	126.69	253.28	86.17	3025.90	1032.08

स्रोत : नमूना-जाँचित प्रमण्डलों से प्रस्तुत की गई जानकारी

@ विभाग द्वारा सूचना/जानकारी उपलब्ध नहीं कराई

परिशिष्ट 3.1

31 मार्च 2015 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(संदर्भ: कंडिका 3.1.1 पृष्ठ 72)

(₹ करोड़ में)

विभाग	2013-14 तक (2012-13 तक स्वीकृत सहायता अनुदान)		2014-15 के दौरान (2013-14 तक स्वीकृत सहायता अनुदान)		प्रतीक्षारत कुल उ.प्र.प.	
	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
उद्योग	37	44.41	शून्य	शून्य	37	44.41
शिक्षा	37	113.39	17	442.77	54	556.16
सहकारिता	117	140.08	शून्य	शून्य	117	140.08
पशुपालन	36	20.29	शून्य	शून्य	36	20.29
चिकित्सा	शून्य	शून्य	2	35.00	2	35.00
कल्याण	326	210.75	150	167.51	476	378.26
कृषि	26	47.78	9	30.63	35	78.41
भूमि सुधार	1	0.21	शून्य	शून्य	1	0.21
शहरी विकास	2923	1071.35	958	469.21	3881	1540.56
अन्य	630	1375.24	572	993.10	1202	2368.34
कुल	4133	3023.50	1708	2138.22	5841	5161.72

स्रोत: महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा रखे गये अभिलेखों के अनुसार।

परिशिष्ट 3.2

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्षेत्र इकाई)

(संदर्भ : कंडिका 3.1.2; पृष्ठ 63)

(₹ लाख में)

नमूना जाँचित प्रमंडल	अनुमोदित अग्रिम					प्रमंडलों में प्राप्त उपयोगिता			प्रमंडलों में अप्राप्त उपयोगिता		
	अग्रिम की अवधि	रा.ग्रा.पे.ज.का.	अग्रिम की अवधि	नि.भा.अ./ स्व.भा.मि.ग्रा.	कुल	रा.ग्रा.पे.ज.का.	नि.भा.अ./ स्व.भा.मि.ग्रा.	कुल	रा.ग्रा.पे.ज.का.	नि.भा.अ./ स्व.भा.मि.ग्रा.	कुल
हजारीबाग	2010-11 से 2013-14	172.75	2011-12 से 2014-15	468.8	641.55	0	0	0	172.75	468.8	641.55
साहिबगंज	2012-13 से 2014-15	70.95	2012-13 से 2014-15	886.05	957	24.68	0	24.68	46.27	886.05	932.32
मधुपुर	2012-13 से 2014-15	42.33	2012-13 से 2014-15	227.41	269.74	13.85	0	13.85	28.48	227.41	255.89
राँची पश्चिम	2013-14 से 2014-15	60.8	2012-13 से 2014-15	674.78	735.58	44.39	251.64	296.03	16.41	423.14	439.55
गिरिडीह-2	2012-13 से 2014-15	113.28	2011-12 से 2014-15	968.41	1081.69	9.05	0	9.05	104.23	968.41	1072.64
जमशेदपुर	2013-14 से 2014-15	244.49	2012-13 से 2014-15	231.97	476.46	76.2	0	76.2	168.29	231.97	400.26
गुमला	2011-12 से 2013-14	154.35	2012-13 से 2014-15	628.05	782.4	78.7	310.7	389.4	75.65	317.35	393
मेदिनीनगर	2011-12 से 2014-15	132.16	2013-14 से 2014-15	586.36	718.52	39.75	0	39.75	92.41	586.36	678.77
सरायकेला	2010-11 से 2014-15	93.94	2011-12 से 2014-15* अग्रिम के रूप में बुक किया गया	358.53	452.47	29.63	228.32	257.95	64.31	130.21	194.52
कुल		1085.05		5030.36	6115.41	316.25	790.66	1106.91	768.8	4239.70	5008.50

*अग्रिम को व्यय के रूप में अंकित किया जाना : रा.ग्रा.पे.ज.का. - ₹ 7.69 करोड़ एवं नि.भा.अ./ स्व.भा.मि.ग्रा.- ₹ 40.50 (₹ 41.80 - ₹ 1.30) करोड़ = ₹ 48.19 करोड़

परिशिष्ट 3.3
अनुदानों के विमुक्ति में विलम्ब
(संदर्भ: कंडिका 3.1.4; पृष्ठ 74)

क्र. सं.	भारत सरकार द्वारा स्वीकृति आदेश संख्या	स्वीकृति की तिथि	राशि (₹ लाख में)	पे.ज. एवं स्व.वि. द्वारा (केन्द्रांश) विमुक्ति हेतु स्वीकृति आदेश	स्वीकृति की तिथि	राशि (₹ लाख में)	कार्यकारी संस्था को राशि विमुक्ति में विलम्ब	कार्यकारी संस्था को राशि विमुक्ति में विलम्ब की अवधि (माह में)
1	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/25	06-06-2014	1151.08					
2	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/26	06-06-2014	321.31					
3	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/27	06-06-2014	673.95					
उप योग			2146.34	53	09-07-2014	2146.34	11-09-2014	97
4	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/68	11-06-2014	276.13	61	14-07-2014	276.13	05-12-2014	177
5	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/69	11-06-2014	91.55	62	14-07-2014	91.55	05-12-2014	177
6	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/176	29-09-2014	3228.09	120	21-11-2014	3228.09	19-12-2014	81
7	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/177	29-09-2014	901.07	120	21-11-2014	358.66	19-12-2014	81
8	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/178	29-09-2014	1890.02	120	21-11-2014	1890.02	19-12-2014	81
9	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/378	07-01-2015	396.96	153	16-02-2015	396.96	03-03-2015	55
10	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/379	07-01-2015	312.31	154	16-02-2015	312.31	03-03-2015	55
11	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/386	28-01-2015	3407.05	156	16-02-2015	3407.05	03-03-2015	34
12	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/387	28-01-2015	951.03	156	16-02-2015	951.03	03-03-2015	34
13	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/388	28-01-2015	1994.80	156	16-02-2015	1994.80	03-03-2015	34
14	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/195	05-11-2014	274.89					131
15	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/196	05-11-2014	76.73					131
16	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water/197	05-11-2014	160.95					131
17	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water(MDI)/ 419	18-02-2015	12.02					41
18	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water(MDI)/ 420	18-02-2015	3.35					41
19	W-11020/11/2014/ NRDWP/Water(MDI)/ 421	18-02-2015	7.03					41
उप योग			534.97	174	27-03-2015	534.97	31-03-2015	41

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट 3.4
अनुदानों का अवरुद्धीकरण
(संदर्भ: कंडिका 3.1.5; पृष्ठ 74)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जिला	नमूना जाँचित प्रमण्डल	31.03.2015 को अनुदानों का अवरुद्धीकरण		
			रा.ग्रा.पे.ज	नि.भा.अ./ स्व.भा.मि.ग्रा.	कुल
1	हजारीबाग	हजारीबाग	775.72	1.03	776.75
2	साहिबगंज	साहिबगंज	160.06	143.45	303.51
3	देवघर	मधुपुर	110.41	0.00	110.41
4	राँची	राँची पश्चिम	307.68	1069.08	1376.76
5	गिरिडीह	गिरिडीह -2	205.16	0.00	205.16
6	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	241.12	215.67	456.79
7	गुमला	गुमला	450.98	612.7	1063.68
8	पलामू	मेदिनीनगर	567.69	63.38	631.07
9	सरायकेला	सरायकेला	246.48	1419.45	1665.93
कुल			3065.30	3524.76	6590.06

परिशिष्ट 3.5

सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 14 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची
(संदर्भ: कंडिका 3.2.1 पृष्ठ 75)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1	कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	राष्ट्रीय खेल संयोजक समिति (एन.जी.ओ.सी.), मोराबादी, राँची	राँची	2008-09
2	शिक्षा	निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची	राँची	2006-07
3	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	बोकारो	2012-13
4	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	चतरा	शून्य
5	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	देवघर	2012-13
6	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	धनबाद	2010-11
7	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	दुमका	2011-12
8	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	पूर्वी सिंहभूम	2013-14
9	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गढ़वा	2011-12
10	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गिरिडीह	2012-13
11	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गोड्डा	2010-11
12	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	गुमला	2010-11
13	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	हजारीबाग	2012-13
14	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	जामताड़ा	2012-13
15	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	खूँटी	2011-12
16	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	कोडरमा	शून्य
17	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	लातेहार	शून्य
18	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	लोहरदगा	2012-13
19	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	पाकुड़	शून्य
20	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	पलामू	2013-14
21	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	रामगढ़	2011-12
22	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	राँची	2011-12
23	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य मिशन सोसाईटी, नामकम	राँची	2011-12
24	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति	सरायकेला खरसावाँ	शून्य
25	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति,	सिमडेगा	2013-14
26	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति,	पश्चिम सिंहभूम	शून्य
27	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति,	साहेबगंज	2013-14
28	स्वास्थ्य	निदेशक, रिनपास कॉके	राँची	2008-09
29	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाईटी, राँची	राँची	शून्य
30	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	बोकारो	2011-12
31	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चतरा	2011-12
32	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	देवघर	2011-12
33	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	धनबाद	2012-13
34	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	दुमका	2012-13
35	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जमशेदपुर	2014-15
36	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	2010-11

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
37	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	2011-12
38	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	2011-12
39	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गुमला	2012-13
40	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	2012-13
41	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	2010-11
42	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	2012-13
43	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	2011-12
44	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पलामू	2012-13
45	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	राँची	2012-13
46	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	2004-05
47	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चाईबासा	2011-12
48	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	2010-11
49	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	2011-12
50	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	12/2012
51	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लातेहार	2004-05
52	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	09/2010
53	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	खूँटी	शून्य
54	उद्योग	भारत-डेनमार्क यंत्र कक्ष, आदित्यपुर, जमशेदपुर	जमशेदपुर	02/2014
55	शिक्षा (विज्ञान एवं प्रावैधिकी)	बिरला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	राँची	02/2015
56	नागर विमानन	नागर विमानन प्राधिकरण राँची	राँची	2012-13
57	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड पदोन्नति संस्थान (जैप-आई.टी.)	राँची	07/2014
58	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड अंतरिक्ष विज्ञान केन्द्र, धूर्वा, राँची	राँची	2007-08
59	समाज कल्याण	झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची	राँची	2006-07
60	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राँची	राँची	09/2014
61	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो	बोकारो	2012-13
62	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जमशेदपुर	जमशेदपुर	08/2014
63	वन	लाख प्रशोधन संयंत्र, लातेहार	लातेहार	2008-09
64	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झारखण्ड सरकार	राँची	2007-08
65	जैव प्रौद्योगिकी	वन में लाख की फसल की कृषि, डोरण्डा	राँची	2008-09
66	वन	वन राज्य व्यापार प्रभाग	1. लातेहार 2. गुमला 3. चाईबासा 4. हजारीबाग	1. 2009-10 2. 02/2013 3. 2011-12 4. 2008-09
67	पशुपालन	बेकन फैक्ट्री, काँके, राँची	राँची	2009-10
68	पशुपालन	क्षेत्रीय मूर्गीपालन, राँची	राँची	2008-09
69	विधि	उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राँची	राँची	2008-09
70	सूचना और जन संपर्क	राजकीय प्रेस, राँची	राँची	2010-11
71	शिक्षा एवं शोध	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	राँची	2006-07

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय में रखे गये स्थायी लेखापरीक्षा कार्यक्रम पंजी

परिशिष्ट 3.6

बकाया डी.सी. विपत्रों से संबंधित शीर्ष 50 नियंत्रक अधिकारी

(संदर्भ: कंडिका 3.3.1 पृष्ठ 76)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	डी.डी.ओ. कोड	नियंत्रक अधिकारी	योजना/ गैर-योजना	ए.सी. विपत्रों पर आहरित राशि (₹ में)
1	55	3054	PRJORD002	अनुपलब्ध	गैर-योजना	600000000.00
2	55	4515	PRJORD002	अनुपलब्ध	योजना	395200000.00
3	22	4055	PRJPOL002	अनुपलब्ध	योजना	318450000.00
4	22	4055	PRJPOL002	अनुपलब्ध	योजना	152372000.00
5	52	2205	PRJOTH015	अनुपलब्ध	योजना	140000000.00
6	20	2210	DRNMED033	अवर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	योजना	130408000.00
7	42	4515	RNCAD021	बी.डी.ओ.	योजना	105600000.00
8	22	4055	PRJPOL002	अनुपलब्ध	योजना	101092277.00
9	55	4515	PRJORD002	अनुपलब्ध	योजना	100000000.00
10	45	2203	PRJSCT001	अनुपलब्ध	योजना	87500000.00
11	42	2515	PRJORD016	अनुपलब्ध	योजना	86400000.00
12	59	2202	PRJEDN028	अनुपलब्ध	योजना	86000000.00
13	52	2205	PRJOTH015	अनुपलब्ध	योजना	80000000.00
14	59	2202	PRJEDN028	अनुपलब्ध	योजना	80000000.00
15	42	4515	GRDDAD027	उप विकास आयुक्त	योजना	79200000.00
16	42	4515	DHNORD001	अनुपलब्ध	योजना	79200000.00
17	45	2203	PRJSCT001	अनुपलब्ध	योजना	75800000.00
18	42	2053	RNCOTH010	अनुपलब्ध	योजना	70400000.00
19	43	4202	DRNSCT001	अनुपलब्ध	योजना	68300000.00
20	30	4225	PRJWSB001	अनुपलब्ध	योजना	66162186.00
21	42	4515	SGHDAD021	डी.डी.सी., चाईबासा	योजना	66000000.00
22	42	4515	JSRDAD014	उप विकास आयुक्त	योजना	66000000.00
23	27	2014	PRJADJ001	अनुपलब्ध	गैर-योजना	59700000.00
24	45	2203	PRJSCT001	अनुपलब्ध	योजना	59143000.00
25	27	2014	PRJADJ001	अनुपलब्ध	गैर-योजना	54642400.00
26	42	4515	PLMDAD012	अनुपलब्ध	योजना	52800000.00
27	42	4515	HZBORD034	अनुपलब्ध	योजना	52800000.00
28	42	2053	GRDDAD026	उपायुक्त	योजना	52800000.00
29	42	4515	DMKDAD107	अनुपलब्ध	योजना	52800000.00
30	42	2053	DHNORD001	अनुपलब्ध	योजना	52800000.00
31	45	2203	PRJSCT001	अनुपलब्ध	योजना	51792000.00
32	8	5053	RNCOTH010	अनुपलब्ध	योजना	50000000.00
33	20	2210	RNCMED013	प्रिंसिपल, आर.एम.सी.एच.	योजना	50000000.00

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	डी.डी.ओ. कोड	नियंत्रक अधिकारी	योजना/ गैर-योजना	ए.सी. विपत्रों पर आहरित राशि (₹ में)
34	41	5054	PRJRN001	अनुपलब्ध	योजना	50000000.00
35	8	5053	PRJOTH008	अनुपलब्ध	योजना	50000000.00
36	45	2203	PRJSCT001	अनुपलब्ध	योजना	48485000.00
37	42	2501	PRJORD016	अनुपलब्ध	योजना	48100000.00
38	01	4402	HZBSWC003	अनुपलब्ध	योजना	47814000.00
39	42	2053	SGHDAD076	अनुपलब्ध	योजना	44000000.00
40	42	2053	JSRDAD014	उप विकास आयुक्त	योजना	44000000.00
41	41	5054	PRJRN001	अनुपलब्ध	योजना	40000000.00
42	22	4055	PRJPOL002	अनुपलब्ध	योजना	40000000.00
43	42	4515	SKLDAD014	डी.डी.सी.	योजना	39600000.00
44	42	4515	GDDDAD004	डी.डी.सी.	योजना	39600000.00
45	42	4515	DGRORDE98	उप विकास आयुक्त	योजना	39600000.00
46	45	2203	PRJSCT001	अनुपलब्ध	योजना	37953000.00
47	42	2515	PRJORD016	अनुपलब्ध	योजना	36000000.00
48	2	4403	RNCAHY034	निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन संस्थान	योजना	35289397.00
49	42	4515	RNCDAD021	बी.डी.ओ.	योजना	35200000.00
50	42	2053	PLMDAD013	अनुपलब्ध	योजना	35200000.00

स्रोत : महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड, राँची से प्राप्त भी.एल.सी. डाटाबेस

परिशिष्ट 3.7

31 मार्च 2015 को अनुदान-वार बकाया डी.सी. विपत्रों से संबंधित नियंत्रक अधिकारी

(संदर्भ : कंडिका 3.3.1 पृष्ठ 77)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	डी.डी.ओ. कोड	नियंत्रक अधिकारी की स्थान	नियंत्रक अधिकारी
1	42-ग्रामीण विकास विभाग	BKRRDS001	बोकारो	सहायक अभियंता, आर.डी.एस.
2		SGHDAD021	डी.डी.सी. कार्यालय चाईबासा	डी.डी.सी., पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा
3		DGRORDE98	देवघर	उप विकास आयुक्त
4		GRDDAD026	गिरिडीह	उपायुक्त
5		GRDDAD027	गिरिडीह	उप विकास आयुक्त
6		GDDDAD004	गोड्डा	डी.डी.सी.
7		GDDDAD020	गोड्डा	उपायुक्त
8		JSRDAD014	जमशेदपुर	उप विकास आयुक्त
9		JMTDAD013	जामताड़ा	डी.डी.सी., जामताड़ा
10		JMTDAD016	जामताड़ा	उपायुक्त, जामताड़ा
11		CTRDAD003	कान्दा	अंचल पदाधिकारी
12		KDMDADA12	कोडरमा	उपायुक्त
13		KDMDADA14	कोडरमा	उप विकास आयुक्त
14		LTRDAD003	लातेहार	डी.डी.सी., लातेहार
15		LTRDAD025	लातेहार	उपायुक्त, लातेहार
16		LDGDAD003	लोहरदगा	डी.डी.सी.,
17		GMLDAD001	रायडीह	अंचल पदाधिकारी
18		GRHDAD016	रमूना	अंचल पदाधिकारी
19		SBJDAD001	साहेबगंज	उपायुक्त
20		SBJDAD022	साहेबगंज	डी.डी.सी.-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
21		SKLDAD014	सरायकेला	डी.डी.सी.
22		RNCDAD021	सिल्ली	बी.डी.ओ.
23		SDGDAD014	सिमडेगा	उपायुक्त
24		SDGDAD021	सिमडेगा	डी.डी.सी.
25		BKRRDS002	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
26		BKRRDS005	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
27		BKRRDS006	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
28		BKRRDS007	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
29		BKRRDS008	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
30		CTRORD001	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
31		DHNORD001	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
32		DMKDAD105	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
33		DMKDAD107	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
34		GMLORD003	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	डी.डी.ओ. कोड	नियंत्रक अधिकारी की स्थान	नियंत्रक अधिकारी
35	42-ग्रामीण विकास विभाग	GRHORD009	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
36		HZBDAD055	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
37		HZBORD034	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
38		KHNDADK01	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
39		KHNDADK02	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
40		LDGDAD030	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
41		PKRDADA07	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
42		PKRORDA01	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
43		PLMDAD012	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
44		PLMDAD013	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
45		PRJORD016	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
46		RGHORD029	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
47		RNCOTH010	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
48		SGHDAD076	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
49		SKLDAD042	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
50		TENRDS009	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
51	51-कल्याण विभाग	JMTSSW007	जामताड़ा	जिला कल्याण पदाधिकारी
52		JSRSSW001	जमशेदपुर	जिला कल्याण पदाधिकारी
53		LTRWSB001	लातेहार	जिला कल्याण पदाधिकारी, लातेहार
54		PLMSSW002	डाल्टेनगंज	जिला कल्याण पदाधिकारी
55		SDGSSW001	सिमडेगा	जिला कल्याण पदाधिकारी
56		SGHSSW016	चाईबासा	परियोजना पदाधिकारी, मेसो क्षेत्र
57	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	BKRMED001	बोकारो	एम.ओ. प्रभारी, ई.एस.आई.
58		DMKMED067	दुमका	अधीक्षक, सदर अस्पताल
59		JSRMED031	पूर्वी सिंहभूम	सिविल सर्जन
60		GRDMED003	गिरिडीह	सिविल सर्जन-सह-सी.एम.ओ.
61		GDDMED011	गोड्डा	अधीक्षक, सदर अस्पताल
62		SGHMED033	गोयलकेरा	आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी
63		KDMMEDA09	कोडरमा	सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
64		DRNMED033	राँची	अवर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
65		RNCMED013	राँची	प्रिंसिपल, आर.एम.सी.एच.
66		SDGFMW002	सिमडेगा	अधीक्षक, प्रमण्डलीय अस्पताल
67		DGRMED002	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
68		DRNMED124	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
69		HZBMED069	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
70		JMTMED058	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
71		KHNMEDL05	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
72		PKRMED009	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
73	RGHMED013	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	
74	60-सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	BKRSSW001	बोकारो	जिला कल्याण पदाधिकारी
75		BKRSSW003	चास	उप प्रमंडलीय कल्याण पदाधिकारी
76		BKRSSW004	चन्दनक्यारी	सी.डी.पी.ओ.
77		BKRSSW005	बोकारो	सी.डी.पी.ओ.

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	डी.डी.ओ. कोड	नियंत्रक अधिकारी की स्थान	नियंत्रक अधिकारी
78	60-सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	BKRSSW006	बोकारो	प्रोबेशन पदाधिकारी
79		MDHORDF25	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
80		TENSSW007	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
81	22-गृह विभाग	BKRJLS001	बोकारो	कारा अधीक्षक
82		BKRPOL001	बोकारो	उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)
83		PLMJLS001	डाल्टेनगंज	कारा अधीक्षक, मण्डल कारा
84		PLMPOL001	डाल्टेनगंज	जिला समादेष्टा, जे.एच.जी. डाल्टेनगंज
85		DGRPOLB04	देवघर	उप पुलिस अधीक्षक (लेखा)
86		DMKJLS002	दुमका	अधीक्षक, केंद्रीय कारा
87		GRHJLS001	गढ़वा	अधीक्षक, मण्डल कारा
88		GRHOAS001	गढ़वा	जिला समादेष्टा, होम गार्ड
89		GRDOAS001	गिरिडीह	जिला समादेष्टा, होम गार्ड
90		GRDPOL003	गिरिडीह	उप पुलिस अधीक्षक (लेखा)
91		GDDPOL001	गोड्डा	पुलिस अधीक्षक
92		JMTPOL002	जामताड़ा	प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक (लेखा)
93		JMTPOL003	जामताड़ा	समादेष्टा, आई.आर.बी. जामताड़ा
94		JSROAS002	जमशेदपुर	जिला समादेष्टा, झारखण्ड होम गार्ड
95		JSRPOL002	जमशेदपुर	पुलिस अधीक्षक, रेलवे
96		JSRPOL004	जमशेदपुर	उप पुलिस अधीक्षक, जैप-6
97		JSRPOL006	जमशेदपुर	उप पुलिस अधीक्षक, यातायात
98		KDMPOLA01	कोडरमा	जिला समादेष्टा, झारखण्ड
99		KDMPOLA02	कोडरमा	पुलिस अधीक्षक
100		LDGJLS001	लोहरदगा	अधीक्षक, उप-कारा
101		RNCJLS001	राँची	एम.ओ. , बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा
102		RNCPOL010	राँची	उप महानिरीक्षक, दक्षिण
103		RNCSSW037	राँची	सी.डी.पी.ओ.
104		BKROAS003	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
105		DRNFB001	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
106		DRNHGD001	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
107		HZBPOL007	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
108		HZBPOL021	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
109		PKRPOL001	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
110		PRJLS002	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
111		PRJOAS006	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
112		PRJPOL002	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
113		RGHJLS004	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
114		RNCJLSK01	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

स्रोत : महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड, राँची से प्राप्त भी.एल.सी. डाटाबेस

परिशिष्ट 3.8
विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के समर्पण में विलम्ब
(संदर्भ: कंडिका 3.3.2; पृष्ठ 78)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ए.सी. विपत्र सं.	विपत्र की राशि	आहरण की तिथि	डी.सी. विपत्र समर्पण की निर्धारित तिथि	नमूना-जाँचित प्रमण्डल	बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं तिथि	प्रमण्डल में प्राप्त राशि की मात्रा	प्रमण्डल के द्वारा डी.सी. विपत्र समर्पण की मात्रा	डी.सी. विपत्र समर्पण की तिथि	डी.सी. विपत्रों के समर्पण में विलम्ब (माह में)
1	158/ 2005-06	249.74	03-01-2006	25-02-2006	हजारीबाग	601996/03-01-2006	5.47	5.47	10-07-2012	78
					राँची पश्चिम	604988/03-01-2006	7.87	7.87	16-06-2008	28
					मेदिनीनगर	604994/03-01-2006	3.29	3.29	18-04-2015	100
					गुमला	62166/03-01-2006	29.03	29.03	14-08-2012	78
2	190/ 2010-11	4938.00	19-03-2011	25-04-2011	हजारीबाग	828434/19-03-2011	218.62	218.62	10-07-2012	15
					साहिबगंज	828429/19-03-2011	180.97	180.97	13-07-2012	15
					मधुपुर	828445/19-03-2011	95	95	18-07-2012	15
					राँची पश्चिम	828448/19-03-2011	190.87	190.87	03-07-2012	15
					गिरिडीह-2	828443/19-03-2011	230.5	230.5	20-09-2012	17
					जमशेदपुर	828419/19-03-2011	170	170	07-05-2012	12
					गुमला	828416/19-03-2011	140	140	27-07-2012	15
					मेदिनीनगर	828432/19-03-2011	280.9	280.9	24-07-2012	15
सरायकेला	828423/19-03-2011	130.17	130.17	27-07-2012	15					
3	114/ 2011-12	6195.51	29-10-2011	25-11-2011	हजारीबाग	038128/29-10-2011	337.48	337.48	10-07-2012	8
					मधुपुर	038142/29-10-2011	131.79	131.79	18-07-2012	8
					राँची पश्चिम	038115/29-10-2011	105.82	105.82	03-07-2012	7
					गिरिडीह-2	038137/29-10-2011	212.2	212.2	20-09-2012	10
					जमशेदपुर	038120/29-10-2011	163.97	163.97	07-05-2012	5
					गुमला	038117/29-10-2011	159.79	159.79	27-07-2012	8
					मेदिनीनगर	038125/29-10-2011	360.63	360.63	24-07-2012	8
सरायकेला	038124/29-10-2011	203.8	203.8	27-07-2012	8					
4	191/ 2011-12	608.23	26-03-2012	25-04-2012	साहिबगंज	576681/26-03-2012	29.9	29.9	13-07-2012	3
					राँची पश्चिम	576667/26-03-2012	36.6	36.6	03-07-2012	2
					गिरिडीह-2	576678/26-03-2012	87.19	87.19	20-09-2012	5
					मेदिनीनगर	576671/26-03-2012	27.42	27.42	30-09-2012	5

परिशिष्ट 3.9

राजस्व अनुभाग के अधीन मुख्य कार्य

(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 80)

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप-शीर्ष	विवरण	विस्तृत शीर्ष	राशि
2014	00	114	09	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत न्यायिक अकादमी को आधारभूत संरचना	0545 मुख्य कार्य	11.43
2515	00	001	28	अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग) गैर-पी. एम. जी. एस. वाड़. पथ	0545 मुख्य कार्य	0.86
3054	03	337	01	पथ निर्माण	0545 मुख्य कार्य	2.48
3475	00	106	03	राज्य विधिक मापदंड का सुदृढीकरण	0545 मुख्य कार्य	1.19
कुल						15.96

परिशिष्ट 3.10

लघु-शीर्ष 800-अन्य व्यय का संचालन (30 प्रतिशत एवं अधिक)

(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 81)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु-शीर्ष-800 के अधीन व्यय	कालम 5 का कालम 4 से प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3.25	2.02	62.15
2	6801	पावर प्रोजेक्ट पर ऋण	779.04	421.28	54.08
3	4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	191.90	93.55	48.75
4	2501	ग्रामीण विकास के लिए प्रमुख कार्यक्रम	103.93	38.09	36.65
5	4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	10.43	3.28	31.45
कुल			1088.55	558.22	51.28

परिशिष्ट 3.11

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ (50 प्रतिशत एवं अधिक) का संचालन

(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 81)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष-800 के अधीन प्राप्तियाँ	कालम 4 का कालम 5 से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1456	सिविल आपूर्ति	1.02	1.02	100.00
2.	1452	पर्यटन	2.51	2.51	100.00
3.	1055	पथ परिवहन	0.01	0.01	100.00
4.	0801	ऊर्जा	13.39	13.39	100.00
5.	0702	लघु सिंचाई	1.68	1.68	100.00
6.	0701	मध्यम सिंचाई	20.23	20.23	100.00
7.	0700	वृहत सिंचाई	194.97	194.97	100.00
8.	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	0.2	0.2	100.00
9.	0404	डेयरी विकास	5.06	5.06	100.00
10.	0220	सूचना एवं प्रसार	0.18	0.18	100.00
11.	0217	शहरी विकास	36.87	36.87	100.00
12.	0211	परिवार कल्याण	0.25	0.25	100.00
13.	0075	विविध सामान्य सेवायें	23.11	23.11	100.00
14.	0058	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	0.08	0.08	100.00
15.	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	97.09	96.93	99.84
16.	0401	फसल व्यवस्था	16.34	16.2	99.14
17.	0852	उद्योग	2.06	2.01	97.57
18.	0406	वन एवं वन्य प्राणी	3.75	3.65	97.33
19.	0405	मत्स्य पालन	4.53	4.36	96.25
20.	0425	कॉ-आपरेशन	10.19	9.77	95.88
21.	0059	लोक निर्माण	2.09	2	95.69
22.	0070	अन्य प्रशासनिक सेवायें	50.58	46.9	92.72
23.	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4.16	3.83	92.07
24.	0051	लोक सेवा आयोग	0.49	0.44	89.80
25.	0851	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2.24	2.01	89.73
26.	0215	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	13.19	11.42	86.58
27.	0250	अन्य सामाजिक सेवायें	6.7	5.7	85.07
28.	0202	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	42.25	31.72	75.08
29.	1054	सड़क एवं पुल	50.38	36.95	73.34
30.	0041	वाहन कर	660.37	441.15	66.80
31.	0403	पशु पालन	2.88	1.69	58.68
कुल			1268.85	1016.29	80.10

परिशिष्ट 3.12
विगत वर्षों के प्रावधानों से आधिक्य व्यय का विनियमन
(संदर्भ: कंडिका 3.8; पृष्ठ 82)

वर्ष	अनुदानों/विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2002-03	10	ऊर्जा विभाग	7.00
2002-03	13	ब्याज संदाय	472.46
2002-03	14	ऋण की वापसी/अदायगी	761.96
2003-04	10	ऊर्जा विभाग	9.63
2003-04	13	ब्याज संदाय	191.28
2003-04	14	ऋण की वापसी/अदायगी	674.72
2003-04	39	आपदा प्रबंधन विभाग	61.33
2004-05	13	ब्याज संदाय	365.80
2004-05	14	ऋण की वापसी/अदायगी	133.44
2004-05	23	उद्योग विभाग	7.49
2004-05	39	आपदा प्रबंधन विभाग	69.34
2005-06	10	ऊर्जा विभाग	2628.94
2005-06	13	ब्याज संदाय	492.53
2005-06	29	खनन एवं भूतत्व विभाग	#
2006-07	13	ब्याज संदाय	833.58
2006-07	14	ऋण की वापसी/अदायगी	412.28
2007-08	14	ऋण की वापसी/अदायगी	229.64
2007-08	15	पेंशन	104.80
2008-09	12	वित्त विभाग	137.13
2008-09	14	ऋण की वापसी/अदायगी	91.76
2009-10	14	ऋण की वापसी/अदायगी	116.71
2010-11	13	ब्याज संदाय	67.35
2010-11	15	पेंशन	250.95
कुल			8120.12

अतिरिक्त राशि केवल ₹ 49,670 थी।

स्रोत: वर्ष 2013-14 के दौरान विधान मंडल द्वारा पारित प्रतिवेदन पर आधारित

परिशिष्ट 3.13
विलम्ब से सहायता
(संदर्भ : कंडिका 3.9.3.1; पृष्ठ 87)

जिला	अंचल	घटना की तिथि	उद्देश्य	प्रभावित/मृत व्यक्तियों की कुल संख्या	सहायता राशि	भुगतान की तिथि	विलम्ब (महीनों में)
बोकारो	चंदनकियारी	14.03.2012	आगजनी की वजह से मकान की मरम्मती	4	8000	08.05.2013	13
	जरीडीह	13.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	71	154400	15.05.2014	7
	गोमिया	13.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	35	134500	18.06.2014	8
	कसमार	14.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	3	5700	01.06.2015	19
	नावाडीह	13.04.2013	आगजनी की वजह से मकान की मरम्मती तथा बर्तन/कपड़ा के लिए	3	53100	01.07.2014	13
	नावाडीह	13.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	91	222000	08.07.2014	8
	चंद्रपुरा	13.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	3	5700	23.06.2014	8
	चंद्रपुरा	16.06.2013	उत्तराखण्ड त्रासदी	1	150000	20.05.2015	23
धनबाद	झरिया	04.07.2011	भारी वर्षा (चिकित्सा उद्देश्य)	1	15000	23.05.2014	33
	झरिया	04.07.2011	भारी वर्षा (मृत मामला)	1	100000	23.05.2014	33
	पूर्वी टुण्डी	11.07.2011	भारी वर्षा (मृत मामला)	1	100000	23.05.2014	33
	गोविन्दपुर	10.04.2011	आगजनी	1	5000	26.05.2014	37
	बलियापुर	13.10.2013	भारी तूफान (मकान की मरम्मती)	5	35700	26.05.2014	7
	झरिया	25.06.2011	मकान की क्षति	1	1500	26.05.2014	35
पलामू	सदर, मेदनीनगर	23.07.2009	आगजनी की वजह से मकान की मरम्मती	1	10000	09.02.2012	30
		23.03.2010		3	15000		22
		23.04.2010		1	5000		21
		14.05.2010		10	35000		20
	चैनपुर	17.02.2013	कृषि इनपुट (भारी तूफान)	93	188526	28.02.2014	12
	नवडीहा बाजार	16.02.2012	कृषि इनपुट (भारी तूफान)	7	67460	23.11.2013	21
राँची	इटकी	12.10.2013 एवं 14.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	104	209300	03.09.2014	11
		05.05.2014	फसल की क्षति के लिए	322	739884	11.05.2015	19
		15.07.2014	मकान की मरम्मती	14	35200	14.05.2015	19
	सिल्ली	01.06.2010	मकान की मरम्मती	1	10000	20.03.2012	21

जिला	अंचल	घटना की तिथि	उद्देश्य	प्रभावित/मृत व्यक्तियों की कुल संख्या	सहायता राशि	भुगतान की तिथि	विलम्ब (महीनों में)
राँची	सोनाहातू	30.03.2013	फसल की क्षति के लिए	5	6510	06.09.2014	17
				257	820692	31.12.2014	21
				31	121176	11.02.2015	22
				82	143868	07.04.2015	24
				92	157968	18.06.2015	27
	चान्हो	16.02.2010	फसल की क्षति के लिए	349	321400	09.08.2012	29
				900	1451096	22.06.2011	16
		19.07.2011 से 22.07.2011	फसल की क्षति के लिए	392	648608	05.07.2011	16
				302	201608	25.03.2013	20
		19.07.2011 से 22.07.2011	फसल की क्षति के लिए	1036	1620500	08.05.2013	21
				12.10.2013 से 14.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	41	157800
	03.05.2014	मकान की मरम्मती	11	25300	13.05.2015	12	
	खेलारी	13.10.2013 एवं 14.10.2013	मकान की मरम्मती	64	528800	08.07.2014	8
				लापुंग	13.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	10
			10	33400	31.03.2015	17	
साहिबगंज	बोरियो	28.12.2011	आगजनी की वजह से जीवन की हानि	3	300000	31.03.2014	27
		25.04.2009	आगजनी	7	28000	31.03.2014	59
		15.06.2009	आगजनी	1	4000	31.03.2014	57
		29.05.2010	आगजनी	4	16000	31.03.2014	46
		21.03.2011	आगजनी	3	12000	31.03.2014	36
		23.03.2011	आगजनी	1	4000	31.03.2014	36
	साहिबगंज	06.04.2011	आगजनी की वजह से जीवन की हानि	1	100000	16.01.2014	32
		02.09.2013	बाढ़ के कारण पशु की हानि	1	15000	07.04.2014	7
पूर्वी सिंहभूम	धालभूमगढ़	18.06.2011 से 23.09.2011	मकान की मरम्मती	104	319000	04.12.2012 से 21.12.2012	15
		15.06.2011 से 22.09.2011	मकान की मरम्मती	109	237500	27.08.2013	23
		04.05.2013	मकान की मरम्मती	274	883900	19.05.2014	12
	पटमदा	26.09.2008	मकान की मरम्मती	4	14500	27.08.2010	23
		02.01.2009	आगजनी के कारण मृत्यु	1	100000	08.03.2011	26
		02.01.2009	मूसलाधार बारिश के कारण मृत्यु	1	100000	31.03.2012	39
		28.06.2012	मकान की मरम्मती	13	129500	26.07.2013	13
		12.10.2013	मकान की मरम्मती	31	438750	22.09.2014	12

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

जिला	अंचल	घटना की तिथि	उद्देश्य	प्रभावित/मृत व्यक्तियों की कुल संख्या	सहायता राशि	भुगतान की तिथि	विलम्ब (महीनों में)
पूर्वी सिंहभूम	डुमरिया	12.10.2013 एवं 13.10.2013	मकान की मरम्मती	1078	3624100	19.07.2014 से 07.02.2015	10 से 16
		12.10.2013 एवं 13.10.2013	कपड़ा/बर्तन के लिए	39	105300	20.05.2014	7
	गुड़ाबन्दा	24.04.2014	मकान की मरम्मती	38	651200	23.05.2015	13
		12.10.2013 एवं 13.10.2013	मकान की मरम्मती	286	929000	06.06.2014 से 22.01.2015	08 से 15
	पोटका	13.10.2013	मकान की मरम्मती	372	2692700	23.02.2015 से 12.05.2015	16 से 19
	मुसाबनी	18.05.2011	मकान की मरम्मती	5	24500	21.11.2012	18
		13.05.2011 से 23.09.2011	मकान की मरम्मती	38	111000	19.12.2012	14 से 19
		24.03.2012	मकान की मरम्मती	1	1900	11.05.2013	14
		05.03.2012 से 24.03.2012	मकान की मरम्मती	4	22500	28.06.2013	15
		13.10.2013 से 14.10.2013	मकान की मरम्मती	122	726000	22.05.2014	8
	चकुलिया	12.10.2013 से 14.10.2013	मकान की मरम्मती	410	1380000	13.05.2014 से 14.06.2014	8
	गोलमुरी/ जुगसलाई	29.04.2011	मकान की मरम्मती	29	127500	12.06.2012	13
		04.03.2012	आगजनी के कारण मृत्यु	1	150000	22.03.2013	12
	कुल				7458		

परिशिष्ट 3.14
गैर सहायता
(संदर्भ : कंडिका 3.9.3.1; पृष्ठ 87)

जिला	घटना की तिथि	उद्देश्य	कुल आवंटित राशि	व्यय	अनुपयोग राशि	प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या	विलम्ब (महीनों में)
बोकारो	11.04.2010	आगजनी के कारण बर्तन एवं कपड़ों की हानि	36000	0	36000	18	63
	19.04.2012	आगजनी की वजह से मकान की मरम्मती	11000	0	11000	1	39
	12.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	125100	0	125100	10	21
	13.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	249900	134500	115400	36	21
	13.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	22000	0	22000	4	21
	13.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	227700	222000	5700	3	21
	13.10.2013	फैलिन की वजह से मकान की मरम्मती	660000	510000	150000	1	21
पलामू	20.05.2014	आगजनी की वजह से पशुओं की हानि	77250	-	77250	6	14
	20.05.2014	आगजनी के कारण बर्तन एवं कपड़ों की हानि	18700	-	18700	10	14
राँची	27.04.2010	मकान की मरम्मती	628000	0	628000	-	63
	जून-2011	मकान की मरम्मती	155500	0	155500	103	49
पूर्वी सिंहभूम	12.10.13 एवं 13.10.13	मकान की मरम्मती	3944900	3624100	320800	140	21
	24.04.14	मकान की मरम्मती	668800	651200	17600	-	15
	12.10.13 एवं 13.10.13	मकान की मरम्मती	965000	929000	36000	10	21
साहिबगंज	09.01.11	अनुग्रह (आगजनी)	35000	0	35000	1	55
	16.05.12	मकान की मरम्मती	775000	0	775000	310	38
		कपड़ों एवं बर्तनों की क्रय	837000	0	837000		
	05.04.13 से 11.04.13	कपड़ों एवं बर्तनों की क्रय	456300	0	456300	169	27
	17.06.2012	जीवन की हानि	300000	0	300000	2	38
17.06.2012	नाव दुर्घटना	12140	0	12140	4	38	
कुल					4134750	828	14 से 63

परिशिष्ट 4.1

प्रतिवेदन में प्रयुक्त व्याख्यान शब्दावलियों (गणना के आधार) की सूची

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (X)	प्राचल की वृद्धि दर (X) प्राचल की वृद्धि दर (Y)
वृद्धि की दर (बृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि+वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व/2]*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि-भारित ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक का * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियाँ विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव 2048 ऋण के परिहार की कमी के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय को छोड़कर सभी योजनागत अनुदान तथा गैर योजना राजस्व व्यय
ऋण धारणीयता	किसी राज्य द्वारा ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की क्षमता को ऋण ग्राह्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है यह किसी संस्था के ऋण निष्पादन की क्षमता को भी निरूपित करती है। अतः चालू प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल पर परिपूर्णनी की प्रचुरता तथा अतिरिक्त देनदारियों की खरीद तथा उन देनदारियों से वापसी के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता को भी ऋण सहनशीलता कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से मेल खाता है।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थ व्यवस्था का वृद्धि पर ब्याज दर या लोक ऋण लोक उधार से अधिक हो इससे, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर हो सकता है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य हो घनात्मक हो या औसत रूप ऋणात्मक हो। दिया गया है कि दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुण दर विस्तार) ऋण स्थिरीकरण के शर्त के अनुसार अगर मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार शून्य हो तो ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण कुछ समय में स्थिर हो जायेगा। दूसरी तरफ अगर प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार के साथ ऋणात्मक हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और अगर घनात्मक हो तो ऋण स.रा.घ.उ. स्थिर रहेगा।
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	राज्य का बढ़ा हुआ गैर ऋण प्राप्तियाँ, बढ़े हुए ब्याज दायित्वों और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रचुर हो तो ऋण धारणीयता को और भी सुविधाजनक बनाया जा सकता है अगर बढ़ा हुआ गैर ऋण प्रप्ति बढ़े हुए ब्याज भार और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने में सक्षम हो ।

परिशिष्ट 4.1 क्रमशः

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
उधार ली गई निधि की सकल उपलब्धता	सकल ऋण प्राप्तियाँ से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के औसत के रूप में परिभाषित किया जाता है और बताता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण मोचन में किया है, उधार निधि की सकल उपलब्धता को बताता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल + पूरक) बजट अनुदानों में अंतर्गत प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोग एवं उसके सामने प्रत्येक के विरुद्ध किया गया कुल व्यय एवं अव्ययित अनुदानों या आधिक्य प्रत्येक अनुदानों या विनियोगों के अन्तर्गत अनुदानों से किया अधिक कोई व्यय को विधान मण्डल द्वारा विनियमित किये जाने की आवश्यकता है।
स्वायत्त निकायों	स्वायत्त निकायों (साधारणतः पंजीकृत समितियों एवं सांविधिक निगमों) जब कभी यह किया जाता है कि नियत कार्यों को सरकारी व्यवस्था से बाहर जाकर निर्वाहन की आवश्यकता है एवं दिन प्रतिदिन सरकारी तंत्र के दखल अन्दाजी के बिना कुछ मात्रा में स्वतंत्रता एवं लोचता के साथ स्थापित किये जाते हैं।
वचन बद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी का व्यय, पेंशन एवं अनुदान जिस पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है, शामिल है।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अधिकरण में कोई संगठन/संस्था जिसमें गैर सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, उदाहरणार्थ सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि।
आकस्मिकता निधि	विधान मंडल द्वारा कानून द्वारा अग्रदाय के रूप में आकस्मिकता निधि की स्थापना की गयी है एवं समय समय पर ऐसी राशि का इसमें भुगतान किया जाता है जैसा विधि द्वारा संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत कानून द्वारा निर्धारित है एवं उक्त निधि विधान मंडल से स्वीकृति के लिए लंबित ऐसे व्यय अदृश्य व्यय को पूरा करने के लिए राज्यपाल के विवेकाधीन रखा जाता है।
राज्य के समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारित सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिकता देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।

परिशिष्ट 4.1 क्रमशः

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋण दाता द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व है इसके लिए गारंटियों को बढ़ाया गया है। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार वर्ष के दौरान बढ़े हुए गारंटियों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को लंबित आह्वानित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग तथा संभावित आह्वानित राशि के बराबर योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण शामिल है जिसे भारत में उदग्रहित ऋण भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है।
पुनर्विनियोग	पुनर्विनियोग से तात्पर्य एक प्राथमिक इकाई के विनियोग से अन्य इस प्रकार के इकाई में निधियों के स्थानान्तरण से है।
अव्ययित अनुदानों का अभ्यर्पण	राज्य सरकार के विभाग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पहले उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों ध्यान में आये सभी पूर्वानुमित अव्ययित अनुदानों को वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार कोई विधि द्वारा प्राधिकृत राशि अगर वर्तमान वित्तीय वर्ष में विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है वर्ष में उस उद्देश्य के लिए अपर्याप्त पाया जाता है या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जब आवश्यकता होती है या कोई नई सेवा पर अतिरिक्त व्यय जिसे उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया है, सरकार संविधान के अनुच्छेद 115(1) के उपबंधों के अनुसार पूरक अनुदान प्राप्त करती है।
उचन्त एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मर्दें जिसे प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में उसे उनकी प्रकृति या किसी अन्य कारण से तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखे के मुख्य शीर्ष 8658, उचंत लेखा, क्षेत्र में उचंत एवं विविध में रखा जाता है (आगे के मार्गदर्शन के लिए लेखे के मुख्य शीर्ष के मुख्य/लघु शीर्ष की सूचि के अंतर्गत फुटनोट संदर्भित करना चाहिए) सेवा प्राप्ति जिसमें पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है उचंत लेखे शीर्ष में नहीं लेना चाहिए लेकिन "अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत राजस्व मुख्य शीर्ष जिससे संबंधित प्रतीत होता है लेना चाहिए एवं पूर्ण विवरण की प्राप्ति के बाद अंतोगत्वा सही शीर्ष में जमा कर स्थानान्तरित करना चाहिए।
लोक लेखा समिति	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में राज्य के विनियोग लेखे राज्य के वित्तीय लेखे एवं इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों जैसा इसके समक्ष उपस्थापित किया जाता है या समिति जो समीक्षा के आवश्यक समझे जाँच के लिए विधान मंडल द्वारा गठित एक समिति है।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
ए.ई	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी. बिल	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
एफ.सी.पी.	राजकोषीय सुधार पथ
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
आई.पी.	ब्याज भुगतान
एम.टी.एफ.पी.एस.	मध्यकालीन राजकोषीय नीतिगत बयान
ओ. एण्ड. एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तिर्थाँ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरियों
एस.ए.आर.	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
टी.एफ.सी.	तेरहवें वित्त आयोग
यु.सी.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
भी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agjh.cag.gov.in